

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास
एवं सुधार कार्यक्रम



संघ सरकार
विद्युत मंत्रालय
2016 की प्रतिवेदन संख्या 30
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का
प्रतिवेदन

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास
एवं सुधार कार्यक्रम

संघ सरकार
विद्युत मंत्रालय
2016 की प्रतिवेदन संख्या 30
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

अध्याय/शीर्षक		पृष्ठ सं.
प्राक्कथन		iii
कार्यकारी सार		v से x
अध्याय 1—परिचय		
1.1	पृष्ठ भूमि	1
1.2	आर—ए पी डी आर पी की प्रमुख विशेषताएँ	3
1.3	आर—ए पी डी आर पी का निधिकरण	6
1.4	एकीकृत विद्युत विकास योजना	6
अध्याय 2—लेखापरीक्षा पद्धति		
2.1	लेखापरीक्षा के उद्देश्य	7
2.2	लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र व नमूना	7
2.3	लेखापरीक्षा मापदंड के स्रोत	8
2.4	लेखापरीक्षा पद्धति	8
अध्याय 3—वित्तीय प्रबंधन		
3.1	निधियों का निर्गमन एवं उपयोग	9
3.2	योजना के भाग सी के अंतर्गत उपगत व्यय	10
3.3	राज्यों में निधियों के निर्गमन एवं उपयोग में चूक	11
3.4	प्रायोगिकी द्वारा कार्यों का हस्तांतरण/परित्याग	16
3.5	निधियों का विपथन	16
3.6	परियोजनाओं का परस्पर व्यापन	17
3.7	निर्गत की गई निधियों का अनुबंध की शर्तों के साथ सामंजस्य न होना	18
3.8	उपयोगिता प्रमाणपत्र	19
3.9	राज्य प्रायोगिकियों के बही खातों का निरीक्षण नहीं किया जाना	21
3.10	ऋण का अनुदान में रूपान्तरण	21
अध्याय 4—कार्यक्रम कार्यान्वयन		
4.1	प्रारम्भिक गतिविधियाँ	23
4.2	डी.पी.आर. का मूल्यांकन	25
4.3	निविदा आमंत्रित करने और कार्य प्रदान करने में देरी	27
4.4	परियोजनाओं को वरीयता न दिया जाना	28
4.5	अनुमोदित डी.पी.आर. का अनुपालन न होना (परियोजना क्षेत्र में परिवर्तन)	29
4.6	ठेकेदारों को आधारभूत ढाँचा उपलब्ध न कराने के कारण परियोजनाओं के प्रारम्भ होने में देरी	29
4.7	संचालन समिति के अनुमोदन के बिना लागत में संशोधन	29

4.8	डाटा केन्द्र तथा आपदा प्रतिलाभ केन्द्र	30
4.9	टर्नकी करारों का अपनाया न जाना	31
4.10	पुनर्निविदा के कारण अतिरिक्त खर्च	32
4.11	समरूप मदों के लिये भिन्न दरें	32
4.12	प्रायोगिकियों द्वारा किये गए अनुबंधों में कमियाँ	33
4.13	गुणवत्ता नियंत्रण	35
4.14	उपयुक्त प्रत्याभूति की प्राप्ति न होना	36
4.15	क्षमता निर्माण उपायों के लिए राज्य प्रायोगिकियों के कर्मचारियों को अपर्याप्त प्रशिक्षण	39
4.16	'गो-लाईव' परियोजनाएं	40

अध्याय 5—कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ		
5.1	ए टी एण्ड सी हानियाँ	43
5.2	टी पी आई ई ए द्वारा बेसलाइन आँकड़ों का सत्यापन	45
5.3	ए टी एण्ड सी हानियों के अविश्वसनीय आँकड़े	45
5.4	ए टी एण्ड सी हानियों के परिकलन में विसंगतियाँ	47
5.5	ऊर्जा लेखा और लेखापरीक्षा	49
5.6	विद्युत क्षेत्र में सुधार	52

अध्याय 6—उपभोक्ता संतुष्टि		
6.1	व्यावसायिक गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण (बिलिंग, संग्रहण आदि)	55
6.2	ग्राहक सेवा प्रणाली की स्थापना	55
6.3	सेवा कनेक्शनों का निर्धारण/उच्च परिशुद्धता/हस्तक्षेपरहित मीटरों के साथ प्रतिस्थापन न किया जाना	56
6.4	उचित टेल एंड वोल्टेज की आपूर्ति न किया जाना	56

अध्याय 7—निगरानी और मूल्यांकन		
7.1	निगरानी का विहंगावलोकन	59
7.2	डी.आर.सी. द्वारा माईलस्टोनों और लक्ष्यों की निगरानी न करना	60
7.3	राज्य स्तर पर पाए गए अन्य मामले	60

अध्याय 8—निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं		
8.1	निष्कर्ष	63
8.2	अनुशंसाएं	64

अनुलग्नक		
	अनुलग्नक –I से XVII	ए-1 से ए-43
	संक्षिप्ताक्षरों की सूची	एबी-1 से एबी-5

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत संसद के समक्ष रखे जाने हेतु भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में विद्युत मंत्रालय तथा राज्य विद्युत प्रायोगिकियों द्वारा पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा जाँच के परिणाम सन्निहित हैं।

कार्यकारी सार

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-ए पी डी आर पी) को XI योजना की अवधि में जारी त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए पी डी आर पी) के क्रम में दिसम्बर 2008 में प्रारम्भ किया गया था। वितरण को मजबूती प्रदान करने वाली परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु आवश्यक पूर्व शर्तों के रूप में कार्यक्रम में कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए टी एंड सी) हानियों में सतत कमी, सटीक बेसलाइन आँकड़ों के संग्रहण हेतु एक विश्वसनीय एवं स्वचालित प्रणाली की स्थापना तथा ऊर्जा लेखे के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने का प्रावधान था। अन्तिम उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना का यह भी लक्ष्य था कि सभी विद्युत परिसम्पत्तियाँ सुमेलित हों, सभी उपभोक्ताओं की अनुक्रमणिका निर्मित हो तथा उनके मीटर लगे हों जिससे कि बिल-प्रक्रिया की दक्षता बेहतर हो।

इसे **भाग ए** (उपभोक्ता से सम्बन्धित परियोजना क्षेत्रों हेतु बेसलाइन आँकड़ों को निर्मित करना, सूची बनाना, मीटर लगाना, ऑटोमेटिक डाटा लागिंग आदि, कुल वितरण नेटवर्क की परिसम्पत्ति का मिलान करना, मीटर रीडिंग, बिलिंग तथा संग्रहण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ऐप्लीकेशन, विद्युत के लेखे बनाना तथा इसकी लेखापरीक्षा, 4 लाख की जनसंख्या से अधिक के चयनित शहरों में पर्यवेक्षण नियंत्रण तथा आँकड़ों के अधिग्रहण की परियोजनाओं का कार्यान्वयन आदि) तथा **भाग बी** (नियमित वितरण को मजबूती प्रदान करने वाली परियोजनाएँ) के अन्तर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा प्राप्त किया जाना था। योजना में **भाग सी** के माध्यम से विद्युत वितरण प्रायोगिकी कार्मिकों का तथा **भाग डी** के अन्तर्गत कार्मिकों के लिए प्रोत्साहन योजना का भी प्रावधान था। प्रायोगिकियों को परियोजनाएँ टर्न-की आधार पर कार्यान्वित करनी थीं।

योजना में भाग ए की परियोजनाओं में भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध कराने का प्रावधान था जबकि भाग बी परियोजनाओं के सन्दर्भ में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत (विशिष्ट श्रेणी के राज्यों हेतु 90 प्रतिशत) ऋण भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया था तथा शेष धनराशि की व्यवस्था समकक्ष निधि के रूप में अन्य स्रोतों जैसे कि पावर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन/रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन/बैंक आदि से की जानी थी। योजना में भारत सरकार के ऋण को अनुदान में परिवर्तित करने का भी प्रावधान था बशर्ते निर्धारित शर्तें पूरी होती हों।

परियोजनाओं को प्रायोगिकियों द्वारा राज्य स्तरीय वितरण सुधार समितियों के माध्यम से संचालन समिति को प्रस्तुत किये गये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के आधार पर स्वीकृत किया जाना था। योजना में प्रावधान था कि जारी की गई धनराशि तथा उसके वास्तविक उपयोग का विवरण वर्ष की समाप्ति पर विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत किया जायेगा।

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य परिणाम हैं:

वित्तीय प्रबन्धन

- XI तथा XII योजना अवधि (2008–17) में योजना हेतु ₹28,424 करोड़ की सकल बजटीय सहायता का प्रावधान किया गया था। इस हेतु विद्युत मंत्रालय ने वास्तव में 2008–09 से 2014–15 के दौरान ₹12,415.04 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया था जो कि विचारित धनराशि का मात्र 43.68 प्रतिशत था। आर-ए पी डी आर पी योजना को दिसम्बर 2014 से इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम में समाविष्ट कर दिया गया है तथा 2014–15 के बाद आर-ए पी डी आर पी हेतु अलग से कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है। 2008–15 के दौरान आर-ए पी डी आर पी योजना हेतु जारी की गई वास्तविक धनराशि मात्र ₹8,175.45 करोड़ थी जो कि योजना के कार्यान्वयन की धीमी गति को सूचित करती है।

(पैरा 3.1)

- योजना का कार्यान्वयन करने वाली कई राज्य प्रायोगिकियों द्वारा समकक्ष धनराशि का निर्धारित अवधि में प्रबंध नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रायोगिकियों को दी गई समकक्ष धनराशि के ब्यौरे तैयार नहीं किए।

(पैरा 3.3.3)

- कुछ राज्यों में आर-ए पी डी आर पी निधियों के विपथन तथा योजनाओं के परस्पर व्यापन के मामले पाए गए।

(पैरा 3.5 एवं 3.6)

- पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने उपयोगिता प्रमाणपत्रों के दो सेट विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत किए; एक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा प्रायोगिकियों को भारत सरकार द्वारा जारी की गई कुल धनराशि को इंगित करता है तथा दूसरा प्रायोगिकियों द्वारा समय-समय पर प्राप्त धनराशि की उपयोगिता को इंगित करता है। उपयोगिता प्रमाण पत्रों के दोनों सेटों में काफी विसंगति थी; पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा दिए गए उपयोगिता प्रमाणपत्रों ने इंगित किया कि मार्च 2016 तक ₹ 8,606.62 करोड़ जारी किए गए जबकि प्रायोगिकियों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र इंगित करता है कि मात्र ₹ 4,155.88 करोड़ (कुल जारी की गई धनराशि का 49.29 प्रतिशत) का उपयोग हुआ।

(पैरा 3.8)

- यह पाया गया कि चयनित नमूने की 198 भाग ए, 317 भाग बी तथा 47 पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं आँकड़ा अधिग्रहण परियोजनाओं में केवल पहली किस्त ही जारी की गई है जिसके कारण परियोजनाओं के पूर्ण होने पर संदेह होता है।

(पैरा 3.3.1)

- ऋण से अनुदान में रूपांतरण के प्रावधान का किसी भी प्रायोगिकी द्वारा प्रयोग नहीं किया गया चूँकि किसी भी राज्य में कोई भी भाग ए तथा भाग बी परियोजना पूर्ण नहीं हुई थी।

(पैरा 3.10)

कार्यक्रम कार्यान्वयन

- कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रारम्भिक गतिविधियों को अंतिम रूप देने में 13 माह तक की देरी हुई।

(पैरा 4.1)

- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को मॉडल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुरूप नहीं बनाया गया जिसके कारण परियोजना के कार्यक्षेत्र में कार्य की अग्राह्य वस्तुएँ सम्मिलित हो गई तथा कार्य की आवश्यक वस्तुएँ छूट गयीं। परियोजना बनाते समय किये गए पूर्वानुमानों को मूल्यांकन के दौरान स्वतन्त्र रूप से सत्यापित नहीं किया गया। संचालन समिति के अनुमोदन के बिना परियोजनाओं की लागत में संशोधन के मामले पाए गए। कुछ मामलों में, राज्य वितरण सुधार समितियों की अनुशंसाओं के बिना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों का मूल्यांकन व अनुमोदन संचालन समिति द्वारा कर दिया गया था जो कि निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन था।

(पैरा 4.2 एवं 4.7)

- राज्यों में कार्यान्वित होने वाले कार्यों में पुनर्निविदा के कारण तथा एक जैसी वस्तुओं के लिए अलग-अलग दरों पर ठेकेदारों को कार्य प्रदान करने के कारण अतिरिक्त व्यय पाया गया।

(पैरा 4.10 एवं 4.11)

- गुणवत्ता नियंत्रकों में कमियाँ जैसे कि विशिष्टताओं से अलग वस्तुओं की प्राप्ति, वस्तुओं/प्रणालियों की असफलता जिसके कारण परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी तथा उपयुक्त गारंटियों को प्राप्त न करना पाया गया।

(पैरा 4.13.1, 4.13.2 एवं 4.14)

- प्रायोगिकियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किए गए प्रयास अपर्याप्त थे तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया।

(पैरा 4.15)

- लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य प्रायोगिकियों ने भाग ए की कई परियोजनाओं को 'गो लाइव' घोषित किया हुआ था जबकि विद्युत मंत्रालय के पास उपलब्ध परियोजना विवरणों के अनुसार कोई भी परियोजना तृतीय पक्ष स्वतन्त्र मूल्यांकन एजेन्सी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी जो परियोजना पूर्ण होने से पहले अपेक्षित था। जबकि, 80 प्रतिशत नगरों, जहाँ भाग ए परियोजनाएँ कार्यान्वित की गयीं थीं, को 'गो लाइव' घोषित किया गया था, स्वीकृत लागत का मात्र 50 प्रतिशत प्रायोगिकियों को जारी किया गया। कई ऐसी परियोजनाओं को 'गो लाइव' घोषित किया गया था जिनमें अनुमोदित परियोजना लागत की मात्र 30 प्रतिशत धनराशि जारी की गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि 'गो लाइव' की घोषणा स्वयं राज्यों द्वारा बिना विद्युत मंत्रालय के सत्यापन अथवा अनुमोदन के की गई थी।

(पैरा 4.16)

कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ

- लेखापरीक्षा में लिए गए नमूनों की जाँच में, कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ या तो बेसलाइन के सापेक्ष बढ़ गयीं थीं अथवा 'गो लाइव' घोषित किए गए 100 से अधिक नगरों में निकाली नहीं जा सकीं। यह पाया गया कि कई राज्यों में परियोजनाएँ प्रारम्भ होने से पहले बेसलाइन आँकड़े ही संग्रहित नहीं किये गये थे।

(पैरा 5.1 एवं 5.2)

- विद्युत मंत्रालय द्वारा संसद को प्रस्तुत किये गये विभिन्न दस्तावेजों में कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में भिन्नताएँ पायी गयीं। हालाँकि कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों की गणना हेतु पद्धति निर्मित की गयी थी फिर भी समान रूप से इसका अनुपालन नहीं किया गया जिससे कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों के आकलनों में भिन्नता आई।

(पैरा 5.3 एवं 5.4)

- ऊर्जा का लेखा-जोखा व इसकी लेखापरीक्षा 12 राज्यों में नहीं की जा रही थी तथा अन्य 13 राज्यों में लेखा व लेखापरीक्षा के आँकड़े बिना मशीन की सहायता के संग्रहित किये जा रहे थे जिससे उनकी विश्वसनीयता तथा सटीकता पर प्रश्न उठता है। ऊर्जा लेखा एवं लेखापरीक्षा न कराने का मुख्य कारण भाग ए परियोजनाओं का पूरा न होना तथा आँकड़ों के संग्रहण हेतु विभिन्न मॉड्यूलों को एकीकृत न करना था।

(पैरा 5.5)

- फीडरों, वितरण ट्रांसफॉर्मरों तथा उपभोक्ताओं की 100 प्रतिशत मीटरिंग नहीं की गई।

(पैरा 5.5.1)

- बिजली की चोरी रोकने हेतु किये गये प्रयास जैसे कि विशेष न्यायालय तथा सतर्कता दस्ते पर्याप्त तथा प्रभावशाली नहीं थे।

(पैरा 5.6.1)

उपभोक्ता संतुष्टि

- व्यावसायिक गतिविधियों जैसे बिलिंग, संग्रहण आदि का कम्प्यूटरीकरण अपूर्ण रहा। कई राज्यों में प्रायोगिकियों द्वारा ग्राहक सेवा प्रणाली जिसमें कम्प्यूटरीकृत लागिंग, ट्रेकिंग तथा ग्राहक निवेदनों को सुलझाना सम्मिलित है, पूर्णतः स्थापित नहीं की गई।

(पैरा 6.1. एवं 6.2)

- कुछ राज्यों में, योजना के प्रावधानों के अनुसार सभी सेवा कनेक्शन उच्च सटीकता वाले/छेड़छाड़ रहित मीटर फिक्स/बदले नहीं गए। कुछ राज्यों में उचित टेल एण्ड वोल्टेज की भी आपूर्ति नहीं की गई।

(पैरा 6.3. एवं 6.4)

निगरानी एवं मूल्यांकन

- राज्य वितरण सुधार समितियों द्वारा योजना की निगरानी में कमियाँ पायी गयीं।

(पैरा 7.2)

अनुशासण

1. मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रायोगिकियाँ धनराशि जारी होने से पूर्व समकक्ष धनराशि को तय कर लें।
2. मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि सम्बन्धित प्रायोगिकियाँ उपयोगिता प्रमाण पत्र को सामान्य वित्तीय नियमों में दी गई समयसीमा के अनुसार प्रस्तुत करें।
3. मंत्रालय को प्राप्त नहीं किए गए माइलस्टोनों के कारणों तथा उस पर की गई कार्यवाही के साथ-साथ राज्य प्रायोगिकियों द्वारा तय किये गये लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त किये गये माइलस्टोनों को सूचित करने की प्रक्रिया विकसित करने पर विचार करना चाहिये।
4. मंत्रालय को 100 प्रतिशत मीटर लगाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिये जिससे कि कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों के बेसलाइन आँकड़े सत्यापित हों, कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों का वार्षिक सत्यापन हो तथा ऊर्जा का प्रभावशाली लेखा निर्माण एवं लेखापरीक्षा हो सके।

5. मंत्रालय परियोजना क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर विशेष न्यायालय तथा सतर्कता दस्ते स्थापित करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित कर सकता है जिससे कि अपराधों की शीघ्र सुनवाई हो एवं बिजली चोरी रोकी जा सके, जिससे वाणिज्यिक नुकसान कम हों।
6. वितरण सुधार समिति तथा संचालन/पुनरीक्षण समिति के स्तर पर निगरानी एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को मजबूत किया जाना चाहिये जिससे कि परियोजनाएँ समय पर पूर्ण हों।

अध्याय 1

परिचय

परिचय

1.1 पृष्ठभूमि

भारत में विद्युत क्षेत्र का सुधार दो दशकों से भी अधिक पुराना है तथा आरंभ में यह राज्य विद्युत बोर्डों (एस ई बी) को अलग-अलग करने, स्वतंत्र उत्पादन, संप्रेषण एवं संवितरण कम्पनियों का निर्माण करने जैसे संरचनात्मक परिवर्तन लाने पर केन्द्रित था। तदन्तर, इसका केन्द्र विद्युत उत्पादन तथा विद्युत संवितरण करने में परिवर्तित हो गया। विगत दो दशकों के दौरान, भारत सरकार (जी ओ आई) ने विद्युत क्षेत्र को सहारा देने के लिये कई कार्यक्रम आरंभ किये, जिनमें मुख्य पहल त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए पी डी पी), त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए पी डी आर पी) तथा पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-ए पी डी आर पी) रहीं।

1.1.1 त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए पी डी पी)

ए पी डी पी को फरवरी 2001 में विशेष योजनाओं को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था जो, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एवं एम)/जीवन वर्धन/पुराने विद्युत संयंत्रों (थर्मल और हाईड्रल) का उपवर्गीकरण, उपसंप्रेषण एवं वितरण नेटवर्क (33 के वी से कम या 66 के वी) का उन्नयन तथा सशक्तिकरण जिसमें प्रावस्थाबद्ध रीति से वितरण सर्कलों में ऊर्जा लेखाकरण व मीटर लगाना सम्मिलित हैं, से संबन्धित थे।

1.1.2 त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए पी डी आर पी)

विद्युत क्षेत्र के शीघ्र कायापलट को सक्षम बनाने के लिये ए पी डी पी को मात्र एक निवेश इकाई से सुधारों के चालक के रूप में पुनर्गठित किया गया था तथा 2002-03 के दौरान 'त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम' (ए पी डी आर पी) के रूप में पुनः नामित किया गया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) द्वारा ए पी डी आर पी की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी तथा प्रतिवेदन (2007 की प्रतिवेदन संख्या 16) पर लोक लेखा समिति (पी ए सी) द्वारा विचार किया गया था। पी ए सी ने अपने 77 वें प्रतिवेदन (14 वीं लोक सभा के) में योजना से संबंधित अपनी अनुशंसाएँ दी। योजना का स्वतंत्र एजेंसियों (जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आई आई एम), एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलिज ऑफ इंडिया (ए एस

सी आई), टाटा कंस्लटैंसी सर्विसेस (टी सी एस), द एनर्जी एवं रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टी ई आर आई) एवं एस बी आई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड) द्वारा भी मूल्यांकन किया गया, जिन्होंने ए पी डी आर पी को X योजना के बाद भी जारी रखने की अनुशंसा करते हुए योजना को पुनर्गठित करने का सुझाव दिया तथा प्रायोगिकियों को सीधे निधि जारी करने, सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) को अपनाने, सुधार विशेष माइलस्टोनों का अनुपालन करने, बेहतर परियोजना प्रबंधन करने, तीसरे पक्ष द्वारा गुणवत्ता जांच तथा प्रायोगिकी स्टाफ के प्रशिक्षण को जारी रखने की अनुशंसाएं दीं।

1.1.3 पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-ए पी डी आर पी)

XI योजना अवधि में ए पी डी आर पी के विस्तार के रूप में आर-ए पी डी आर पी को दिसम्बर 2008 में प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम में वितरण सशक्तिकरण परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए आवश्यक पूर्व-शर्तों के रूप में धारणीय घाटे को कम करने, सही बेस-लाइन डाटा का संग्रहण करने हेतु विश्वसनीय व स्वचालित प्रणाली की स्थापना करने तथा ऊर्जा लेखाकरण के क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाना विचारित था। यह आशा की गई थी कि यह पूर्व-शर्तें कार्यक्रम के कार्यान्वयन से पूर्व व पश्चात प्रायोगिकियों के निष्पादन के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन को सक्षम करेगी तथा आंतरिक जिम्मेदारी को बढ़ाकर बेहतर निष्पादन को बाध्य करेगी। योजना का यह लक्ष्य भी था कि सभी विद्युत वितरण सम्पत्तियों का खाका बनाया जाए, सभी उपभोक्ताओं की सूची बनाई जाये व मीटर लगाया जाये जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि परम उपभोक्ता को उपलब्ध कराई गई विद्युत की मात्रा का पता लगाया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप बिलिंग दक्षता को बेहतर बनाया जा सके।

इसे भाग ए व भाग बी के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा भाग सी व डी के अंतर्गत अन्य गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त किया जाना था। योजना ऋणों एवं उनके अनुदान में रूपांतरण के द्वारा परियोजनाओं के लिए निधियों को निर्गत करने की व्यवस्था करती है बशर्ते कि परियोजनाएँ निर्धारित शर्तों के अनुसार पूर्ण हों।

1.1.4 भाग ए

ये परियोजनाएँ परियोजना क्षेत्रों के बेस लाइन डाटा के तैयारी हेतु थीं जिसके अंतर्गत उपभोक्ता सूची बनाना, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) की मैपिंग करना, वितरण ट्रांसफार्मर एवं फीडर की मीटरिंग तथा स्वचालित डाटा अभिलेखन करना सम्मिलित था। इसके अंतर्गत 11 के वी एवं इससे कम के ट्रांसफार्मर स्तर के समस्त वितरण नेटवर्क की संपत्ति की मैपिंग शामिल होनी थी तथा वितरण ट्रांसफार्मर एवं फीडर, लो टेंशन लाइन खंभे एवं अन्य वितरण नेटवर्क उपकरण भी इसमें शामिल होंगे। इनमें मीटर गणना, बिलिंग व संग्रहण; ऊर्जा लेखाकरण व लेखापरीक्षा; प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) आदि के लिये आई टी ऐप्लीकेशन को

अपनाना; भी शामिल है। इनमें उन चुने गए शहरों में जहाँ आबादी 4 लाख से अधिक है वहाँ पर्यवेक्षक नियंत्रण तथा डाटा अधिग्रहण (एस सी ए डी ए) परियोजनाओं का कार्यान्वयन भी विचारित था। भाग ए परियोजनाओं को तीन वर्षों में पूर्ण किया जाना था।

1.1.5 भाग- बी

भाग बी परियोजनाएं नियमित वितरण को सशक्त बनाने वाली परियोजनाएं थीं। इनमें 11 के वी उप-स्टेशनों, ट्रॉसफार्मरों/ट्रॉसफार्मर केन्द्रों का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण 11 के वी स्तर व इससे कम वाली लाईनों को पुनः संचालित करना शामिल हैं। विशेष मामलों में, जहां उप संप्रेषण प्रणाली कमजोर है, वहां **भाग बी** परियोजनाओं के अंतर्गत 33 के वी या 66 के वी स्तर पर सुदृढीकरण करने पर भी विचार किया जाएगा।

1.1.6 भाग सी

इस भाग के अंतर्गत विद्युत वितरण प्रायोगिकियों के कर्मियों की क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पी एफ सी) को सौंपा गया था। भाग सी में आर ए पी डी आर पी के कार्यान्वयन तथा विद्युत क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए घटकों को सक्षम बनाना सम्मिलित था।

1.1.7 भाग डी

यह भाग प्रायोगिकियों के कर्मियों के लिए प्रोत्साहन योजना से संबंधित था। प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निधियों को भाग बी के अंतर्गत ऋण के अनुदान में रूपांतरण के बाद जारी किया जाना था।

1.2 आर-ए पी डी आर पी की प्रमुख विशेषताएँ

आर-ए पी डी आर पी की प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार थीं—

(ए.) आर-ए पी डी आर पी में शहरी क्षेत्र (विशेष वर्ग के राज्यों¹ के मामले में 10000 से अधिक व अन्य मामलों में 30000 की जनसंख्या वाले नगर तथा शहर) समाविष्ट हैं। इसमें घरेलू व औद्योगिक फीडरों से कृषि फीडरों तथा उच्च-भार घनत्व वाले ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च वोल्टेज वाली वितरण प्रणाली (11-के वी) को अलग करना भी विचारित था। वे नगर एवं क्षेत्र जिनके लिए ए पी डी आर पी के अंतर्गत X योजना में परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया था वह XI योजना के अंतर्गत पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के पूर्ण होने अथवा उनके अल्प समापन के पश्चात विचार योग्य थे।

¹ सभी उत्तर-पूर्वी राज्य, सिक्किम, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर।

- (बी.) आर-ए पी डी आर पी योजना के परिचालन व कार्यान्वयन के लिये, विद्युत मंत्रालय (एम ओ पी) के संपूर्ण मार्गदर्शन के अंतर्गत पी एफ सी नोडल एजेंसी थी। परियोजनाओं को जल्दी व समय से पूर्ण करने तथा प्रायोगिकियों को नुकसान घटाने के लक्ष्यों व योजना के अन्य मापदंडों में सहायता देने के लिये पी एफ सी द्वारा पहल किया जाना अपेक्षित था।
- (सी) योजना का निरीक्षण सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता के अंतर्गत आर-ए पी डी आर पी की संचालन समिति द्वारा किया जाना था जिसमें वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ), नीति आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए), पी एफ सी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर ई सी), चयनित राज्य सरकारों (एक वर्ष के रोटेशन आधार पर) के प्रतिनिधि शामिल थे। संचालन समिति को आवश्यक शर्तों के पूरा होने पर परियोजनाओं को स्वीकृति देनी थी, योजना के कार्यान्वयन की निगरानी व समीक्षा करनी थी, सलाहकारों, कार्यान्वयन एजेंसियों, स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों के पैनल को अनुमोदित करना था तथा आवश्यक शर्तें पूर्ण होने पर ऋण को अनुदान में परिवर्तित करने की स्वीकृति देनी थी।
- (डी) आर-ए पी डी आर पी योजना के अंतर्गत, प्रायोगिकियों को, परियोजनाओं की प्राथमिकता को दर्शाते हुए प्रत्येक परियोजना क्षेत्र के लिये, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (डी पी आर) को पी एफ सी को भेजते समय, दो भागों (अर्थात् भाग ए एवं भाग बी) में तैयार करना था। भाग ए परियोजनाओं के लिये प्रायोगिकियों को या तो डी पी आर स्वयं बनानी थीं अथवा पी एफ सी द्वारा बनाए गए आई टी सलाहकारों के पैनल से खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त आई टी सलाहकारों (आई टी सी) से तैयार करवा सकती थीं। भाग बी परियोजनाओं के लिये डी पी आर आंतरिक रूप से ही तैयार किये जाने थे। डी पी आर को तब पी एफ सी द्वारा तकनीकी-व्यावसायिक रूप से अधिमानित एवं मूल्यांकित किया जाना था तथा अनुमोदन हेतु आर ए पी डी आर पी की संचालन समिति को प्रस्तुत किया जाना था। एस ई बी/प्रायोगिकियों को भाग ए के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का कार्यान्वयन आई टी कार्यान्वयन एजेंसी (आई टी आई ए) के माध्यम से तथा भाग-बी परियोजनाओं को स्वयं टर्नकी आधार पर करना था।
- (ई) स्वीकृत भाग ए परियोजनाओं के लिये, निधियों के 100 प्रतिशत को जी ओ आई द्वारा ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाना था। एक बार भाग ए परियोजना के तीन वर्षों के भीतर पूर्ण होने पर तथा स्वतंत्र एजेंसी द्वारा विकसित प्रणाली का सत्यापन हो जाने पर, ऋण को अनुदान में परिवर्तित किया जाना था। भाग बी परियोजनाओं के लिये, निधि का 25 प्रतिशत (विशेष श्रेणी राज्यों के लिये 90 प्रतिशत तक) जी ओ आई द्वारा ऋण के

रूप में उपलब्ध कराया जाना था जिसमें शेष निधियाँ वित्तीय संस्थानों (पी एफ सी, आर ई सी को शामिल कर) तथा या अपने संसाधनों से प्राप्त की जानी थी। यदि परियोजना क्षेत्र में पांच वर्षों के लिए 15 प्रतिशत के कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए टी व सी) घाटे के लक्ष्य को सतत रूप से प्राप्त किया गया हो तो भाग बी परियोजनाओं के विरुद्ध 50 प्रतिशत के ऋण (विशेष श्रेणी राज्यों के लिये 90 प्रतिशत तक) को अनुदान में परिवर्तित करना था।

(एफ) आर-ए पी डी आर पी के कार्यान्वयन हेतु एस ई बी/प्रायोगिकियों, जी ओ आई, पी एफ सी तथा राज्य सरकारों के बीच एक चतुष्पक्षीय करार (क्यू ए) होना था। क्यू ए को हस्ताक्षरित करना निधियों को निर्गत करने के लिये एक पूर्व शर्त थी। एम ओ पी/पी एफ सी को निधियों को निर्गत करने से पहले क्यू ए में सहमत पूर्व शर्तों के कार्यान्वयन की निगरानी करनी थी। यदि आवश्यक समझा गया तो एम ओ पी, आर-ए पी डी आर पी के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर ऐसी शर्तों को लागू कर सकता था जो सही समझी जाएँ।


(जी) आर-ए पी डी आर पी में निम्नलिखित के सत्यापन के लिये पी एफ सी के माध्यम से एम ओ पी द्वारा तृतीय पक्षीय स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी (टी पी आई ई ए) की नियुक्ति की व्यवस्था है:

(i) परियोजना क्षेत्र के ए टी एण्ड सी घाटे के आधार (प्रारंभिक) आँकड़े भाग बी परियोजनाएं नोडल एजेंसी के माध्यम से, एम ओ पी द्वारा, ए टी एण्ड सी के प्रारंभिक घाटे के सत्यापन के पश्चात ली जानी थी; तथा

(ii) भाग-ए परियोजनाओं के समापन के पश्चात परियोजना क्षेत्रों के वार्षिक ए टी एण्ड सी घाटे के सत्यापन हेतु।

(एच) उन शहरों में जहां ए टी एण्ड सी घाटे का स्तर 15 प्रतिशत से नीचे लाया गया है वहां प्रायोगिकी स्टाफ को प्रोत्साहन देना भी योजना में विचारित था। इस उद्देश्य के लिए भाग-बी परियोजनाओं हेतु अनुदान का अधिकतम 2 प्रतिशत आवंटित किया गया था। प्रायोगिकी से अपेक्षित था कि वे उपयुक्त रूप से विचारित प्रोत्साहन योजना के अनुसार इन निधियों का मिलान करें और उसे अपने कर्मचारियों के बीच वितरित करें।

आर ए पी डी आर पी का कार्यान्वयन नीचे दिये गए चित्रण अनुसार है:-



स्रोत: पावर फाइनेंस कारपोरेशन

1.3 आर-ए पी डी आर पी का निधिकरण

आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सी सी ई ए) के दिनांक 30 जुलाई 2008 को आर-ए पी डी आर पी योजना को दिये गये अनुमोदन के अनुसार योजना के लिये XI योजना के दौरान ₹51,577 करोड़ का व्यय उपलब्ध कराया गया था।

मई 2013 के अनुगामी सी सी ई ए नोट द्वारा ₹28,424 करोड़ (XI एवं XII योजना अवधि दोनों के लिए, 2008-17) का जी ओ आई अनुदान समाविष्ट करते हुए ₹44,011 करोड़ का व्यय प्रस्तावित किया। मार्च 2015 तक, एम ओ पी ने परियोजना पर ₹8175.45 करोड़ निर्गत किये।

1.4 एकीकृत विद्युत विकास योजना

भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में एक नवीन योजना 'एकीकृत विद्युत विकास योजना' (आई पी डी एस) का आरंभ किया तथा इस योजना में आर-ए पी डी आर पी योजना को वितरण क्षेत्र की आई टी सक्षमता व वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण से संबंधित एक अलग घटक के रूप में समाविष्ट किया गया था। इसके अतिरिक्त, आई पी डी एस के दो अन्य घटक थे जैसे कि, शहरी क्षेत्रों में उप-संप्रेषण एवं वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण; तथा शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रॉसफार्मर/फीडर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग करना।

अध्याय 2

लेखापरीक्षा पद्धति

लेखापरीक्षा पद्धति

2.1 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह आँकने हेतु प्रारंभ की गई थी कि क्या:—

- कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित नीतिगत पहल व योजना उपयुक्त व पर्याप्त थीं।
- निधियों को दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्गत किया गया था तथा क्या वह कार्य की प्रगति के अनुरूप थीं।
- परियोजनाओं का कार्यान्वयन दक्ष एवं प्रभावी रूप से हुआ था; तथा
- परियोजना की निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु तंत्र पर्याप्त था और क्या गुणवत्ता एवं समयसीमा के अनुपालन को सुनिश्चित किया गया था।

2.2. लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र व नमूना

निष्पादन लेखापरीक्षा में आर-ए पी डी आर पी योजना के प्रारंभ (दिसम्बर 2008) से लेकर 2014-15 तक की अवधि समाविष्ट है। निष्पादन लेखापरीक्षा ने 29 राज्यों को सम्मिलित किया। भाग ए तथा भाग बी परियोजनाओं के संदर्भ में, प्रत्येक राज्य में, न्यूनतम 25 परियोजनाओं के अधीन स्वीकृत परियोजनाओं के 25 प्रतिशत के एक नमूने का चयन किया गया था। उन राज्यों में जहां स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या 25 से कम थीं, वहाँ सभी परियोजनाओं को जाँच के लिये चुना गया। कुल मिलाकर, लेखापरीक्षा में 596 भाग ए परियोजनाओं, 570 भाग बी परियोजनाओं तथा 72 एस सी ए डी ए परियोजनाओं की जाँच की गई। राज्य-वार कार्यान्वयन के लिये स्वीकृत तथा लेखापरीक्षा हेतु चयनित परियोजनाओं की संख्या **अनुलग्नक-I व II** में प्रस्तुत की गई है।

2.3 लेखापरीक्षा मापदंड के स्रोत

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मापदंड के प्रमुख स्रोत थे:-

- आर- ए पी डी आर पी दिशा-निर्देश;
- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी पी आर), चतुष्पक्षीय करार (क्यू ए) तथा राज्य विद्युत बोर्डों (एस ई बी) के साथ समझौता ज्ञापन(एम ओ ए);
- विद्युत अधिनियम, 2003;
- सामान्य वित्तीय नियम, 2005 (जी एफ आर);
- बेसलाईन ए टी एण्ड सी घाटों को ज्ञात करने हेतु पद्धति; तथा
- एम ओ पी, पी एफ सी तथा प्रायोगिकियों में योजना से संबंधित रिकार्ड तथा पत्राचार।

2.4 लेखापरीक्षा पद्धति

मई 2015 में निष्पादन लेखापरीक्षा आरंभ की गई थी। निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रारंभ एम ओ पी के साथ मई 2015 में एक उद्घाटन सम्मेलन के साथ हुआ जिसमें नोडल एजेंसी पी एफ सी, के अधिकारी भी उपस्थित थे। उद्घाटन सम्मेलन में लेखापरीक्षा पद्धति, कार्यक्षेत्र, उद्देश्यों तथा मापदंडों पर चर्चा की गई।

एम ओ पी/पी एफ सी राज्यों में एस ई बी/राज्य विद्युत विभागों (एस ई डी) तथा वितरण कम्पनियों (प्रायोगिकियों/डिस्कॉमों) पर लेखापरीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का मसौदा एम ओ पी को फरवरी 2016 में जारी किया गया तथा एम ओ पी से उत्तर अप्रैल, 2016 में प्राप्त हुए। मई 2016 में एम ओ पी के साथ एक समापन सम्मेलन किया गया जहां लेखापरीक्षा जांच-परिणामों तथा अनुशंसाओं पर चर्चा की गई। समापन सम्मलेन में पी एफ सी के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। राज्य लेखापरीक्षा कार्यालयों ने भी संबंधित प्रायोगिकियों/एस ई बी (प्रायोगिकियों) के साथ उद्घाटन/समापन सम्मेलनों का आयोजन किया।

लेखापरीक्षा, एम ओ पी, पी एफ सी, प्रायोगिकियों तथा/अथवा राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा इस लेखापरीक्षा के संचालन हेतु प्रदान किये गए सहयोग को अभिस्वीकृत करती है।

अध्याय 3

वित्तीय प्रबंधन

वित्तीय प्रबंधन

3.1 निधियों का निर्गमन एवं उपयोग

XI योजना अवधि (2008–12) पर आर ए पी डी आर पी योजना के लिए सकल बजटीय सहायता (जी बी एस) की अनुमानित आवश्यकता ₹31,577 करोड़ थी। आर-ए पी डी आर पी योजना को जारी रखने के लिए मई 2013 के सी सी ई ए नोट में प्रस्तावित था कि योजना (2008–17) के लिए अपेक्षित अनुमानित व्यय जी ओ आई के ₹28,424 करोड़ के अनुदान सहित ₹44,011 करोड़ होगा। 2008–15 (दिसंबर 2014 से योजना को आई पी डी एस में सम्मिलित कर लिया गया था) तक बजट विहित अनुमान और वास्तविक निर्गमन, हालांकि बहुत कम थे, जैसा कि निम्न तालिका में प्रस्तुत है:-

तालिका 1: आर-ए पी डी आर पी के अंतर्गत बजट विहित निधि एवं निधियों के निर्गमन का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान		निर्गमित	
	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
2008-09 ²	0	1.00	325.00	25.00
2009-10	1,650.00	80.00	1,321.09	1.26
2010-11	3,600.00	100.00	2,256.79	100.00
2011-12	1,959.00	75.00	1,600.00	67.87
2012-13	2,997.00	117.00	1,217.45	17.04
2013-14	500.00	75.00	640.00	8.70
2014-15	1,116.54	144.50	578.47	16.78
कुल	11,822.54	592.50	7,938.80	236.65
		12,415.04		8,175.45

² ऋण एवं अनुदान हेतु क्रमशः ₹ 325.00 करोड़ तथा ₹ 25.00 करोड़ की सप्लीमेन्ट्री ली गयी

2008-15 के लिए बजटीय अनुमान ₹12,415.04 करोड़ (2008-17 की अवधि के लिए प्रस्तावित ₹28,424 करोड़ के संशोधित जी बी एस का 43.68 प्रतिशत) था। 2008-15 के दौरान वास्तविक निर्गमन केवल ₹8,175.45 करोड़ था जो बजट आबंटन का केवल 65.85 प्रतिशत था। व्यय के बदले में कम बजट आबंटन तथा योजना के लिए और भी कम निधियों को निर्गत करने के कारण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे।

2007 की सी ए जी प्रतिवेदन संख्या 16 पर विचार करते समय पी ए सी द्वारा भी यह टिप्पणी की गई थी कि ए पी डी आर पी योजना में निर्धारित निधियों के कम उपयोग से लक्ष्यों की प्राप्ति न हो सकी। उपरोक्त से यह प्रकट होता है कि निर्धारित निधियों के उपयोग के संबंध में आर-ए पी डी आर पी के अंतर्गत भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ था।

एम ओ पी ने कहा (मार्च 2016) कि ₹44,011 करोड़ के संशोधित कार्यक्रम आकार के विरुद्ध भाग ए और बी परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत 31 मार्च 2015 तक ₹39,244 करोड़ थी जिसमें स्वीकृत जी ओ आई ऋण घटक ₹17,855 करोड़ (कुल संस्वीकृत लागत का 45.49 प्रतिशत) था। भाग-बी के लिए शेष राशि बैंक/वित्तीय संस्थानों (एफ आई)/स्वयं के संसाधनों से प्रायोगिकियों द्वारा व्यवस्थित की जानी थी। एम ओ पी ने आगे कहा कि ₹17,855 करोड़ के स्वीकृत जी ओ आई ऋण के विरुद्ध एम ओ पी का विहित बजट ₹11,822.54 करोड़ (बी ई) था तथा संशोधित बजट अनुमान ₹8,346.57 करोड़ था जो स्वीकृत जी ओ आई ऋण घटक का 47 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, ₹8,346.57 करोड़ के संशोधित बजट अनुमान के विरुद्ध जी ओ आई ऋण निर्गमन ₹7,938.79 करोड़ था जो आर ई बजट का 95 प्रतिशत और कुल स्वीकृत जी ओ आई ऋण का लगभग 44.46 प्रतिशत है।

तथ्य यह है कि एम ओ पी छह वर्षों की अवधि में भी इस योजना के तहत आवंटित निधियों का पूरी तरह से उपयोग करने में विफल रहा तथा योजना का कार्यान्वयन धीमा था।

3.2 योजना के भाग सी के अंतर्गत उपगत व्यय

भाग सी के अंतर्गत गतिविधियों को सक्षम बनाने के लिए ₹1,177 करोड़ आवंटित किये गए थे जैसा कि नीचे दिया गया है:

- योजना की परिचालनशीलता, बेसलाईन डाटा प्रणाली का विधिमान्यकरण व परियोजना क्षेत्रों के ए टी एण्ड सी हानि के आँकड़ों का वार्षिक सत्यापन, परियोजना प्रस्तावों को जाँचने, परियोजनाओं एवं एम आई एस आदि के कार्यान्वयन की निगरानी को जाँचने के लिए सलाहकार एवं परियोजना प्रबंधन सलाहकारों की नियुक्ति के लिए पी एफ सी द्वारा दी गई सेवाओं हेतु ₹850 करोड़;

- क्षमता निर्माण एवं विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति के विकास तथा भारत व विदेशों के भीतर विद्युत वितरण में नवीनतम विकास की अभिज्ञता के लिए ₹200 करोड़;
- नवीन परिवर्तनों को अपनाने के लिए कुछ प्रायोगिक परियोजनाओं हेतु ₹50 करोड़ (दिनांक 8 जुलाई 2013 के एम ओ पी आदेश द्वारा ₹250 करोड़ तक बढ़ा दिया गया) तथा
- विविध गतिविधियों जैसे कि 'श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों' की कार्यशालाओं व सम्मेलनों, उपभोक्ता प्रवृत्ति सर्वेक्षण, परियोजना विशिष्ट मूल्यांकन तथा उपकरण एवं अनुबंधात्मक दस्तावेजों के विशेष विवरण के मानकीकरण के लिए ₹77 करोड़।

₹1,177 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध, एम ओ पी ने मार्च 2015 तक केवल ₹236.65 करोड़ ही निर्गत किये।

3.3 राज्यों में निधियों के निर्गमन एवं उपयोग में चूक

ऋणों के निर्गमन/वितरण से संबंधित क्यू ए के 'नियमों एवं शर्तों' के खण्ड-2 में अन्य बातों के साथ यह उपलब्ध था कि भाग-ए परियोजनाओं के मामले में परियोजना के अनुमोदन पर परियोजना लागत के 30 प्रतिशत अग्रिम को जी ओ आई ऋण के रूप में निर्गमित किया जा सकता है। इसी तरह, भाग-बी परियोजनाओं के मामले में परियोजना के अनुमोदन पर परियोजना लागत के 30 प्रतिशत को विशेष श्रेणी के राज्यों में और 15 प्रतिशत अन्य राज्यों में अग्रिम जी ओ आई ऋण के रूप में निर्गमित किया जा सकता है। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मुद्दों को पाया:

3.3.1 केवल पहली किस्त का निर्गमन

रिकॉर्डों की जांच से यह पता चला कि चयनित नमूने में से 198 भाग-ए परियोजनाओं, 317 भाग-बी परियोजनाओं और 47 एस सी ए डी ए परियोजनाओं की केवल पहली किस्त की राशि ₹3808.71 करोड़ को अग्रिम राशि के रूप में निर्गमित किया गया था जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 2: परियोजनाएं जिनमें केवल पहली किस्त निर्गत की गई थी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जी ओ आई द्वारा निर्गत की गई पहली किस्त								
	भाग-ए जी ओ आई द्वारा 100 प्रतिशत वित्तपोषित			भाग-बी जी ओ आई द्वारा 25 प्रतिशत वित्तपोषित			एस सी ए डी ए जी ओ आई द्वारा 100 प्रतिशत वित्तपोषित		
	परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की संचित संख्या	निर्गमित राशि	परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की संचित संख्या	निर्गमित राशि	परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की संचित संख्या	निर्गमित राशि
2009	60	60	169.34	-	-	--	5	5	45.27
2010	104	164	168.26	51	51	186.61	--	5	--
2011	18	182	20.58	159	210	1,402.11	18	23	144.43
2012	4	186	4.51	30	240	478.74	18	41	113.92
2013	--	186	--	37	277	170.53	--	41	--
2014	12	198	31.69	27	304	122.66	3	44	12.14
2015	--	198	-	13	317	316.20	3	47	421.72
कुल	198		394.38	317		2,676.85	47		737.48

भाग-ए परियोजनाओं को स्वीकृति के तीन वर्ष के भीतर पूरा किया जाना था। जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, 186 भाग-ए और 41 एस सी ए डी ए परियोजनाओं के लिए, यद्यपि पहले निर्गमन के तीन या अधिक वर्षों के बीत जाने पर केवल पहली किस्त ही निर्गत की गई थी। तब से कोई अतिरिक्त निधि निर्गत नहीं की गई है। यह भी देखा गया कि भाग-बी की परियोजनाएँ छह वर्षों तक लंबित रही।

एम ओ पी ने (मार्च 2016) कहा कि भाग-बी परियोजनाओं के संदर्भ में, कार्यान्वयन अवधि 5 वर्ष है और परियोजना लागत (विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 90 प्रतिशत तक) के 25 प्रतिशत को जी ओ आई ऋण के रूप में दिया गया तथा शेष निधियों को प्रायोगिकियों द्वारा समकक्ष निधि के रूप में अन्य स्रोतों से जैसे:- पी एफ सी/आर ई सी/बैंक/स्वयं के संसाधनों द्वारा एकत्र किया जाना था। इस प्रकार, भाग-बी परियोजनाओं के मामले में, जी ओ आई से ऋण (15 प्रतिशत) की प्रारंभिक अग्रिम के निर्गमन के बाद, अधिकांश निधिकरण (75 प्रतिशत) समकक्ष निधियों से था तथा प्रायोगिकियाँ परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उसका लाभ उठा रही थीं। अतः अधिकांश भाग बी परियोजनाओं में विगत 10 प्रतिशत जी ओ आई ऋण अभी तक देय नहीं था।

एम ओ पी के उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि:

- नमूना जाँच मामलों में जी ओ आई द्वारा 100 प्रतिशत निधिकरण के साथ भाग-ए और एस सी ए डी ए परियोजनाएँ सम्मिलित हैं, जिनके पूर्ण होने की अवधि तीन वर्ष थी और जहाँ दूसरी किस्त को परियोजनाओं की स्वीकृति की तारीख से चार से सात वर्षों के बीत जाने

के बाद भी निर्गत नहीं किया गया था जिससे इन परियोजनाओं के पूर्ण होने में संदेह होता है।

- तालिका भाग-बी परियोजनाओं को भी दर्शाती है जहाँ पहली किस्त पाँच वर्ष पहले ही निर्गत कर दी गयी थी और इसलिए इन परियोजनाओं को योजना के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए।

3.3.2 अलग-अलग बैंक खाते

आर-ए पी डी आर पी दिशानिर्देशों की खंड संख्या 13.0 (बी) के अनुसार, निधियों की प्राप्ति और उपयोग के लिए प्रायोगिकियों को अलग बैंक खाते (एस्करो खाते) खोलने थे। तथापि, यह, पाया गया कि

- महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एम एस ई डी सी एल) ने केवल पी एफ सी से निधियों को प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए बैंक में एक अलग "चालू" खाता संचालित किया। ₹ 5,000 का एक न्यूनतम शेष बनाए रखने के बाद, पी एफ सी से प्राप्त निधियों को, स्थायी अनुदेश के माध्यम से एम एस ई डी सी एल के दूसरे परिचालित खाते में स्वचालित रूप से स्थानांतरित कर दिया गया था जो अन्य योजनाओं, परिचालन एवं अनुरक्षण (ओ एण्ड एम) और एम एस ई डी सी एल के अन्य खर्चों के लिए एक समान था। साधारण परिचालित खाते में निधियों का एकत्रीकरण योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

एम एस ई डी सी एल ने उत्तर दिया कि निधियाँ नगद ऋण खाते में स्थानांतरित की गयी थी क्योंकि बचत खाते के संदर्भ में ब्याज दरें 4 से 5 प्रतिशत के विरुद्ध 10 से 11.50 प्रतिशत के बीच थीं। यह भी कहा गया कि निधियों के विपथन के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब नहीं हुआ था और कहा कि योजना दिशानिर्देशों का भविष्य की योजनाओं के लिए अनुकरण किया जाएगा।

- छत्तीसगढ़ में, फरवरी 2013 से मार्च 2015 तक आर-ए पी डी आर पी निधि के रूप में प्राप्त ₹304.67 करोड़ को प्रारम्भ में प्रायोगिकी के ओवर ड्राफ्ट खाते में रखा गया था। ₹304.67 करोड़ की आर-ए पी डी आर पी निधियों में से ₹ 233.19 करोड़ को आर-ए पी डी आर पी के योजना खाते में हस्तांतरित किया गया और ₹ 71.48 करोड़ की शेष निधि अगस्त 2015 तक ओवर ड्राफ्ट खाते में पड़ी हुई थी। स्पष्ट रूप से, प्रायोगिकी ने योजना निधि का उपयोग स्वयं के ओवर ड्राफ्ट को कम करने के लिए किया। योजना निधि के लिए अलग से खोले गए खाते के बजाए प्रायोगिकी के ओवर ड्राफ्ट खाते में योजना निधि को जमा कराने से प्रायोगिकी को योजना की लागत पर लाभ हुआ।

एम ओ पी ने कहा (मार्च 2016) कि प्रायोगिकी को लेखापरीक्षा अवलोकन को ध्यान में रखते हुए योजना के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने की सलाह दी गई थी।

लेखापरीक्षा का मत है कि उन मामलों में जहां एक अलग खाते में आर-ए पी डी आर पी निधियों को रखने के कारण उच्च ब्याज अर्जित किया गया था वहाँ ऐसे ब्याज को आर-ए पी डी आर पी खाते में जमा करना आवश्यक था।

3.3.3 समकक्ष निधिकरण

योजना की शर्तों के अनुसार, परियोजनाओं के कार्यान्वयन से पहले एस ई बी/प्रायोगिकियों, जी ओ आई, पी एफ सी और राज्य सरकार के बीच एक चतुष्पक्षीय अनुबंध (क्यू ए) होना था। आर-ए पी डी आर पी के अंतर्गत निधियों के निर्गमन के लिए क्यू ए पर हस्ताक्षर एक पूर्वापेक्षा थी। विद्युत मंत्रालय/पी एफ सी को, निधियों के निर्गमन से पहले क्यू ए में सहमत की गई पूर्व शर्तों के अनुपालन की निगरानी करनी थी।

चतुष्पक्षीय अनुबंध के खंड 5.3 में प्रावधान था कि प्रायोगिकी सुनिश्चित करेगी कि भाग-बी परियोजनाओं की शेष निधियाँ (पी एफ सी/आर ई सी/बहुपक्षीय संस्थानों और/या स्वयं के संसाधनों से एकत्रित) परियोजना की स्वीकृति के दो माह के भीतर पूर्ण रूप से सीमित कर दी जाएँगी तथा समकक्ष निधिकरण हेतु वित्तीय संस्थानों (एफ आई) के साथ किये गए करार को नोडल एजेंसी के साथ किए गए ऋण करार में संलग्न कर दिया जाएगा।

यह पाया गया कि आठ राज्यों में, यद्यपि भाग-बी परियोजनाओं की पहली किस्त 2010 से 2014 (अनुलग्नक-III) के दौरान जारी की गयी थी, फिर भी ना तो पी एफ सी और ना ही एम ओ पी को ऐसी कोई जानकारी थी कि क्या अपेक्षित समकक्ष निधिकरण को वास्तव में तय कर दिया गया था।

पी एफ सी ने उत्तर (अक्टूबर और नवम्बर 2015) में कहा कि उसने प्रायोगिकियों से इस प्रभाव के साथ परिवचन लिया कि समकक्ष निधिकरण को परियोजना की स्वीकृति के दो माह के भीतर तय कर दिया जाएगा। केवल पी एफ सी द्वारा बढ़ाए गए समकक्ष ऋण के ब्यौरों का अनुरक्षण उनके द्वारा किया गया था। उन्होंने विभिन्न मंचों, समीक्षा बैठकों और ईमेल के जरिए, सतत् आधार पर भाग-बी परियोजनाओं के लिए शेष निधियों को सीमित करने की समीक्षा की। जी ओ आई ऋण अनुबंध के साथ समकक्ष ऋण अनुबंध की संलग्नता की आवश्यकता किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं करती है क्योंकि वित्तीय संस्थाओं से भाग-बी के समकक्ष ऋणों को वित्तीय संस्थाओं की विशेष शर्तों द्वारा संचालित किया जाना है। यथा अपेक्षित समकक्ष निधिकरण के ब्यौरों को ऋण के अनुदान में रूपांतरण के समय प्राप्त किया जायेगा।

एम ओ पी ने (मार्च 2016) कहा कि:

- परियोजनाओं का स्वामी होने के नाते, समकक्ष निधि को तय करने का दायित्व प्रायोगिकी पर है ना कि पी एफ सी पर। समकक्ष निधि को तय करने के संदर्भ में पी एफ सी प्रायोगिकियों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाओं का अनुरक्षण कर रही है।
- क्यू ए के अनुसार प्रायोगिकियों को भाग-बी परियोजनाओं की स्वीकृति से दो माह के भीतर समकक्ष निधि को तय करना सुनिश्चित करना था। इसे 6 अगस्त 2013 को आयोजित संचालन समिति की 28 वीं बैठक में संशोधित किया गया था जब प्रायोगिकियों द्वारा भाग-बी परियोजनाओं के अवॉर्ड से दो माह के भीतर प्रायोगिकियों को समकक्ष निधि को तय करने को सुनिश्चित करने की अनुमति दी गई थी।
- प्रायोगिकियों से अपेक्षित है कि वह ऋण के अनुदान में रूपांतरण या जी ओ आई ऋण की अगली किस्त के लिए दावों को प्रस्तुत करते समय समकक्ष निधि का विवरण प्रस्तुत करें। पी एफ सी, भाग-बी परियोजनाओं के लिए जी ओ आई ऋण की अगली ट्रेच को निर्गत करने की प्रक्रिया करते समय यह सुनिश्चित करे कि प्रायोगिकी ने आर-ए पी डी आर पी दिशानिर्देशों के अनुसार समकक्ष निधियों को तय एवं उसका उपयोग किया था।

उपर्युक्त उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि

- समकक्ष निधिकरण को तय न करने से परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रायोगिकी पर वित्तीय संकट आ सकता है और समय पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निधि के निर्गमन से पहले जैसा इस योजना में परिकल्पित है, एम ओ पी, पी एफ सी के द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।
- आर-ए पी डी आर पी दिशानिर्देशों के पैरा 4.0 (सी) के अनुसार एम ओ पी और पी एफ सी की निधि जारी करने से पहले, चतुष्पक्षीय करार में सहमत की गयी पूर्ववर्ती शर्तों के कार्यान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी पी एफ सी की थी। इसलिए, पी एफ सी पर निगरानी करने का दायित्व था कि उन मामलों में जहाँ निधि भाग 'बी' परियोजनाओं के अंतर्गत निर्गत की गई थीं, वहाँ प्रायोगिकियों द्वारा समकक्ष निधिकरण तय किया गया था, या नहीं।
- पी एफ सी का तर्क कि "जी ओ आई ऋण करार के साथ समकक्ष ऋण करार की संलग्नता की आवश्यकता किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं करती है" स्वीकार नहीं है, क्योंकि ऐसा अनुबंध एम ओ पी/पी एफ सी को आश्वस्त करता है कि परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध था।

- पी एफ सी का तर्क कि एफ आई से समकक्ष ऋण, को एफ आई से संबंधित शर्तों के द्वारा संचालित किया जाना था, को इस तथ्य के प्रकाश में भी देखे जाने की आवश्यकता है कि समकक्ष ऋण भी निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर ऋण से अनुदान में रूपांतरण का पात्र था।

3.4 प्रायोगिकी द्वारा कार्यों का हस्तांतरण/परित्याग

क्यू ए के खंड 16.0 में, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुबद्ध है कि प्रायोगिकी पी एफ सी की लिखित सहमति के बिना किसी भी स्तर पर, परियोजना का हस्तांतरण या परित्याग नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त, जब परियोजनाओं का हस्तांतरण या परित्याग किया गया है, तब पी एफ सी को प्रायोगिकियों से संपूर्ण बकाया देय का पुनर्भुगतान किया जाना था।

यह पाया गया कि **तमिलनाडु** के 24 शहरों की परियोजनाओं को संचालन समिति द्वारा निरस्त कर दिया गया था क्योंकि इन शहरों में टी पी आई ई ए द्वारा सत्यापित ए टी व सी घाटे 15 प्रतिशत से कम थे। हालांकि, इन शहरों के लिए निर्गत की गई ₹163.95 करोड़ की निधि को पी एफ सी द्वारा वसूल/समायोजित किया जाना, शेष था।

एम ओ पी ने (मार्च 2016) कहा कि पी एफ सी ऋण लाभों सहित उपार्जित ब्याज की वसूली के लिए तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम (टी ए एन जी ई डी सी ओ) से नियमित रूप से बातचीत कर रहा है।

3.5 निधियों का विपथन

चतुष्पक्षीय अनुबंध (क्यू ए) के पैरा 12 (जी) में विचारित था कि आर-ए पी डी आर पी के अंतर्गत प्रायोगिकी को उपलब्ध कराई गई निधि को किसी अन्य योजना या उद्देश्य के लिए विपथित नहीं किया जाएगा।

29 राज्यों कि लेखापरीक्षा संवीक्षा ने 8 राज्यों (**अनुलग्नक-IV**) में ₹535.39 करोड़ की निधियों के विपथन के मामलों को दर्शाया जिसमें से मार्च 2015 तक केवल ₹368.54 करोड़ के संदर्भ में ही वसूली की गई।

एम ओ पी की वर्ष 2011-12 की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह भी देखा गया कि पाँच मामलों में अलग-अलग राज्यों में ₹1,365.52 करोड़ की राशि का विपथन हुआ था जैसा कि नीचे वर्णित है-

तालिका 3: आर-ए पी डी आर पी निधियों के विपथन के मामले

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य (प्रायोगिकी)	विपथित राशि
1.	तमिलनाडु (टी ए एन जी ई डी सी ओ)	572.91
2.	महाराष्ट्र (एम एस ई डी सी एल)	540.38
3.	आन्ध्रप्रदेश (अब तेलंगाना) (ए पी सी पी डी सी एल)	124.14
4.	राजस्थान (जे वी वी एन एल)	104.94
5.	कर्नाटक (बी ई एस सी ओ एम)	23.15
कुल		1,365.52

एम ओ पी ने यह कहते हुए (मार्च 2016) कि पी एफ सी ने राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु की प्रायोगिकियों से स्पष्टीकरण मांगे थे, कहा कि पी एफ सी ने सुझाव दिया था कि जब तक प्रायोगिकी समयबद्ध रीति से अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करती रहेगी तब तक प्रायोगिकी द्वारा निधि प्रबंधन उसकी अपनी नीतियों के अनुसार स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि प्रायोगिकी जी ओ आई ऋण पर ब्याज का जोखिम ले रही थी। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि पी एफ सी/एम ओ पी, बैंक खातों पर कोई भी प्रत्यक्ष परिचालन नियंत्रण नहीं रख सकता क्योंकि उनका संबंधित प्रायोगिकियों द्वारा प्रबंधन किया जाता है।

एम ओ पी का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए निधियों के विपथन के विशिष्ट मामलों के मुद्दों को संबोधित नहीं करता। इसके अतिरिक्त, यद्यपि निधि प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित प्रायोगिकी की है, फिर भी एम ओ पी/पी एफ सी योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप निधियों के उपयोग को सुनिश्चित करने से स्वयं को पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व से विमुक्त नहीं कर सकती।

3.6 परियोजनाओं का परस्पर व्यापन

यह देखा गया था कि असम में आर-ए पी डी आर पी के अंतर्गत ली गई परियोजनाओं को अन्य योजनाओं के अंतर्गत भी लिया गया था, जैसे नीचे दर्शाया गया है—

तालिका 4: परियोजनाओं के परस्पर व्यापन को दर्शाते मामले

परियोजना/परियोजना का भाग	परियोजना/परियोजना का मूल्य	अन्य योजनाएँ जो इसमें सम्मिलित थीं
डींग में भाग बी परियोजना 33/11 के वी सब-स्टेशन के लिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर (वी सी बी) की 9 इकाई की आपूर्ति एवं प्रतिस्थापन	₹ 30.05 लाख	एशियन डेवलपमेंट बैंक (ए डी बी) के अंतर्गत योजना। ए डी बी परियोजना के अंतर्गत प्राप्त की गई सामग्री को स्टैंड बाई पर रखा गया है।
डिब्रू गढ़ में भाग बी परियोजना-एक 5 एम वी ए पी टी आर की आपूर्ति एवं प्रतिस्थापन	₹ 57.96 लाख	एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत योजना। आर-ए पी डी आर पी के अंतर्गत प्राप्त सामग्री को संबंधित परियोजनाओं के रिंग फेंस के बाहर स्थापित किया गया।
बोंगाई गाँव परियोजना क्षेत्र 33 के वी वी सी बी और 11 के वी बाहरी वी सी बी की आपूर्ति और प्रतिस्थापन	₹ 6.82 लाख	

एम ओ पी ने कहा (मार्च 2016) कि पी एफ सी ने प्रायोगिकियों द्वारा प्रस्तुत की गई डी पी आर के आधार पर परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। आगे कहा कि प्रायोगिकी निर्धारित प्रारूप में दावों को इस प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करती हैं कि इन मदों का दावा किसी अन्य स्रोतों से नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त यह भी कहा कि संबंधित प्रायोगिकियों को लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए विशिष्ट मुद्दों के उत्तर देने की आवश्यकता है।

यद्यपि यह सत्य है कि डी पी आर को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रायोगिकियों की है, लेकिन एम ओ पी एवं पी एफ सी को योजना के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी करने की आवश्यकता है जिससे इस प्रकार की योजनाओं के परस्पर व्यापन को टाला जा सके तथा योजना निधि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

3.7 निर्गत की गई निधियों का अनुबंध की शर्तों के साथ सामंजस्य न होना

कुछ राज्यों में निधियों को निर्गत करने को पाया गया था जो करार में निर्धारित माइलस्टोन/शर्तों के साथ सामंजस्य में नहीं थे जैसा कि निम्नानुसार है:-

आन्ध्र प्रदेश

- जैसा कि करार में अपेक्षित है कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा कार्यालय स्थल की स्थापना के बिना ही, एस सी ए डी ए/वितरण प्रबंधन प्रणाली (डी एम एस) के कार्यान्वयन एजेंसी-मैसर्स केमट्रोल्स इंटरस्ट्रीज लिमिटेड को ₹2.83 करोड़ का अग्रिम निर्गत कर दिया गया था।

छत्तीसगढ़

- यद्यपि 32 शहरों/मामलों में परियोजनाओं के रद्द होने/अन्य कारणों से ₹ 27.98 करोड़ की वसूली प्रायोगिकियों से की जानी थी फिर भी पिछले निर्गमनों को समायोजित किये बिना ₹545.48 करोड़ और निर्गत कर दिये गए।
- ₹1.31 करोड़ का जुर्माना भाग बी के छः शहरों/मामलों में लगाया गया और 1.55 करोड़ का जुर्माना भाग-ए के आई टी आई ए पर लगाया गया जिन्हें पी एफ सी द्वारा बाद में जारी की गई निधियों में समायोजित नहीं किया गया था।
- ठेकेदार से जब्त की गई बयाना जमा राशि (ई एम डी) का योजना खाते में लेखा जोखा नहीं रखा गया था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर कोई टिप्पणी नहीं की (मार्च 2016)।

3.8 उपयोगिता प्रमाणपत्र

योजना के अंतर्गत प्रायोगिकियों को स्वीकृत ऋण के नियम एवं शर्तों में अन्य बातों के साथ यह अनुबद्ध था कि निधिकरण का प्रत्येक स्तर अगले निम्न स्तर के खातों में रखी गई निधियों पर सख्त निगरानी रखे। इसमें यह भी अनुबद्ध था कि निर्गत निधियों के विवरण, वास्तविक उपयोगिता और प्राप्त किये जा चुके भौतिक लक्ष्यों की तुलना में निर्गत निधियों आदि को वर्ष के अंत में एम ओ पी को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त जी एफ आर के नियम 226 के अनुसार, उपयोगिता प्रमाणपत्र (फार्म 19 बी में) को प्रदान किये गये ऋण के वित्त वर्ष की समाप्ति से 18 महीने तक उचित समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

यह पाया गया कि पी एफ सी द्वारा दो तरह के उपयोगिता प्रमाणपत्र एम ओ पी को प्रस्तुत किए गए थे; पहला पी एफ सी द्वारा प्रायोगिकियों को कुल वितरित की गई जी ओ आई निधियों को दर्शाता है और दूसरा प्रायोगिकियों द्वारा निधियों की उपयोगिता को दर्शाता है जैसा कि पी एफ सी को आवधिक रूप से उनसे प्राप्त हुआ था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- भारत सरकार ऋण निधियों के संबंध में पी एफ सी द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण के अनुसार, पी एफ सी ने भारत सरकार द्वारा निर्गत की गई ₹ 8,606.62 करोड़ की राशि का पूर्ण रूप से वितरण मार्च 2016 तक कर दिया था। हालाँकि, पी एफ सी द्वारा प्रायोगिकियों को निर्गत की गई निधियों के संबंध में, पी एफ सी द्वारा ₹4155.88 करोड़ (कुल निर्गत की गई निधि का 48.29 प्रतिशत) की राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र एम ओ पी को अग्रेषित किया गया था। यहाँ यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि वर्ष 2013-15 के दौरान

केवल ₹1,218.47 करोड़ के ऋण ही वितरित किये गए थे जो यह दर्शाता है कि बाकी संवितरित ऋण की राशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र अति देय थे।

- ऐसे दृष्टांत जहाँ निधियों (₹706.57 करोड़) को निर्गत जारी करने के छह वर्षों की अवधि तक भी प्रायोगिकियों से यू सी प्राप्त नहीं किये गए थे, को (अनुलग्नक-V) में प्रस्तुत किया गया है
- पी एफ सी ने निर्गत की गई निधियों, वास्तविक उपयोगिता तथा प्राप्त किये जा चुके भौतिक लक्ष्यों के संदर्भ में निर्धारित मासिक/ वार्षिक परियोजना-वार प्रतिवेदन को बनाए नहीं रखा।

पी एफ सी ने सूचित (फरवरी 2016) किया कि उनकी उद्यमिता संसाधन योजना (ई आर पी) प्रणाली में शहरवार व्यय को अलग से बनाकर नहीं रखा गया था। उसने यह भी कहा (मार्च 2016) कि परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति/ स्थिति/ मुद्दे की चर्चा/समीक्षा विभिन्न मंचों/ बैठकों/ क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों आदि में की गई और उसने पाक्षिक एम आई एस रिपोर्ट एम ओ पी को उपलब्ध कराई। इसके अतिरिक्त, पी एफ सी ने स्पष्ट किया कि निधियों के अगले निर्गमन की माँग के समय अखिल भारतीय स्वीकृतियाँ/ वितरित निधियों का विवरण एम ओ पी को समय-समय पर दिया जाता है तथा प्रायोगिकियों के उन दावों की उपयोगिता संबंधी विवरण भी प्रस्तुत किये जाते हैं जिसके लिए अगली निधि निर्गमन की माँग की गई थी।

एम ओ पी ने अपने उत्तर (मार्च 2016) में इस तथ्य को संदर्भित करते हुए कहा कि वेतन एवं लेखा कार्यालय को अगली किस्त निर्गत करने से पहले, पिछले ट्रेंच में निर्गत किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया गया था और कहा कि नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली एम ओ पी के साथ-साथ वेतन एवं लेखा कार्यालय में भी विद्यमान है।

पी एफ सी और एम ओ पी के उत्तर को निम्न तथ्यों के प्रकाश में देखे जाने की आवश्यकता है:

- जैसा कि एम ओ पी द्वारा जारी किये गए संस्वीकृति पत्रों में विचारित था, पी एफ सी ने विशिष्ट रिटर्न उपलब्ध नहीं कराए।
- उत्तर में संदर्भित पाक्षिक एम आई एस रिपोर्ट में निर्गत की गई निधियों और किए गए व्यय के बारे में कुछ भी नहीं दर्शाया।
- लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच में देखा गया कि प्रायोगिकियों ने 198 भाग-ए (नमूने का 33.22 प्रतिशत), 47 एस सी ए डी ए (नमूने का 61.11 प्रतिशत) और 317 भाग-बी (नमूने का 55.61 प्रतिशत) परियोजनाओं के लिए एक भी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था।

- एम ओ पी का उत्तर जी एफ आर के नियम 226 के प्रावधानों के अनुसार नहीं था जो अनुबद्ध करता है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र को उचित समय के भीतर उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 18 महीने से पहले, जिसमें ऋण वितरित किया गया था, को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

3.9 राज्य प्रायोगिकियों के बही खातों का निरीक्षण नहीं किया जाना

चतुष्पक्षीय अनुबंध (क्यू.ए) के पैरा 14.0 में यह अनुबंधित है कि राज्य प्रायोगिकियाँ (एस यू) अपने सभी बही खातों और उसके द्वारा अनुरक्षित अन्य दस्तावेजों को केन्द्रीय सरकार/ पी एफ सी या उसके नामित अभिकरणों की जाँच के लिए उपलब्ध रखेंगी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि पी एफ सी या इसके द्वारा नामित अभिकरण द्वारा ऐसी कोई जाँच नहीं की गई थी जिससे योजनाओं के अंतर्गत निर्गत की गई निधियों की इष्टतम उपयोगिता को सुनिश्चित किया जा सके।

पी एफ सी ने उत्तर (फरवरी 2016) दिया कि जन शक्ति की कमी तथा उनके योजनाओं के प्रचालन, समस्याओं के समाधान और वितरण प्रक्रिया आदि जैसी गतिविधियों में लीन रहने की वजह से आर-ए पी डी आर पी योजना के कार्यान्वयन से संबंधित प्रायोगिकियों के वार्षिक लेखों की जाँच नहीं की जा सकी।

तथ्य रहता है कि योजना के अन्तर्गत विचारित निरीक्षण नहीं किया गया।

3.10 ऋण का अनुदान में रूपान्तरण

ए.पी.डी.आर.पी. योजना से सम्बन्धित सी ए जी के प्रतिवेदन (2007 का प्रतिवेदन सं. 16) पर पी ए सी के अवलोकन के प्रत्युत्तर में, एम ओ पी ने कहा था कि ऋण के अनुदान में रूपान्तरण को उसके समय से पूर्ण होने से संयोजित किया गया है और समिति ने यह आशा जताई थी कि इस प्रावधान का विभिन्न परियोजनाओं और उनके समय पर पूर्ण होने पर हितकारी प्रभाव होगा।

तदनुसार, आर -ए पी डी आर पी दिशानिर्देशों में स्वीकृति के तीन वर्षों के भीतर परियोजना के पूर्ण होने पर भाग ए परियोजना के लिए ऋण के अनुदान में रूपांतरण की व्यवस्था थी। आर- ए पी डी आर पी दिशानिर्देशों के अनुसार, नोडल एजेंसी के माध्यम से एम ओ पी द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित अपेक्षित प्रणाली को स्थापित करने के बाद भाग ए परियोजनाओं को पूर्ण माना जाएगा। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किसी भी भाग ए परियोजना को पूर्णतः प्रमाणित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप ऋण के अनुदान में रूपांतरण के कोई भी मामले दृष्टिगोचर नहीं हुए तथा इसलिए, ऋण का अनुदान में रूपांतरण के लिए प्रावधान निष्फल रहा।

एम ओ पी ने उत्तर (मार्च 2016) दिया कि ऋण के अनुदान में रूपांतरण को तृतीय पक्षीय स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी-सूचना प्रौद्योगिकी (टी पी आई ई ए-आई टी) द्वारा भाग-ए की पूर्ति के सत्यापन के पश्चात आरंभ किया जाना था, जो अधिकांश राज्यों में चल रही थी जहाँ 100 प्रतिशत गाँवों को गो-लाईव घोषित किया गया था। उसने आगे कहा कि सी सी ई ए ने XII योजना में आर-ए पी डी आर पी को जारी रखने पर विचार करते समय, भाग ए की पूर्णता की अवधि को 3 से 5 वर्ष के लिए विस्तारित किया और संचालन/ निगरानी समिति को मामलों के आधार पर आर-ए पी डी आर पी के अंतर्गत परियोजनाओं की पूर्णता के लिए समय को आगे विस्तारित करने पर विचार करने का अधिकार दिया।

परियोजना के पूर्ण होने के समय का 3 वर्ष से 5 वर्षों तक विस्तारण से परियोजनाओं को समय से पूर्ण करने के लिए ऋण के अनुदान में रूपांतरण जैसे प्रेरणादायक घटक का उद्देश्य विफल हुआ। इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि 2011 (अर्थात 5 वर्ष से पहले) से पहले स्वीकृत 182 परियोजनाओं को अभी तक पूर्ण (मार्च 2016) हो चुके के रूप में प्रमाणित नहीं किया गया है।

अनुशंसाएँ

1. मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रायोगिकियाँ धनराशि जारी होने से पूर्व समकक्ष धनराशि को तय कर लें।
2. मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि सम्बन्धित प्रायोगिकियाँ उपयोगिता प्रमाण पत्र को सामान्य वित्तीय नियमों में दी गई समयसीमा के अनुसार प्रस्तुत करें।

अध्याय 4

कार्यक्रम कार्यान्वयन

कार्यक्रम कार्यान्वयन

आर.-ए.पी.डी.आर.पी. योजना को भाग 'ए' और भाग 'बी' परियोजनाओं के निष्पादन के माध्यम से लागू किया जाना था जैसा कि पिछले अध्यायों में कहा गया था। प्रायोगिकियों को स्वयं या पैनल में शामिल परामर्शदाताओं के माध्यम से इन परियोजनाओं में प्रत्येक के लिए डी.पी.आर. बनाना और उन्हें वितरण सुधार समिति (डी.आर.सी.) के माध्यम से पी.एफ.सी. को भेजना आवश्यक था। पी.एफ.सी. को डी.पी.आर. संचालन समिति को प्रस्तुत करनी थी तथा परियोजनाओं को टर्नकी करारनामे के जरिए कार्यान्वित करना था। प्रायोगिकियों द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से चयन हेतु, पावर फाईनेंस कारपोरेशन को आई.टी. परामर्शदाताओं व आई.टी. कार्यान्वयन संस्थाओं को भाग-ए परियोजनाओं हेतु पैनल में सम्मिलित करना था। परियोजनाओं (भाग-ए व बी परियोजनायें) के कार्यान्वयन के संबंध में लेखापरीक्षा जाँच परिणाम निम्न पैराग्राफ में प्रस्तुत किये गये हैं।

4.1 प्रारम्भिक गतिविधियाँ

20 अक्टूबर 2008 को आयोजित संचालन समिति की पहली बैठक में योजना के अन्तर्गत, परियोजनाओं के निरूपण और कार्यान्वयन से संबंधित बुनियादी गतिविधियों को पूर्ण करने हेतु समय सीमा निर्धारित की गई। इन गतिविधियों की तय की गई समय सीमा के अनुसार पूरा होना, परियोजना के सही समय पर कार्यान्वयन व आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण था। इन गतिविधियों के समापन में हुए विलम्ब के कारण परियोजनाओं के समापन और परियोजनाओं के विचारित लाभ की प्राप्ति में व्यापक देरी होगी।

प्रक्षेपित समय सीमा की तुलना में गतिविधियों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समय-सारणी निम्नानुसार है।

तालिका-5: परियोजनाओं के निरूपण और कार्यान्वयन हेतु मूलभूत गतिविधियों की प्रक्षेपित समय-सीमा की तुलना में उनकी प्राप्ति

गतिविधि	निर्धारित तिथि	समापन होने की वास्तविक तिथि
भाग 'ए'- परियोजनाओं के लिए आई.टी. परामर्शदाताओं का एमपैनलमेंट	28 नवम्बर 2008	9 जनवरी 2009
कार्यान्वयन एजेंसियों का एमपैनलमेंट (आई.टी. आई.ए.)	15 जनवरी 2009	20 मार्च 2009
भाग 'ए'- की परियोजनाओं के लिए मॉडल डी.पी.आर. तैयार करना	30 नवम्बर 2008	9 जनवरी 2009
भाग 'बी'- की परियोजनाओं के लिए मॉडल डी.पी.आर. तैयार करना	30 जनवरी 2009	29 जून 2009
एस.सी.ए.डी.ए परामर्शदाता को पैनल में सम्मिलित करना	31 मार्च 2009	22 दिसम्बर 2009
एस.सी.ए.डी.ए परियोजनाओं हेतु मॉडल डी.पी.आर. बनाना	30 सितम्बर 2009	14 जुलाई 2010
तृतीय पक्ष स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी का एमपैनलमेंट	15 जनवरी 2009	30 नवम्बर 2009
वितरण कर्मियों के क्षमता-निर्माण कार्यक्रम की तैयारी के लिए सलाहकार की नियुक्ति	15 अप्रैल 2009	9 सितम्बर 2009
भागीदार प्रशिक्षण संस्थानों का एमपैनलमेंट करना	30 सितम्बर 2010	18 अक्टूबर 2011

कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रारम्भिक गतिविधियों को अन्तिम रूप देने में 13 महीने तक का विलम्ब हुआ। प्रारम्भिक गतिविधियों में हुई देरी का योजना के वास्तविक कार्यान्वयन पर व्यापक प्रभाव पड़ा।

एम.ओ.पी. ने बताया (मार्च 2016) कि लगभग सभी प्रारम्भिक गतिविधियाँ पी.एफ.सी. द्वारा परामर्शदाता की सहायता द्वारा पूर्ण की गईं क्योंकि आर.-ए.पी.डी.आर.पी. भारत सरकार द्वारा शहरी वितरण क्षेत्र में की गईं अपने प्रकार की पहली आई.टी. सक्षम पहल थी और परामर्शदाताओं/संस्थाओं को पैनल में सम्मिलित करने और बोली दस्तावेज/मॉडल डी.पी.आर. रचना इत्यादि को तैयार करने में विस्तृत विचार-विमर्श और उचित तत्परता की आवश्यकता थी। जैसा कि वितरण में आई.टी. हस्तक्षेप देश में पहली बार व्यापक स्तर पर किये जा रहे थे, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विलम्ब की वजह मुख्यतः प्रायोगिकियों द्वारा निविदा को अन्तिम रूप देने में देरी, झगड़े व कोर्ट के मामले और जटिल तकनीकी समस्या के साथ-साथ कुशल मानव शक्ति की कमी इत्यादि के कारण विभिन्न गतिविधियों में कठिनाईयों का सामना होना थी ना कि कार्यान्वयन के लिए प्रारम्भिक गतिविधियाँ।

मंत्रालय के जवाब को इस तथ्य के साथ देखा जाना चाहिए कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया विलम्ब, संचालन समिति द्वारा योजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए इन गतिविधियों में निहित प्रकृति, कार्यक्षेत्र और कार्य की प्रमात्रा पर विचार करके तय की गई तिथि से सन्दर्भित है।

4.2 डी.पी.आर. का मूल्यांकन

आर-ए.पी.डी.आर.पी. योजना के खंड 4.0, 10.0 और 10.2 के अनुसार, प्रायोगिकियों को या तो स्वयं या इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किये गये आई.टी. परामर्शदाताओं के द्वारा डी.पी.आर. तैयार करनी थी। तत्पश्चात डी.पी.आर. संबंधित राज्य के प्रमुख सचिव/प्रधान सचिव/सचिव विद्युत/ऊर्जा की अध्यक्षता में वितरण सुधार समिति (डी.आर.सी.) को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करनी थी। अनुमोदित डी.पी.आर., पी.एफ.सी. को भेजनी थी जिसे संचालन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व डी.पी.आर. का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करना था। संचालन समिति सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में अनुमानों में सुधार एवं संशोधन और योजना के कार्यान्वयन के निरीक्षण एवं समीक्षा सहित परियोजना को मंजूरी देगी।

सी.ए.जी. की 2007 की प्रतिवेदन संख्या 16, में यह पाया गया कि संचालन समिति की प्रत्येक बैठक में औसतन 71 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और यह सुझाव दिया गया कि अनुमोदन से पूर्व तकनीकी-वित्तीय व्यवहार्यता के लिए संचालन समिति द्वारा सभी डी.पी.आर. की समीक्षात्मक जाँच को सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय द्वारा कदम उठाये जाए। लेखापरीक्षा ने पाया कि आर-ए.पी.डी.आर.पी. योजना हेतु संचालन समिति की प्रत्येक बैठक में स्वीकृत की गई परियोजना की औसतन संख्या बढ़कर 121 हो गई थी तथा 2774 परियोजनाएँ जिनकी लागत रुपये 37,427.08 करोड़ थी, जो संचालन समिति की फरवरी 2009 से फरवरी 2014 के दौरान हुई 23 बैठकों में स्वीकृत की गई जिनका ब्यौरा **अनुलग्नक-VI** में दिया गया है।

डी.पी.आर. के मूल्यांकन के सन्दर्भ में लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ निम्नलिखित पैराग्राफ में प्रस्तुत की गई हैं।

4.2.1 राज्य डी.आर.सी. द्वारा संस्वीकृत नहीं की गई परियोजनाओं को मंजूरी देना

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के अन्तर्गत 553 परियोजनाओं को राज्य डी.आर.सी. की पूर्व जाँच/अनुमोदन जोकि आवश्यक था के बिना मंजूरी दी गई। स्वीकृत की गई परियोजनाओं का विवरण **अनुलग्नक-VI** में प्रस्तुत किया गया है।

एम.ओ.पी. ने बताया (मार्च 2016) कि संचालन समिति ने परियोजना कार्यान्वयन के शीघ्र निपटान हेतु, डी.आर.सी. द्वारा पूर्व जाँच न करने के बावजूद भी परियोजनाओं को मंजूरी दी और यह भी कहा कि परियोजना स्वीकृति पत्र डी.आर.सी. के सुझाव प्रस्तुत करने के पश्चात ही जारी किये

गये। इसके अतिरिक्त समापन सम्मेलन (मई 2016) में यह भी कहा गया कि किसी भी परियोजना को डी.आर.सी. से विधिवत अनुमोदन प्राप्त हुए बिना कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई।

मंत्रालय के उत्तर को इन तथ्यों के प्रकाश में देखने की आवश्यकता है कि एक बार संचालन समिति द्वारा परियोजना को मंजूरी देने पर डी.आर.सी. का अनुमोदन महज एक औपचारिकता ही रह जाता है। लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी कि डी.आर.सी./संचालन समिति स्तर पर समीक्षात्मक जाँच की गई थी।

4.2.2 मॉडल डी.पी.आर. के अनुसार डी.पी.आर. को तैयार नहीं करना

क्यू.ए. के खंड 3.4 ने यह निर्धारित किया कि पी.एफ.सी. भाग-ए एवं भाग-बी परियोजनाओं के लिए मॉडल डी.पी.आर. तैयार करेगा। मॉडल डी.पी.आर. ने अन्य बातों के साथ कार्य की मदों को भी दर्शाया जिन्हें व्यक्तिगत परियोजनाओं में शामिल किया जा सकता था।

यह, तथापि, देखा गया कि:-

- 29 राज्यों में से पाँच³ में, डी.पी.आर. में कार्य के अस्वीकार्य मदों को शामिल किया गया था तथा कार्य की आवश्यक मदों को परियोजना की सीमा से बाहर रखा गया था, जैसा कि **अनुलग्नक- VII** में दर्शाया गया।
- तीन⁴ राज्यों से संबंधित डी.पी.आर. में मॉडल डी.पी.आर. के अनुसार आवश्यक कार्यान्वयन अनुसूची को नहीं दर्शाया गया।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच परियोजनाओं में यह भी देखा कि संचालन समिति के अनुमोदन के लिए परियोजनाओं की अनुशंसा करने से पहले, तथ्यों और आंकड़ों को पुनरीक्षण की बजाय, पी.एफ.सी. ने कुछ अनुमान लगाया जैसे कि प्रायोगिकी ने डी.पी.आर. तैयार करते समय डी.पी.आर. दिशानिर्देशों का अनुसरण किया था, प्रायोगिकी ने डी.पी.आर. में अनुमोदित बेंचमार्क कीमतों/अधिसूचित दरों को विचार किया था, बेंचमार्क लागत (अवार्ड लागत के अभाव में) बाजार आंकड़ों, प्रायोगिकियों के फीडबैक इत्यादि के आधार पर निकाला गया था।

एम.ओ.पी. ने (मार्च 2016) कहा कि सभी प्रायोगिकियाँ भाग-ए परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आर-ए.पी.डी.आर.पी. दिशानिर्देशों का अनुसरण कर रही थी और विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया को पी.एफ.सी. के द्वारा अनुपालित किया जा रहा था एवं प्रारूप/डी.आर.पी. मानकीकृत थे। पी.एफ.सी. ने अपने जवाब में (नवम्बर 2015 एवं फरवरी 2016) में कहा कि ये अनुमान नहीं थे, बल्कि घोषणाएं थी।

³ असम, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश

⁴ मेघालय, राजस्थान और सिक्किम

मंत्रालय का जवाब लेखापरीक्षा में देखी गई विसंगतियों को संबोधित नहीं करता है। आगे, डी.पी. आर. के संबंध में पी.एफ.सी. के द्वारा विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत 'कार्यकारी सार' यह विशिष्ट रूप से उल्लेख करता है कि पी.एफ.सी. ने ही ये अनुमान लगाये थे।

4.2.3 ए.पी.डी.आर.पी. के तहत परियोजनाएं समाप्त हुए बगैर/समयपूर्व समाप्त किये बगैर आर. ए.पी.डी.आर.पी. के तहत जारी रही।

आर-ए.पी.डी.आर.पी. दिशानिर्देशों के खंड 2.3 ने परियोजनाओं की संस्वीकृति के लिए कार्यरत ए.पी.डी.आर.पी. परियोजनाओं की समाप्ति या समयपूर्व समाप्त किये जाने के बाद ही दिये जाने का प्रावधान किया था। प्रायोगिकियों को कार्यान्वित किये जा रहे X योजना के आर-ए.पी.डी.आर.पी. परियोजनाओं के तहत निष्पादित किये गये कार्यों के लिए समाप्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था।

यह देखा गया कि झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के यह बताने (फरवरी 2009) के बाद कि आर-ए.पी.डी.आर.पी. नगरों से संबंधित पिछली ए.पी.डी.आर.पी. योजना के सभी पैकेज पहले से ही समाप्त/समयपूर्व समाप्त किये जा चुके थे, झारखण्ड में, 30 नगरों में भाग-ए परियोजनाओं को एम.ओ.पी. के द्वारा स्वीकृत किया गया (सितम्बर 2009)। लेखापरीक्षा में, हालांकि यह देखा गया कि ए.पी.डी.आर.पी. के तहत ली गई 14 परियोजनाएँ समाप्ति के विभिन्न स्तरों पर थीं। इसके अतिरिक्त, इन नगरों के संबंध में भाग बी परियोजनाओं के लिए डी.पी.आर., एम.ओ.पी. के द्वारा सितम्बर 2013 में अनुमोदित किये गये थे हालांकि कार्यरत ए.पी.डी.आर.पी. परियोजनाओं की समाप्ति योजना को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

एम.ओ.पी. ने कहा (मार्च 2016) कि आर-ए.पी.डी.आर.पी. परियोजनाओं को संस्वीकृत, प्रायोगिकियों द्वारा दिये गये इस प्रमाण पत्र के आधार पर दिया गया कि संबंधित परियोजनाओं में X योजना की परियोजनायें समाप्त/समयपूर्व समाप्त की जा चुकी थी।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एम.ओ.पी. के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई स्वतंत्र व्यवस्था नहीं थी कि X योजना ए.पी.डी.आर.पी. परियोजनाओं को आर-ए.पी.डी.आर.पी. के तहत लिये जाने से पहले समाप्त/समयपूर्व समाप्त कर दिया गया था यद्यपि, ए.पी.डी.आर.पी. परियोजनायें भी उन्हीं के निर्देशन में संस्वीकृत एवं कार्यान्वित की जा रही थी।

4.3 निविदा आमंत्रित करने और कार्य प्रदान करने में देरी

लेखापरीक्षा ने मामले देखे जहाँ भाग-ए परियोजना डी.पी.आर. योजना के आरंभ होने के तीन वर्ष बाद अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई थी, जबकि भाग-ए परियोजनाओं की समाप्ति की समयावधि तीन वर्ष ही थी। 16 राज्यों में भाग-ए एवं भाग-बी परियोजनाओं में प्रायोगिकियों के द्वारा निविदा आमंत्रण एवं कार्य प्रदान करने में 52 महीने तक की देरी देखी गई है। डी.पी.आर.

को भी देर से तैयार किया गया था। इन कार्यकलापों में देरी से परियोजनाओं की समाप्ति में विलंब हुआ। विभिन्न राज्यों में जो विलम्ब के मामले पाये गये, उन्हें **अनुलग्नक-VIII** में प्रस्तुत किया गया है।

एम.ओ.पी. ने (मार्च 2016) कहा कि डी.पी.आर. बनाने के लिए कोई समय-सीमा नहीं थी तथा प्रायोगिकियों आदि द्वारा निविदा आमंत्रित करने तथा कार्य प्रदान करने में देरी को कार्यक्रम के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु पत्राचारों/बैठकों/कार्यशालाओं आदि के माध्यम से नियमित रूप से प्रायोगिकियों के संज्ञान में लाया गया था। पी.एफ.सी. ने कार्यक्रम के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु प्रायोगिकियों के प्रतिनिधियों के साथ मासिक पुनरीक्षण सभाएँ आयोजित की। यह भी कहा गया कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सम्मिलित आकार एवं जटिलताओं के कारण प्रायोगिकियों द्वारा झेली जा रही देरी को देखते हुए सी.सी.ई.ए ने कार्य पूर्ण करने की अवधि-3 से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी तथा संचालन समिति को मामलों के आधार पर अतिरिक्त समय देने के लिए अधिकृत किया।

यद्यपि एम.ओ.पी. ने डी.पी.आर. के शीघ्र मूल्यांकन तथा परियोजना का समय से पूर्ण होना सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए थे, फिर भी यह तथ्य है कि डी.पी.आर. बनाने, निविदा आमंत्रित करने तथा प्रायोगिकियों द्वारा कार्य प्रदान करने में 52 महीने तक का विलम्ब हुआ तथा योजना के कार्यान्वित होने के छः वर्ष बाद भी परियोजनाएँ अपूर्ण थी।

4.4 परियोजनाओं को वरीयता न दिया जाना

योजना दिशानिर्देशों के पैरा 4 के अनुसार पी.एफ.सी. को डी.पी.आर. प्रेषित करते समय प्रायोगिकियों को परियोजनाओं की वरीयता का क्रम इंगित करना था। हालांकि, परियोजनाओं को वरीयता देने के आधार का दिशानिर्देशों में प्रावधान नहीं था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 11 राज्यों⁵ में परियोजनाओं की वरीयता इंगित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि **झारखण्ड** में वरीयता निर्धारित कर ली गई थी फिर भी कार्य निष्पादन में इसका अनुसरण नहीं किया गया।

एम.ओ.पी. ने (मार्च 2016) कहा कि प्रायोगिकियों से पी.एफ.सी. को डी.पी.आर. मिलते ही उनका मूल्यांकन किया गया तथा स्वीकृति हेतु संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरीयता देने का कार्य प्रायोगिकियों द्वारा किया गया।

हालांकि, यह सत्य हो सकता है कि परियोजनाओं को वरीयता देना प्रायोगिकियों की जिम्मेदारी है, यह तथ्य है कि पी.एफ.सी. को नोडल एजेन्सी होने के कारण योजना दिशानिर्देशों के अनुसार

⁵ असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश (पूर्वी डिस्कॉम), महाराष्ट्र, मणिपुर, केरल एवं पश्चिम बंगाल

परियोजनाओं की वरीयता को सुनिश्चित करना चाहिए था जिससे कि योजना धनराशि का अधिकतम प्रयोग हो सके।

4.5 अनुमोदित डी.पी.आर. का अनुपालन न होना (परियोजना क्षेत्र में परिवर्तन)

लेखापरीक्षा ने पाया कि त्रिपुरा में एक परियोजना तथा उत्तर प्रदेश में दो परियोजनाओं को अनुमोदित डी.पी.आर. के अनुसार कार्यान्वित नहीं किया गया जिसका विवरण निम्न है:

तालिका-6: अनुमोदित डी.पी.आर. के अनुसार कार्यान्वित नहीं की गयी परियोजनाएँ

क्र.सं.	राज्य	डी.पी.आर. में प्रस्तावित परियोजना	कार्यान्वित परियोजना
1	त्रिपुरा	रामपुर सब-स्टेशन में ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाना	खायरपुर सब-स्टेशन में ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाना
2	उत्तर प्रदेश	विक्रम कालोनी, अलीगढ़ में सब-स्टेशन का निर्माण	लाल दिग्गी अलीगढ़ में सब-स्टेशन का निर्माण
		टाउन हॉल, हापुड़ नगर में ट्रांसफार्मर क्षमता को बढ़ाना	दिल्ली रोड़, हापुड़ नगर में ट्रांसफार्मर क्षमता को बढ़ाना

एम.ओ.पी. ने (मई 2016) कहा कि जब तक कि परियोजना का क्षेत्र एक है, परियोजना की जगह में परिवर्तन पर प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए।

हालांकि परियोजना क्षेत्र समान हो सकता है, तथ्य यह है कि परियोजनाएँ अनुमोदित डी.पी.आर. के अनुसार कार्यान्वित नहीं की गयी।

4.6 ठेकेदारों को आधारभूत ढाँचा उपलब्ध न कराने के कारण परियोजनाओं के प्रारम्भ होने में देरी

29 राज्यों में से 11 राज्यों⁶ में, कार्य समय से प्रारम्भ नहीं हुए चूँकि प्रायोगिकियों ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना जैसे भूमि/भवन ठेकेदारों को उपलब्ध नहीं कराए। इसके कारण परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ।

एम.ओ.पी. ने कहा (मार्च 2016) कहा कि इस कारण से सी.सी.ई.ए./संचालन समिति ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया।

योजना कार्यान्वयन में अत्यधिक विलम्ब को देखते हुए, एम.ओ.पी. को देरी को कम से कम करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।

4.7 संचालन समिति के अनुमोदन के बिना लागत में संशोधन

विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत प्री-अवार्ड स्तर व पोस्ट-अवार्ड स्तर में अंतरण हेतु अधिकतम सीमा तथा प्रत्येक मामलों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया को 26 नवम्बर 2009 को संचालन

⁶ आन्ध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू एण्ड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

समिति की 14 वीं बैठक में अनुमोदित किये गये दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित किया गया था। उन्हें **अनुलग्नक-IX** में प्रस्तुत किया गया है।

हालांकि लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सात राज्यों⁷ में पी.एफ.सी. द्वारा अनुमोदित डी.पी.आर. की लागतों में निर्धारित सीमा से अधिक अंतर था। इन कार्यों के विवरण को **अनुलग्नक-X** में दिया गया है।

एम.ओ.पी. ने कहा (मार्च 2016) कि वह स्वीकृत लागत या संशोधित प्रदत्त लागत, जो भी कम हो, से निधियों के निर्गमन को सीमित कर रहे थे तथा एकीकृत विद्युत विकास योजना⁸ (आई.पी.डी. एस.) दिशानिर्देशों द्वारा आगे कोई लागत वृद्धि/विस्तार को अनुमति नहीं दी। कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित अतिरिक्त मात्रा के संबंध में एम.ओ.पी. ने कहा कि वितरण प्रणाली का स्वरूप गतिशील होने के कारण मीटर/मॉडम इत्यादि की आवश्यकता बदलती रहती है, जो प्रणाली के विस्तार पर निर्भर करता है।

आई.पी.डी.एस. दिशानिर्देशों में सुधार के संबंध में एम.ओ.पी. के आश्वासन को नोट कर लिया गया है। यद्यपि वितरण प्रणाली की आवश्यकता वास्तव में गतिशील हो सकती है, लेकिन आर-ए.पी.डी.आर.पी. दिशानिर्देशों में ऐसे अंतरण की सीमा को तय किया हुआ है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

4.8 डाटा केन्द्र तथा आपदा प्रतिलाभ केन्द्र

संचालन समिति की 13 फरवरी 2009 को आठवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक राज्य में सभी प्रायोगिकियों के लिए एक डाटा केन्द्र (डी.सी.) तथा एक आपदा प्रतिलाभ केन्द्र (डी.आर.सी.) भी होगा। डी.सी. एवं डी.आर.सी. को विभिन्न भूकंपीय क्षेत्रों में स्थित करना अपेक्षित था ताकि भूकंप इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में कम से कम एक स्थान पर डाटा की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। 26 नवम्बर 2009 को हुई संचालन समिति की 14वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि एक ही भूकंपीय क्षेत्र में पूरी तरह से पड़ने वाले राज्यों को उसी भूकंपीय क्षेत्र में डी.सी. एवं डी.आर.सी. दोनों के लिए अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि डी.आर.सी. भूकम्परोधी भवन में ही जाए। यह देखा गया कि इन दिशानिर्देशों का कुछ राज्यों में पालन नहीं किया गया था जैसे कि नीचे दर्शाया गया है:

- आरंभिक प्रस्ताव में **असम** के लिए एक अलग भूकंपीय क्षेत्र में कोलकाता में डी.आर.सी. स्थापित करने हेतु था। हालांकि, वास्तविक निष्पादन के दौरान, डी.आर.सी. के स्थान को

⁷ असम, बिहार, गुजरात, झारखण्ड, केरल, मणिपुर तथा उत्तर प्रदेश

⁸ भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में एक नवीन योजना 'एकीकृत विद्युत विकास योजना' (आई.पी.डी.एस.) आरम्भ की तथा सी.सी.ई.ए. द्वारा XII एवं XIII योजनाओं में पूर्वानुमोदित आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना को वितरण क्षेत्र के आई.टी. परिचालन तथा वितरण नेटवर्क के सशक्तिकरण से संबंधित एक अलग घटक के रूप में इस योजना में समाविष्ट किया।

कोलकाता से अगरतला ले जाया गया जो उसी भूकंपीय क्षेत्र में था, जिसमें डी.सी. (गुवाहाटी) था। डी.आर.सी. के स्थान को क्षेत्र-III से क्षेत्र-V में बदलने का कारण रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त, डी.आर.सी. भवनों की भूकंप को झेलने की क्षमता को सत्यापित/प्रमाणित नहीं किया गया था।

एम.ओ.पी. ने कहा (मार्च 2016) कि एन.ई.आर. क्षेत्र का साझा डी.सी. व डी.आर.सी. क्रमशः गुवाहाटी तथा अगरतला में स्थित है। यह भी कहा गया कि प्रायोगिकियों ने पी.एफ.सी. को पुष्टि दी कि डी.आर.सी. भवन संरचनात्मक रूप में ठोस है तथा वह राज्य लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) के विचार विमर्श से डी.आर.सी. भवन के भूकंप रोधी मापदण्डों का आंकलन करेगी और उनके सुझावों के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई करेगी।

- **झारखण्ड** में डी.सी. और डी.आर.सी. एक ही भूकंपीय क्षेत्र में थे। इसके अतिरिक्त उचित रखरखाव का अभाव तथा आधारभूत संरचना के अभाव में तथा डी.सी. और डी.आर.सी. के निरंतर संचालन में खतरा बन रहा था।

एम.ओ.पी. ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया और कहा (मार्च 2016) कि इस मुद्दे को प्रायोगिकी के साथ उठाया जा सकता है।

4.9 टर्नकी करारों का अपनाया न जाना

क्यू.ए. के पैरा 4.3 में विचारित है कि प्रायोगिकी आई.टी. कार्यान्वयन एजेंसी (आई.टी.आई.ए.) को नियुक्त करके, टर्नकी आधार पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत की गई भाग-ए परियोजनाओं को कार्यान्वित करेगी। क्यू.ए. के पैरा 4.4 में विचारित है कि भाग-बी परियोजनाओं को भी टर्नकी आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा।

हालांकि सात राज्यों⁹ में यह पाया गया कि प्रायोगिकियों ने करारों को टर्नकी आधार पर नहीं दिया था अथवा कार्यों को आंशिक टर्नकी आधार पर निष्पादित करवाया था, जिसके फलस्वरूप टर्नकी करारों अर्थात् एकल केन्द्र के उत्तरदायित्व की पहचान के उद्देश्य को नकार दिया गया। लेखापरीक्षा जाँच के दौरान पायी गई राज्यवार कमियों को **अनुलग्नक-XI** में दिया गया है। यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि टर्नकी करारों को न अपनाये जाने को ए.पी.डी.आर.पी. योजना पर सी.ए.जी. की 2007 की प्रतिवेदन संख्या 16 में विशिष्ट रूप से दर्शाया गया था तथा अपने 77वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में लोक लेखा समिति ने भी यह अनुशंसा की थी कि XI योजना अवधि के दौरान परियोजनाओं को केवल टर्नकी आधार पर दिया जाए।

⁹ असम, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा सिक्किम

एम.ओ.पी. ने अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2016), कि आर.-ए.पी.डी.आर.पी. दिशानिर्देशों के अंतर्गत, भाग-बी परियोजनाएं टर्नकी आधार पर लागू की जानी थी। यह आगे कहा गया कि प्रायोगिकियाँ अनुभव/विशेषज्ञता/क्षेत्रीय स्थितियाँ/पैकेजिंग के आधार पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रणाली को निर्धारित करती हैं।

एम.ओ.पी. का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आदर्श चतुष्पक्षीय समझौते का पैरा 4.4 स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रायोगिकी भाग-बी परियोजनाओं के डी.पी.आर. स्वयं अथवा नोडल एजेंसी द्वारा बनाए गए पैनल के सलाहकारों द्वारा तैयार कराएगी तथा इसे टर्नकी आधार पर क्रियान्वित करेगी।

4.10 पुनर्निविदा के कारण अतिरिक्त खर्च

तीन राज्यों में ₹61.31 करोड़ राशि का अतिरिक्त खर्च पुनर्निविदा के कारण हुआ, जिसका विवरण नीचे है:

तालिका 7 : पुनर्निविदा के कारण अतिरिक्त खर्च के मामले

(₹ करोड़ में)

राज्य	अतिरिक्त खर्च	पुनर्निविदा के कारण
हरियाणा	55.59	डिस्कॉम द्वारा पी एफ सी से एल-1 के साथ समझौता वार्ता पर स्पष्टीकरण माँगने के कारण बोली की वैधता अवधि के भीतर निविदा को अंतिम रूप न देना।
कर्नाटक	4.70	पूर्व निविदा को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दिया गया और एकल निविदा के आधार पर उसी कार्य को दिया गया।
त्रिपुरा	1.02	प्रायोगिकी ने सीमित निविदाओं को गलत तरीके से आमंत्रित किया, जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निर्देशों पर निरस्त किया गया था।

विद्युत मंत्रालय ने कहा (मार्च 2016) कि पी ए सी स्वीकृत लागत या प्रदत्त लागत जो भी कम हो, से निधि के निर्गमन को सीमित कर रही है।

हालाँकि एम.ओ.पी. के आश्वासन को नोट कर लिया गया है, लेकिन यह उन परिस्थितियों को सम्बोधित नहीं करता है जिनमें अनुबंध प्रायोगिकियों की अयोग्यता के कारण अतिरिक्त लागत आई जबकि परियोजना के लिए स्वीकृत लागत को भंग नहीं किया गया था।

4.11 समरूप मदों के लिये भिन्न दरें

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि एक ही समय में एक ही राज्य में कार्यान्वित किये जा रहे कार्य की समरूप मदों के लिए विभिन्न दरों पर ठेकेदारों को कार्य प्रदान किये गए थे। जिसका विवरण नीचे है :

तालिका 8 : समरूप मदों के लिये, भिन्न दरों के कारण अधिक व्यय

क्र.स.	राज्य	कार्य	(₹ करोड़ में) अधिक व्यय
1	असम	डिब्रूगढ़ और मंगलडोय विद्युत सर्कल्स (प्रत्येक के लिए 4 परियोजना क्षेत्र)	3.94
2	बिहार	पटना टाउन (पैकेज बी और सी) का भाग-बी कार्य	7.07
3	पंजाब	पूर्व लुधियाना और पश्चिम लुधियाना के ट्रॉसफार्मों की लागत	4.83
4	तमिलनाडु	चेन्नई (उत्तरी), चेन्नई (दक्षिणी) के लिए वितरण सशक्तिकरण कार्य	1.52

एम ओ पी ने कहा (मार्च 2016) कि पी एफ सी ने भाग बी कार्यों के लिए कोई भी मानक बोली दस्तावेज निर्धारित नहीं किये थे। भाग बी परियोजनाओं को देने के लिए प्रायोगिकियाँ अपने बोली दस्तावेजों को अपना रही थीं।

उत्तर को कार्य की निविदा करने से पहले प्रायोगिकी की ओर से सम्यक तत्परता के अभाव के संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है। इस पहलू को एम ओ पी द्वारा अधिकथित तंत्र के माध्यम से पर्याप्त रूप से समझने की आवश्यकता है।

4.12 प्रायोगिकियों द्वारा किये गए अनुबंधों में कमियाँ

निम्न प्रकरणों में, अनुबंध की शर्तों का अनुपालन नहीं हुआ था :

असम

नगाँव विद्युत सर्कल में, प्रायोगिकी ने एक मुश्त मूल्य के आधार पर कार्य प्रदान किया। फिर भी, वास्तविक कार्यान्वयन के दौरान, ₹ 0.63 करोड़ के सामान की आपूर्ति ठेकेदार द्वारा नहीं की गई थी व उसकी व्यवस्था प्रायोगिकी द्वारा अपनी लागत पर की गई। चूंकि निविदा का मूल्यांकन संपूर्ण कार्यक्षेत्र की एकमुश्त राशि पर आधारित था, प्रायोगिकी का अपने खर्च पर सामान की आपूर्ति का निर्णय न्यायसंगत नहीं था जिससे ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ।

सिक्किम

- विद्युत एवं ऊर्जा विभाग (ईपीडी) ने भाग-बी परियोजना हेतु डीपीआर की तैयारी के लिए एक राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशिक्षण संस्थान (एन पी टी आई) की नियुक्ति की थी। करार में कार्य के पूर्ण या आंशिक भाग को अन्य पक्ष की लिखित सहमति के बिना सौंपना या हस्तांतरित करना वर्जित था। फिर भी एन पी टी आई ने यह ठेका मैसर्स फीडबैक वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा।
- ई पी डी ने पांचवें मील पर 66/11 केवी स्विचयार्ड और दयोराली पर 11/11 केवी स्विचयार्ड के फीडर पैनल को स्थापित करने का कार्य सिंहल इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्रदान

किया। फिर भी, अपर ताडोंग के भौतिक सत्यापन ने दर्शाया कि यह कार्य सिंहल इन्फ्रास्ट्रक्चर के बजाय मैसर्स पेमा थूटम शेरपा के ठेकेदार द्वारा किया गया था जो कि समझौते का उल्लंघन है।

तमिलनाडु

डिंडीगुल, पुदुकोट्टई एवं अरनथंगी में वितरण कार्यों के सुदृढीकरण का कार्य ₹ 38.71 करोड़ के कुल मूल्य पर आई वी आर सी एल लिमिटेड को प्रदान किया गया था जिसे 27 जून 2013 तक पूर्ण करना निर्धारित था। चूंकि ठेकेदार कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के नौ महीने पश्चात् भी कोई प्रगति प्रदर्शित करने में असफल रहा, इसलिए निविदा को नवम्बर 2014 में रद्द कर दिया गया। तत्पश्चात् हीरोडैक्स पावर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, नासिक को ₹ 42.98 करोड़ में कार्य सौंपा गया। हालांकि आई वी आर सी एल के साथ करार में दोषी ठेकेदार से लागत अंतर की वसूली की व्यवस्था नहीं थी और इसलिए प्रायोगिकी द्वारा अतिरिक्त लागत को वसूल नहीं किया जा सका।

त्रिपुरा

इन्द्रानगर परियोजना क्षेत्र के तहत भाग-बी परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य को मैसर्स होराइजन हाई-टेक एंजिकॉन लिमिटेड को (14 अक्टूबर 2014) ₹ 1.62 करोड़ लागत पर सौंपा गया था। इन समझौते में यह व्यवस्था थी कि ठेकेदार प्रभारी अभियंता से लिखित अनुमोदन प्राप्त किये बिना अनुबंध को सौंप या हस्तांतरित नहीं कर सकता था। अभिलेखों की जांच करने पर यह पाया गया कि कुछ सामग्री मैसर्स जे एम पी टैक्नीकल सर्विसेज को दी गई थी जो मैसर्स होराइजन हाइटेक एंजिकॉन लिमिटेड का उप ठेकेदार था। हालांकि, प्रायोगिकी कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ थी जहाँ ठेकेदार को अनुबंध को उपहस्तांतरित करने का अनुमोदन दिया गया था।

विद्युत मंत्रालय (मार्च 2016) ने इन अवलोकनों पर कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की और कहा कि यह प्रायोगिकी और ठेकेदार के बीच का मुद्दा है।

विद्युत मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य की रोशनी में देखा जाना चाहिये कि अनुबंध शर्तों के भंग होने से लागत में वृद्धि हुई जो आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव डालेगी। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये विद्युत मंत्रालय द्वारा इसकी निगरानी की जाने की आवश्यकता है।

4.13 गुणवत्ता नियंत्रण

आर-एपीडीआरपी के तहत निष्पादित परियोजनाओं में प्रयुक्त की गई सामग्री की गुणवत्ता के संदर्भ में लेखापरीक्षा के अवलोकन निम्नानुसार हैं :

4.13.1 प्रायोगिकी द्वारा सामग्री की प्राप्ति के संदर्भ में चिंता

निम्न दृष्टांतों में, लेखापरीक्षा ने प्रायोगिकियों द्वारा ऐसी सामग्री की प्राप्ति को पाया जो अनुमोदित डी पी आर के विशेष विवरण के अनुसार नहीं थे :

- **आंध्र प्रदेश** में, 92 श्रेणी बी मीटर (बाउंडरी मीटर) की आवश्यकता के विरुद्ध 7,350 श्रेणी बी मीटर प्राप्त (जुलाई एवं सितंबर 2011) किये गए थे। तदनन्तर यह निर्णय (दिसंबर 2012) लिया गया था कि उन्हें श्रेणी सी मीटर (एच टी उपभोगकर्ता मीटर) में रूपांतरित कर दिया जाए जिससे ₹0.40 करोड़ की परिहार्य अतिरिक्त लागत हुई।
- **मेघालय** में, मेघालय विद्युत निगम लिमिटेड (एमईसीएल) ने श्रेणी सी मीटर के स्थान पर श्रेणी बी मीटर खरीदे जिसके फलस्वरूप ₹0.50 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।
- **बिहार** में, प्रायोगिकी ने केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सी पी आर आई) की जाँच रिपोर्ट के आधार पर ₹8.05 करोड़ की लागत पर 10 एम वी ए के विद्युत ट्रॉसफॉर्मर की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध प्रदान किया, जिसमें ठेकेदारों द्वारा हस्तक्षेप पाया गया था।
- **पंजाब** में, टर्नकी आधार पर भाग-बी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए, पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पी एस पी सी एल) ने, अन्य बातों के साथ-साथ, मैसर्स एल एण्ड टी लिमिटेड को चार कार्य आदेश जारी किये (मई 2013) जिनमें ट्रॉसफार्मरों में रेडियेटर विद्युत प्रतिरोधी वेल्डड (ई आर डब्ल्यू) दीर्घ वृत्ताकार ट्यूब किस्म की आपूर्ति की आवश्यकता थी। हालाँकि स्वयं पी एस पी सी एल ने तेल रिसाव की समस्याओं के कारण "फिन किस्म" के रेडियेटरों के साथ वितरण ट्रॉसफार्मरों की खरीद को रोक दिया था, इस तथ्य के बावजूद भी ठेकेदार के निवेदन पर, 500 के वी ए और 200 के वी ए ट्रॉसफार्मरों के रेडियेटर की किस्म को ई आर डब्ल्यू दीर्घ वृत्ताकार 'ट्यूब' किस्म से 'फिन किस्म' में बदल दिया गया।

एम.ओ.पी. ने लेखापरीक्षा अवलोकनों पर कोई टिप्पणी नहीं दी।

4.13.2 मर्दों/प्रणालियों की विफलता से परियोजना के पूर्ण होने में देरी

मर्दों/प्रणाली की विफलता से परियोजना के पूर्ण होने में देरी के दृष्टांतों को निम्न राज्यों में पाया गया जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

- **कर्नाटक** में, प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर एफ पी) के अनुसार, आई टी आई ए के द्वारा कुल 59,520 जी पी आर एस मोडम की आपूर्ति सभी विद्युत आपूर्ति कंपनियों (एसकोम) को की

जानी थी, जोकि सर्वेक्षण के दौरान बढ़कर 84,640 हो गई। मोडम की स्थापना के पश्चात, मोडम के माध्यम से सूचना के संचार में समस्याओं को पाया गया तथा उसमें अत्यधिक खराबी थी। इस मामले को बेंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी (बी ई एस सी ओ एम) के द्वारा केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान को मोडम की खराबी के कारणों की पहचान करने के लिए भेजा गया। हालांकि प्रायोगिकी ने मोडम की घटिया गुणवत्ता के मुद्दे पर अनुसरण किया, फिर भी नए मोडम स्थापित करने की पूरी प्रक्रिया में एक वर्ष व नौ माह का समय लगा जिससे योजना में विलम्ब हुआ व ए.टी. एंड सी. के घाटे के विश्लेषण सहित मीटर रीडिंग के परिणामों के विश्लेषण में भी देरी हुई।

- **मेघालय** में, 1,467 मोडम स्थापित किए गए जिसमें से 745 मोडम काम नहीं कर रहे थे। स्थापित की गई 19 में से पाँच डाटा संग्रहण इकाईयाँ (डी सी यू), डाटा सेंटर को डाटा नहीं भेज रही थी। इस कारण से परियोजना के पूर्ण होने में देरी हुई।
- **मध्य प्रदेश** में, चयनित नगरों में भाग बी कार्यों के अंतर्गत स्थापित किए गए ₹1.87 करोड़ मूल्य के सामान जैसे वितरण ट्रांसफार्मर (डी टी), केबल, मीटर, पॉलिमर पिन इन्सुलेटर आदि खराब पायी गई लेकिन उन्हें बदला नहीं गया।
- **त्रिपुरा** में, तीन परियोजना क्षेत्रों हेतु भाग बी योजनाओं में, वितरण ट्रांसफार्मरों (डी टी) को भंडार से प्राप्ति की तारीख से 18 माह तक की अवधि तक या स्थापना की तारीख से 12 माह की अवधि तक प्रत्याभूत किया गया। अनुबंध के तहत उपलब्ध कराए गए 80 डी टी में से छह डी टी, प्रत्याभूत अवधि के दौरान क्षतिग्रस्त पाए गए। हालाँकि आपूर्तिकर्ता द्वारा डी टी की मरम्मत नहीं की गई (अक्टूबर 2015)।
- **उत्तर प्रदेश** में, सी सी बी सर्वर के घटिया प्रदर्शन की कई घटनाओं की अक्टूबर 2014 माह में जनवरी 2015 व फरवरी 2015 में सूचनाएं दी गईं। मार्च 2015 में यह समस्या और अधिक बढ़ गई लेकिन आई टी सलाहकार (आई टी सी) की अनुशंसा के बावजूद कोई मूल कारण विश्लेषण (आर सी ए)¹⁰ नहीं किया गया।

एम ओ पी ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर कोई टिप्पणी नहीं की।

4.14 उपयुक्त प्रत्याभूति की प्राप्ति न होना

यह देखा गया कि तीन राज्यों¹¹ में काम पूरा होने के बाद प्रणाली के संतोषजनक कार्य करने के लिए ठेकेदार से उपयुक्त प्रत्याभूति प्राप्त नहीं की गई।

¹⁰ मूल कारण विश्लेषण (आर सी ए) समस्या निवारण की एक पद्धति है जिसका उपयोग दोष या समस्या के मूल कारणों को पहचानने के लिए किया जाता है।

¹¹ मणिपुर, राजस्थान व त्रिपुरा

मणिपुर

- नौ टर्नकी फर्मों जिनकी कुल अनुबंध कीमत ₹357.16 करोड़ थी, को भाग बी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए लेटर ऑफ अवॉर्ड (एल ओ ए) जारी (सितम्बर 2013 में) किए गए, जिसने अन्य बातों के साथ अनुबद्ध किया कि कार्य के आरम्भ से पहले 15 प्रतिशत निष्पादन गारंटी (सी पी जी) को संचालक फर्मों द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित¹² था। हालाँकि टर्नकी फर्मों को निष्पादन गारंटी जमा किए बगैर काम निष्पादित करने की अनुमति दी गई जो एल ओ ए शर्तों का उल्लंघन है।
- भाग 'ए' परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मैसर्स टी सी एस को जारी एल ओ ए के पैरा 11 में अनुबद्ध है कि फर्म निष्पादन प्रत्याभूति के प्रति किसी सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंक से अनुबंध कीमत की 10 प्रतिशत की दर से बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत करें। हालाँकि मैसर्स टी सी एस ने आवश्यक बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं की।

प्रायोगिकी ने कहा कि टर्नकी फर्मों को निष्पादन गारंटी जमा करने के लिए कहा गया जिसके जमा न करने पर अनुबंध मूल्य के 15 प्रतिशत की समकक्ष राशि को वारंटी अवधि के समाप्त होने के 90 दिन बाद तक रोका जा सकेगा। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी को कार्य आरंभ करने से पूर्व निष्पादन गारंटी एकत्रित करनी आवश्यक थी।

राजस्थान

- जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) ने चार टर्नकी अनुबंधों में और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) ने दो टर्नकी अनुबंधों में, आदर्श डीपीआर में निर्धारित 10 प्रतिशत निष्पादन बैंक गारंटी की तुलना में कम बैंक गारंटी स्वीकार की। जेवीवीएनएल एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल) ने ₹78.67 करोड़ के आदेश मूल्य सहित टर्नकी/केन्द्रीय श्रम दर अनुबंध (सी एल आर सी) आधार पर भाग बी परियोजनाएँ भी प्रदान की जहाँ निष्पादन गारंटी को कार्य आदेश के मूल्य के 10 प्रतिशत के बजाए 5 प्रतिशत पर प्राप्त किया गया था।

¹² आर-ए पी डी आर पी (भाग बी परियोजना) के कार्यान्वयन के लिए एल ओ ए के पैरा 7.4 में यह भी व्यवस्था है कि अनुबंध कीमत की 15 प्रतिशत की दर से अनुबंध निष्पादन प्रत्याभूति (सी पी जी) को टर्नकी फर्मों (टी के एफ) द्वारा प्रस्तुत किया जाए तथा प्रत्याभूति वारंटी अवधि समाप्त होने के बाद 90 दिनों तक वैध रहेगी।

त्रिपुरा

- प्रायोगिकी ने काम पूरा होने के पश्चात् प्रणाली के संतोषजनक कार्य के लिए ठेकेदार से उपयुक्त गारंटी प्राप्त नहीं की जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :
 - भाग 'बी' कार्यों के कार्यान्वयन के लिए 6 वर्ग मिली मीटर पोलिविनाईल क्लोराईड (पी वी सी) केबल की आपूर्ति हेतु अनुबंध दो ठेकेदारों को दिया (जून 2014) गया। हालांकि प्रायोगिकी ने अपने ठेकेदारों को निष्पादन गारंटी के 50 प्रतिशत को बैंक गारंटी के रूप में और शेष 50 प्रतिशत को चालू बिल कटौती के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की परंतु इसका पालन नहीं किया गया और इन ठेकेदारों को उनके चालू बिलों में से यथानुपाती कटौतियों के द्वारा अनुबंध निष्पादन गारंटी (सी पी जी) की संपूर्ण राशि के भुगतान की अनुमति दी गई थी। चूंकि ठेकेदारों ने किसी भी सामग्री की आपूर्ति नहीं की है, इसलिए प्रायोगिकी की ठेकेदारों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की कोई गुंजाइश नहीं है।
 - इसके अतिरिक्त, आर-एपीडीआरपी योजना में विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन के लिए ठेकेदारों को जारी किए गए एल ओ ए में अन्य बातों के साथ-साथ अनुबद्ध है कि सफल बोलीदाता को सीपीजी प्रस्तुत करनी थी जिसे संतोषजनक कमीशनिंग पर तुरंत 12 कैलेंडर महीनों तक वैध रखना था। 16 परियोजना क्षेत्रों में से नौ में यह पाया गया कि ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध करायी गई ₹0.48 करोड़ की बैंक गारंटी (बी जी), कार्य की कमीशनिंग से पहले ही समाप्त हो गई।

एम ओ पी ने (मार्च 2016) अवलोकनों पर कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की, किन्तु कहा कि दिशानिर्देशों के अनुसार टी पी आई ई ए-आई टी द्वारा सत्यापन करने के पश्चात् भाग 'ए' परियोजनाओं के कार्यान्वयन को पूर्ण समझा जाये तथा तदनुरूप ऋण का अनुदान में रूपांतरण टी पी आई ई ए द्वारा सत्यापित संतोषजनक समाप्ति पर निर्भर करेगा। अतः भाग 'ए' से संबंधित सभी मुद्दे टी पी आई ई ए द्वारा सत्यापन से पहले/दौरान प्रायोगिकी द्वारा संबोधित किये जाने चाहिये ताकि उन्हें ऋण से अनुदान में परिवर्तित रूपांतरण का लाभ उठाने में सक्षम बनाया जा सके। भाग 'बी' परियोजनाओं के संबंध में, यह कहा गया कि दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण का अनुदान में रूपांतरण प्रायोगिकी द्वारा ए टी एण्ड सी घाटे में कमी को प्राप्त करने पर निर्भर करेगा, जोकि भाग 'ए' आई टी के पूर्ण होने एवं भाग 'बी' के पूर्ण होने के एक वर्ष पश्चात् तृतीय पक्षीय स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी-विद्युत लेखाकरण (टी पी आई ई ए-ई ए) द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित किया जायेगा। इसलिए, भाग 'बी' से संबंधित सभी मुद्दे प्रायोगिकी द्वारा संबोधित किये जायेंगे, जिससे वह ऋण के अनुदान में रूपांतरण का लाभ उठा पाने में सक्षम बन सके।

एम ओ पी के उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिये कि ठेकेदारों द्वारा काम के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने को सुनिश्चित करने के लिए बैंक गारण्टी प्राप्त करना आवश्यक था जो कि योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है।

4.15 क्षमता निर्माण उपायों के लिए राज्य प्रायोगिकियों के कर्मचारियों को अपर्याप्त प्रशिक्षण

क्षमता निर्माण उपायों के रूप में पी एफ सी ने राज्य प्रायोगिकियों के ए एवं बी स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए 10 पार्टनर प्रशिक्षण संस्थानों तथा अलग-अलग प्रशिक्षण विषयों पर विभिन्न एस यू के सी एवं डी स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए 24 पी टी आई को सूचीबद्ध किया। प्रशिक्षण के विशेष विषयों को कर्मचारियों के प्रत्येक स्तर के लिए अलग किया गया।

पी एफ सी ने मार्च 2015 तक 'ए' व 'बी' स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए ₹4.56 करोड़ एवं 'सी' एवं 'डी' स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए ₹ 17.47 करोड़ खर्च किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि :

- किसी भी 'ए' एवं 'बी' स्तर के कर्मचारी को आपदा प्रबंधन, विद्युत सुरक्षा प्रक्रियाओं और दुर्घटना की रोकथाम के विषय पर कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।
- इसी प्रकार, किसी भी 'सी' व 'डी' स्तर के कर्मचारी को मीटरिंग तकनीक एवं स्वचालित मीटर रीडिंग (ए एम आर) ऐप्लीकेशन पर प्रशिक्षण नहीं दिया गया, तथा
- गुजरात व उत्तर प्रदेश में 'सी' व 'डी' स्तर के कर्मचारियों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया और मणिपुर व सिक्किम में किसी भी 'ए' व 'बी' स्तर के कर्मचारी को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

राज्यों में प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव से परियोजना का निर्बाध कार्यान्वयन प्रभावित होगा।

पी एफ सी ने (अक्टूबर 2015) बताया कि कोई भी प्रशिक्षण इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि उपरोक्त विषय के लिए सूचीबद्ध दो पी टी आई ने कार्यक्रम को आयोजित करने में कोई रुचि नहीं दिखाई तथा प्रायोगिकी से नामांकन भी प्राप्त नहीं हुए थे। पी एफ सी ने आगे कहा (फरवरी 2016) कि पी एफ सी ने समग्र रीति से विभिन्न विषयों की पहचान की जो योजना के कार्यान्वयन में लगे हुए एस यू कर्मियों के लिए उपयोगी होगा। इसकी सराहना करनी चाहिये कि विषयों की पहचान, प्रायोगिकी की आई टी क्षमता को ध्यान में न रखते हुये की गई जो उनकी मौजूदा आई टी तैयारियों पर निर्भर करता है, जो कि विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। इसके अतिरिक्त ये भी कहा गया कि इन पहचाने गये विषयों के अंतर्गत प्रायोगिकी ने अपनी आई टी तैयारियों के आधार पर अपनी प्रशिक्षण आवश्यकताओं के बारे में निर्णय लिया और तदनुसार पी एफ सी से अपने कर्मियों के प्रशिक्षण की मांग की। यह कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन में सहायक हुए थे इन तथ्यों से दृष्टिगोचर होता है कि भाग 'ए' के अंतर्गत राज्यों में 1,409 में से

1,121 नगर (25 राज्यों में) 'गो-लाईव' घोषित किये गये एवं 21 में से 19 डाटा केन्द्र तथा 1,258 शहरों में 297 को भाग 'बी' के अंतर्गत पूर्ण घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त 14 राज्यों (आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र सहित) को उनमें सभी नगरों के लिए गो-लाईव घोषित किया गया जो डाटा केन्द्रों से संचार कर रहे थे।

यह इस चिन्ता को संबोधित नहीं करता है कि निर्धारित किये गए प्रशिक्षणों को दिया नहीं गया था। इसके अतिरिक्त, टी पी आई ई ए के सत्यापन के बिना ही राज्य प्रायोगिकियों द्वारा 1,121 नगरों को 'गो-लाईव' घोषित किया गया था जो कि अभी तक लंबित है और इसलिए दावों की सत्यता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

4.16 'गो-लाईव' परियोजनाएं

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रायोगिकी ने बहुत सी भाग 'ए' परियोजनाओं को 'गो-लाईव' घोषित किया था, यद्यपि एम ओ पी के पास उपलब्ध परियोजना विवरण के अनुसार उनमें से किसी को भी अभी तक टी पी आई ई ए द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जो परियोजना के पूर्ण होने की एक पूर्वशर्त थी। 1,412 नगरों में, जहाँ भाग 'ए' परियोजनाएं कार्यान्वित हुई थी वहाँ 1,121 नगरों (79 प्रतिशत) को नवम्बर 2015 में 'गो-लाईव' घोषित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच के आधार पर इन परियोजनाओं को 'गो-लाईव' घोषित करने के संदर्भ में निम्नलिखित को पाया :

- एम ओ पी/पी एफ सी ने नगरों को 'गो-लाईव' घोषित करने के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किये थे। इस प्रकार के मापदण्ड या टी पी आई ई ए द्वारा सत्यापन के अभाव में 'गो-लाईव' घोषित करने का आधार अस्पष्ट रहा।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि उन परियोजनाओं को भी जहाँ 30 प्रतिशत से भी कम व्यय हुआ था, वहाँ उन्हें गो-लाईव घोषित किया गया। घोषणा की सत्यता को परियोजनाओं में अल्पतम व्यय की दृष्टि से देखा जाना चाहिये।
- 'गो-लाईव' घोषित किये गये शहरों में मीटरों की स्थापना पूर्ण (जैसा प्रतिवेदन के पैरा 5.5.1 में दर्शाया गया है) नहीं हुई थी।
- आठ राज्यों¹³ में मीटरों द्वारा डाटा के संचार का प्रतिशत 85 प्रतिशत से कम पाया गया।
- तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश की प्रायोगिकी के द्वारा पी एफ सी को भेजे गये पत्र के अनुसार जिसमें नगरों को 'गो-लाईव' घोषित करने की सूचना देते हुए यह उल्लेख किया गया कि वे उपभोक्ता इंडैक्सिंग को ठीक कर रहे थे, मीटर साईड मुद्दों को संभाल एवं सुधार रहे थे तथा ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को धीरे-धीरे सरल एवं कारगर बनाया जा रहा था।

¹³ आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु एवं तेलंगाना

एम ओ पी ने कहा (मार्च 2016) कि दिशानिर्देशों के अनुसार, भाग ए परियोजनाओं को पूर्ण घोषित करने के लिए भाग ए परियोजना की पूर्णता को तृतीय पक्षीय स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी (टी पी आई ई ए – आई टी) द्वारा सत्यापित किया जाएगा। एक राज्य में सभी नगरों के पूर्ण होने के पश्चात् टी पी आई ई ए-आई टी द्वारा पूरे राज्य के लिए भाग ए परियोजना की पूर्णता की घोषणा की जाएगी। वर्तमान में, विभिन्न राज्यों में टी पी आई ई ए-आई टी द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया जारी है, जहाँ 100 प्रतिशत नगरों को 'गो-लाईव' घोषित किया गया है। प्रायोगिकी द्वारा गो-लाईव घोषित करना परियोजना पूर्णता की ओर एक मध्यवर्ती अवस्था है। प्रायोगिकी, परियोजना का स्वामी होने के कारण परियोजनाओं को 'गो-लाईव' अपनी संतुष्टि के अनुसार घोषित कर रहा है। विभिन्न राज्यों में भाग ए परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की आई टी आई ए की भुगतान सूची, करार मूल्य के 40 प्रतिशत तक बैंक लोडेड थी, जिसके कारण विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं की भौतिक पूर्णतः एवं आई टी आई ए को किये गये भुगतान में अंतर था।

एम ओ पी का जवाब केवल यह पुष्टि करता है कि भाग ए परियोजनाओं में न तो एम ओ पी ने और न ही पी एफ सी ने 'गो-लाईव' स्थिति को सत्यापित किया, किन्तु प्रायोगिकी द्वारा उपलब्ध कराये गये कथनों पर पूर्णतः निर्भर रहे, जो कि विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है, जैसा कि ऊपर प्रकट किया गया है। आगे, यद्यपि लगभग 79 प्रतिशत परियोजनाओं को 'गो-लाईव' घोषित किया गया है, ऐसा देखा गया है कि अनेक परियोजनाओं में ए टी एंड सी हानियों को उत्पन्न नहीं किया गया अथवा ये बढ़ गई हैं जैसा कि आगे के अध्यायों में प्रकट किया गया है। अगर इस पर भी विचार किया जाये कि आई टी आई ए को किये गये भुगतान 40 प्रतिशत तक बैंक लोडेड थे, तो 'गो-लाईव' घोषित की गई कुछ परियोजनाओं में वास्तविक व्यय 3-19 प्रतिशत (6 परियोजनाओं में) एवं 20-30 प्रतिशत (183 परियोजनाओं) तक कम था जैसाकि **अनुलग्नक-XII** में वर्णित है।

अनुशंसा

3. मंत्रालय को प्राप्त नहीं किए गए माइलस्टोनों के कारणों तथा उस पर की गई कार्यवाही के साथ-साथ राज्य प्रायोगिकियों द्वारा तय किये गये लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त किये गये माइलस्टोनों को सूचित करने की प्रक्रिया विकसित करने पर विचार करना चाहिये।

अध्याय 5

कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ

कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ

5.1 ए टी एण्ड सी हानियाँ

कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए टी एण्ड सी) हानियाँ दो तत्वों को समावेशित करती हैं :

- तकनीकी हानियाँ : तकनीकी हानियाँ मुख्य रूप से : (क) ट्रॉंसफार्मेशन हानियों (विभिन्न ट्रॉंसफार्मेशन स्तरों पर) और (ख) विद्युत नेटवर्क में निहित प्रतिरोध और खराब विद्युत कारकों के कारण वितरण लाइनों पर उच्च हानियों के कारण होती हैं।
- वाणिज्यिक हानियाँ : किसी विद्युत ऊर्जा का अवैध उपभोग, जिसको सही ढंग से मीटर द्वारा मापा ना गया हो, बिल न किया गया हो और राजस्व एकत्रित न किया गया हो, वह प्रायोगिकियों को वाणिज्यिक हानि पहुंचाता है। वाणिज्यिक हानियाँ : (i) मीटर में खराबी के कारण (ii) सीधे हुकिंग द्वारा चोरी और (iii) संग्रहण दक्षता में कमी के कारण होती हैं।

ए टी एण्ड सी हानियों में कमी ए पी डी आर पी संरचना के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक था। तथापि, यह उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका जैसाकि सी ए जी के 2007 के प्रतिवेदन सं.-16 में बताया गया था। आर-एपीडीआरपी योजना का उद्देश्य भी स्थिर आधार पर ए टी एण्ड सी हानियों को 15 प्रतिशत से नीचे लाना था।

1121 शहरों में से, जिन्हें 'गो लाईव' घोषित किया गया था, 976 शहरों ने ए टी एण्ड सी हानियों पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे। इनमें से 749 (77 प्रतिशत) शहरों ने बेसलाईन आँकड़ों के संदर्भ में ए टी एण्ड सी हानियों में कमी को प्रतिवेदित किया। लेखापरीक्षा ने, तथापि, यह पाया कि प्रायोगिकियों द्वारा बिना किसी तृतीय पक्ष सत्यापन के यह सूचना उपलब्ध करवाई गई। यहाँ तक कि पी एफ सी के पास राज्य प्रायोगिकियों द्वारा प्रतिवेदित की जा रही ए टी एण्ड सी हानियों की सटीकता का सत्यापन करने के लिए भी कोई तंत्र नहीं था।

596 शहरों के लेखापरीक्षा नमूनों में, 444 शहरों में "गो-लाईव" घोषित किया गया था। लेखापरीक्षा ने इन शहरों में ए टी एण्ड सी हानियों की निम्नलिखित स्थिति पायी।

- यद्यपि, सभी 444 शहरों में बेसलाइन डाटा स्थापित किया था, 43 शहरों में ए टी एण्ड सी हानियाँ उपलब्ध नहीं थी/जनित नहीं थी।

- शेष 401 शहरों में केवल 298 शहरों में ए टी एण्ड सी हानियों की कमी हुई। वास्तव में 102 शहरों में हानियों में वृद्धि हुई जबकि यह एक शहर में अपरिवर्तित रही।

अन्य 152 शहरों में गो लाईव, की घोषणा नहीं हुई थी। 143 शहरों में ए टी एण्ड सी हानियाँ उपलब्ध नहीं थी/जनित नहीं थी (जिसमें से 43 शहरों में बेसलाइन डाटा भी स्थापित नहीं हुआ था) और शेष 9 शहरों में, 3 में ए टी एण्ड सी हानियों में कमी हुई, जबकि अन्य 6 में वृद्धि हुई।

अतः लेखापरीक्षा नमूने से यह देखा जा सकता है कि 100 (23 प्रतिशत) से ज्यादा शहरों में ए टी एण्ड सी हानियाँ बेसलाईन की तुलना में बढ़ गयी थी। अन्य 43 में ए टी एण्ड सी हानियाँ तैयार ही नहीं की जा सकी जिसने 'गो लाईव' घोषित करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया।

एम ओ पी ने कहा (मार्च 2016) कि इन नगरों में दिखाई गई उच्च ए टी एण्ड सी हानियाँ शुद्ध ऊर्जा आंकड़ों को दोषयुक्त मीटर, मोडेम एवं संप्रेषण विफलता के मुद्दों के कारण नहीं पकड़ पाने पर एवं बिलिंग के कारण आंकड़ें संग्रहण में त्रुटि तथा चोरी के कारण वाणिज्यिक हानियों में वृद्धि के कारण हुई होगी। पी एफ सी, हालांकि अपनी तरफ से आई पी डी एस वेबसाइट पर प्रायोगिकियों के द्वारा अपलोड किये गये व्यवस्था जनित आंकड़ों पर आधारित नगरबद्ध ए टी एण्ड सी हानियों की निगरानी कर रहा है तथा प्रायोगिकियों को आंकड़ों की शुद्धता के साथ-साथ हानियों की कमी के लिए प्रशासनिक एवं अन्य उपाय किया जाना सूचित किया जा रहा था। इन रिपोर्टों की एम ओ पी की मासिक पुनरीक्षण योजना एवं निगरानी (आर पी एम) बैठक में भी चर्चा की जाती है। आगे, प्रायोगिकियों के द्वारा प्रस्तुत की गई गो-लाईव रिपोर्टों की अविश्वसनीयता के संबंध में, यह कहा जाता है कि 'गो-लाईव' की घोषणा के बाद, प्रायोगिकी बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के तंत्र जनित 'गो-लाईव' रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं जो उनकी विश्वसनीयता के बारे में पर्याप्त आश्वासन दे रहा है।

एम ओ पी के उत्तर ने यह सुझाया कि नगरों को बिना तंत्र की स्थिरता के आश्वासन एवं बिना इस बात के सत्यापन के कि तंत्र सटीक सूचना प्रेषित कर रहे हैं, 'गो-लाईव' घोषित कर दिया गया। आर-ए पी डी आर पी का प्रमुख उद्देश्य ए टी एण्ड सी हानियों को कम करने के साथ-साथ ए टी एण्ड सी हानियों का विश्वसनीय आँकड़ा प्राप्त करना भी था जो कि पूरा होता नजर नहीं आता है। आगे, कई मामलों में यह देखा गया कि आँकड़े स्वचालित रूप से प्रसारित नहीं किये जा रहे हैं।

5.2 टी पी आई ई ए द्वारा बेसलाइन आँकड़ों का सत्यापन

प्रायोगिकियों द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों में यह देखा गया कि टी पी आई ई ए द्वारा पाँच राज्यों¹⁴ में ए टी एण्ड सी हानियों का सत्यापन नहीं किया गया था। योजना से पूर्व और योजना के अंतर्गत प्रगति की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बेस ए टी एण्ड सी हानियों और वार्षिक हानियों का सत्यापन आवश्यक था। ऐसा करने में विफलता योजना के विकास के सत्यापन को कठिन बना देगी कि जिससे यह जाँचा जा सके कि किन्हीं मध्यावधि सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता थी।

एम ओ पी (मार्च 2016) ने कहा कि वर्तमान में बेसलाईन आँकड़ों की स्थापना गोवा (4 शहर), जम्मू और कश्मीर (17 शहर), पुडुचेरी (4 शहर), बिहार (24 शहर), झारखण्ड (11 शहर), अरुणाचल प्रदेश (2 शहर), मिजोरम (1 शहर), ओडिशा (12 शहर) के अलावा सभी राज्यों में की जा चुकी है, इनमें भी इसके जल्दी ही पूर्ण होने का अनुमान है। यह कहा गया कि पी एफ सी/एम ओ पी के द्वारा प्रक्रिया का नियमित तौर पर निरीक्षण किया जा रहा है और कहा गया कि वार्षिक ए टी एण्ड सी नुकसान के आँकड़ों का पुष्टिकरण आर-एपीडीआरपी के दिशा निर्देशों के अनुसार, ऋण के अनुदान में रूपांतरित करने के लिए भाग ए (आई टी) के साथ-साथ भाग बी की समाप्ति के एक वर्ष बाद किया जाना था जिसका अभी समय नहीं हुआ है।

इस संदर्भ में, यह ध्यान देने योग्य है कि ए टी एण्ड सी आँकड़ों का मूल्यांकन प्रतिवर्ष होना था जोकि भाग बी परियोजना शुरू किए जाने के एक साल बाद शुरू होना था ना कि भाग बी परियोजना के पूरा होने के बाद, जैसाकि एम ओ पी द्वारा कहा गया है। अतः, ए टी एण्ड सी हानियों का मूल्यांकन होना बाकी है लेकिन अभी किया नहीं गया है और बेसलाइन डाटा, स्वयं, परियोजना के शुरू किए जाने से पहले एकत्र नहीं किया गया है। आगे, यह देखा गया है कि प्रायोगिकियों और एम ओ पी के द्वारा दिये गये बेसलाईन आँकड़ों के सत्यापन के विवरण का मेल नहीं खाना आँकड़ों की वैधता पर सवाल खड़ा करता है।

5.3 ए टी एण्ड सी हानियों के अविश्वसनीय आँकड़े

पी ए सी ने, अपनी 77वीं रिपोर्ट (14वीं लोक सभा) में ए टी एण्ड सी हानियों के अभिलेखों के रखरखाव, जिसमें उचित दिशानिर्देशों और समर्थक अभिलेखों का अभाव था जिसकी वजह से एम ओ पी द्वारा प्रतिवेदित किये गये आँकड़ों को विश्वसनीय, सही और स्वीकार्य नहीं माना गया, में महत्वपूर्ण कमियों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। आगे, ऊर्जा पर स्थाई समिति 2012-13 (15वीं लोक सभा),ने पी एफ सी को ए टी एण्ड सी हानियों से संबंधित आँकड़ों को उल्लिखित

¹⁴ गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय और पुडुचेरी

करते वक्त कहा कि वह यह समझने में असमर्थ है कि क्या आँकड़े वर्ष दर वर्ष बदल सकते हैं। समिति ने मंत्रालय को इस महत्वपूर्ण पहलू की निगरानी करने और मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में वार्षिक आधार पर ए टी एण्ड सी हानियों के राज्यवार विवरण को भी समावेशित करने का निर्देश दिया क्योंकि यह राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे आर-एपीडीआरपी, राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना और डिस्कॉम को वित्तीय सहायता देने की एक नयी योजना के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के अनुमोदन का आधार था।

तथापि यह पाया गया कि पी ए सी और स्थायी समिति के ए टी एण्ड सी हानि आँकड़ों की प्रामाणिकता पर अवलोकनों के बावजूद, एक ही वर्ष के लिए विभिन्न दस्तावेजों में ए टी एवं सी हानियों के आँकड़ों में भिन्नता थी नामतः :

- (i) ऊर्जा पर 14वीं स्थाई समिति की रिपोर्ट (2010-11) जो कि मार्च 2011¹⁵ में संसद में प्रस्तुत की गयी।
- (ii) XII पंचवर्षीय योजना दस्तावेज
- (iii) 2 मई 2013 को लोक सभा में उत्तर दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 5892 के भाग (ग) एवं (घ) के जवाब का संदर्भित अनुलग्नक और
- (iv) अप्रैल 2015 में संसद में प्रस्तुत 16वीं लोकसभा में ऊर्जा पर 5वीं स्थायी समिति का प्रतिवेदन 2014-15
- (v) वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए राज्य विद्युत प्रायोगिकियों के निष्पादन” पर प्रतिवेदन (जुलाई 2015)

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 के लिए ए टी एण्ड सी हानियों के आँकड़े **अनुलग्नक-XIII** में प्रदर्शित हैं जबकि वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए **अनुलग्नक-XIV** में प्रदर्शित हैं। आगे, स्थायी समिति के ए टी एण्ड सी हानियों के राज्यवार विवरण को वार्षिक आधार पर मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में समावेशित करने के निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया।

उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पी एफ सी और एम ओ पी ने पी ए सी और ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया और विभिन्न राज्यों में ए टी एण्ड सी हानि के आँकड़ों को अभी तक अधिप्रमाणित नहीं किया है।

¹⁵ 2008-09 के लिए

एम ओ पी (मार्च 2016) ने कहा कि तथापि ए टी एण्ड सी हानियों की गणना की कार्यप्रणाली एक समान थी, लेकिन पिछले वर्ष की ए टी एण्ड सी हानियों में परिवर्तन हो सकता है जब :

- प्रायोगिकी वार्षिक खातों में अनुपलब्ध मानकों के संबंध में संशोधित जानकारी भेजता है।
- अंकक्षित खाते बाद में प्राप्त हुए और उनमें निहित जानकारी अनंतिम खातों के समान नहीं थी।
- संसाधन योजनाएं तीन सालों के लिए जानकारी रखती हैं। यदि पिछले दो सालों की सूचना में परिवर्तन है, तो सम्पूर्ण डेटा का अद्यतन किया जाता है और ए टी एण्ड सी सहित सभी मानकों की पुनर्गणना की जाती है।

चूंकि, सूचना स्थायी समिति/ऊर्जा मंत्रालय/सी ई ए को उस तारीख में नवीनतम अद्यतन जानकारी के हिसाब से प्रस्तुत की गयी थी, इसलिए ए टी एण्ड सी हानियाँ विभिन्न दस्तावेजों में भिन्न थीं।

एम ओ पी के जवाब को इस तथ्य के प्रकाश में देखे जाने की आवश्यकता है कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त पुरानी अवधियों से संबंधित आँकड़ों में भिन्नता थी, जिसकी अपेक्षा नहीं थी। उदाहरण के लिए, वर्ष 2008-09 के लिए अप्रैल 2015 में (सात साल बाद) प्रस्तुत आँकड़े मई 2013 (चार साल बाद) में प्रस्तुत आँकड़ों से भिन्न थे। ए टी एण्ड सी हानियों के प्रमाणिक आँकड़ों के एम ओ पी के पास होने की संभावना नहीं है यद्यपि ये आर ए पी डी आर पी के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन था।

5.4 ए टी एण्ड सी हानियों के परिकलन में विसंगतियाँ

22 फरवरी 2011 को हुई 22वीं संचालन समिति की बैठक के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि सी ई ए, टी पी आई ई ए-ई ए लेखा द्वारा सत्यापित किये गये शहरों की बेस ए टी एण्ड सी हानियों की, विशेष रूप से जहाँ अन्तर अधिक पाया जाता है, नमूना जांच करेगा। सी ई ए ने चार राज्यों की 243 परियोजनाओं की ए टी एण्ड सी हानियों की नमूना जाँच की और पाया कि 116 परियोजनाओं में 5 प्रतिशत का और 52 परियोजनाओं में 10 प्रतिशत से ज्यादा का अंतर था। अंतर का कारण ए टी एण्ड सी हानियों की गणना के क्षेत्र में परिवर्तन, घेराबंदी का पूरा न होना, अभिकलन पद्धति में बदलाव, ए टी एण्ड सी हानियों के अभिकलन के लिए विभिन्न अवधि का विचार किया जाना और डी पी आर की तैयारी और ए टी एण्ड सी हानियों के अभिकलन के बीच समय अंतराल था।

लेखापरीक्षा ने यह अवलोकित किया कि ए टी एण्ड सी हानियों की परिकलन की कार्यप्रणाली पी एफ सी द्वारा सितम्बर 2009 में तैयार की गयी और सभी राज्य प्रायोगिकियों को परिचालित की गई। जिससे कि सभी प्रायोगिकियाँ ए टी सी एण्ड सी हानियों का आकलन एक समरूप तरीके से करें। आगे, यह देखा गया कि पी एफ सी ने ए टी एण्ड सी हानियों के अभिकलन के लिए निर्धारित कार्यप्रणाली की अनुपालना का सत्यापन नहीं किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि कार्यप्रणाली का एक समान रूप से पालन नहीं किया गया है जो कि नीचे लाया गया है :

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश में, मीटर और मोडमों को 33/11 उप स्टेशनों के उद्गम बिंदुओं के बजाय 33/11 केवी उप स्टेशन से व्युत्पन्न हो रहे 11 केवी फीडर पर स्थापित किया गया था जो ए टी एण्ड सी हानियों के परिकलन के लिए बेसलाइन कार्यप्रणाली के खंड 3.1.1 का उल्लंघन था। आगे, यह तंत्र विद्युत को 33 के वी से 11 के वी तक लाने में होने वाली हानियों की गणना नहीं करता है।

मेघालय

- उन सभी राज्यों के संदर्भ में जहाँ बेसलाइन ए टी एण्ड सी हानियों को वाटर एण्ड पावर कन्सल्टैन्सी सर्विसेस (डब्ल्यू ए पी सी ओ एस) के द्वारा निश्चित किया गया था, यह पाया गया कि संग्रहण दक्षता का परिकलन पूर्व के महीनों के बकायों को ध्यान में रखे बिना किया गया था जो उच्च संग्रहण दक्षता और वास्तविक से कम ए टी एण्ड सी हानियों के रूप में परिणामित हुआ।
- जोवई, रेसुबेलपारा, विलियमनगर और मैरंग शहरों के संदर्भ में, ए टी एण्ड सी हानियों को गलत ऊर्जा इनपुट और आउट पुट आँकड़ों के आधार पर निश्चित किया गया था क्योंकि 33 केवी और 11 के वी सी टी पी टी उपकरण खराब थे।
- शिलॉंग और माइरांग शहरों के संदर्भ में, ए टी एण्ड सी हानियों को 11 केवी और 33 केवी फीडर में लगे पुराने मीटरों से ऊर्जा इनपुट और आउटपुट और आयात-निर्यात बिन्दु जो कि आर-ए पी डी आर पी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित मानकों के हिसाब से नहीं थे, द्वारा मापा गया था।

एम ओ पी ने बताया (मार्च 2016) कि बेसलाइन आँकड़ों की स्थापना के लिए कार्यप्रणाली को समान रूप से विभिन्न राज्यों में लागू किया गया है। शहरी क्षेत्रों के लिए बेसलाइन की स्थापना टी पी आई ई ए के माध्यम से समान रूप से इसी कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए की गई है।

मंत्रालय का मत ऊपर सूचीबद्ध लेखापरीक्षा निष्कर्षों के प्रकाश में स्वीकार्य नहीं है।

5.5 ऊर्जा लेखा और लेखापरीक्षा

ऊर्जा लेखा उपभोक्ताओं के विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न श्रेणियों हेतु ऊर्जा प्रवाह का लेखा तैयार करने और एक निर्धारित समय अवधि में कुल क्वांटम में से कैसे इसका उपभोग किया गया को समावेशित करता है। रिसाव व घाटे को कम करने और तकनीकी प्रदर्शन को भी सुधारने हेतु तंत्र में जाँच संतुलन बनाने के उपायों को विकसित करने के लिए ऊर्जा लेखापरीक्षा में ऊर्जा लेखा के आँकड़ों का अर्थपूर्ण ढंग से विश्लेषण करना सम्मिलित है। प्रभावी ऊर्जा लेखा और लेखापरीक्षा को प्राप्त करने के लिए, यह आवश्यक है कि मीटर को सभी स्तरों जैसे कि फीडर, वितरण ट्रॉसफार्मर और उपभोक्ता, पर लगाया जाये, मीटर रीडिंग नियमित रूप से ली जाये और उसमें सामंजस्य किया जाये, उचित उपभोक्ता अनुक्रमण जी आई एस मैपिंग के माध्यम से किया जाये और बिलिंग प्रणाली से जोड़ा जाये ताकि घाटे के क्षेत्र पहचाने जा सकें और सुधारात्मक उपाय किये जा सकें। ऊर्जा लेखा एक बार का कार्य नहीं है अपितु इसको लगातार किया जाना चाहिए।

2007 की सी ए जी की प्रतिवेदन संख्या 16 की सिफारिशों के अनुसार, ऊर्जा लेखा और लेखापरीक्षा की एक प्रणाली विकसित की जानी थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ए टी एण्ड सी हानियों को सही ढंग से अनुमानित किया गया था और सुधारात्मक उपायों के प्रभावों को सही से मापा गया था। पी ए सी ने, अपनी 77वीं रिपोर्ट (14वीं लोक सभा), में भी यह अवलोकित किया कि वाणिज्यिक हानियों की कमी को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त, अपेक्षाकृत कम पूंजी निवेश के साथ, व्यापक ऊर्जा लेखा और लेखापरीक्षा है जोकि इस प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में नुकसान की मात्रा और उनके वाणिज्यिक और तकनीकी घाटे में पृथकता को सक्षम करेगा। समिति ने यह भी कहा कि 100 प्रतिशत मीटर प्रणाली की कमी, केन्द्र और फीडर स्तर पर जवाबदेही की कमी, सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने की गतिविधियों के संबंध में कम प्रगति, जैसे उपभोक्ता अनुक्रमण के रूप में, डिजिटल मैपिंग, ओटोमेटिड मीटर रीडिंग यंत्र, डाटा संग्राहक इत्यादि के कारण प्रभावी ऊर्जा लेखांकन और लेखापरीक्षा अधिकांश राज्यों में नहीं किया जा रहा था। सभी बिजली कनेक्शनों की मीटरिंग और मूल्यांकन के आधार पर एकमुश्त बिलिंग के बजाय मीटर के जरिए यूनिट के आधार पर बिलिंग से बिलिंग दक्षता में सुधार और ए टी एण्ड सी नुकसानों को कम करने में मदद मिलेगी।

आर-ए पी डी आर पी ने प्रमाणित बेसलाइन डाटा की स्थापना पर विचार किया। सभी सम्पत्तियों व उपभोक्ताओं का मिलान और अनुक्रमण करना था। फीडर और वितरण ट्रॉसफार्मर (एफ डी टी) मीटर और थोक उपभोक्ताओं के मीटरों की जानकारी थोड़ी दूर से लेनी थी और बेस लाइन

डाटा की पुष्टि एम ओ पी द्वारा नियुक्त किये जाने वाले स्वतंत्र लेखापरीक्षा के माध्यम से करानी थी। सम्पत्तियों और उपभोक्ताओं का मिलान प्रायोगिकियों को उन क्षेत्रों की पहचान करने में समर्थ बनाएगा जहाँ बिजली की चोरी की जा रही थी, जो बदले में इन्हें ए टी एंड सी के घाटे में कमी करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने में सक्षम बनाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 12 राज्यों¹⁶ में ऊर्जा लेखा प्रणाली और लेखापरीक्षा नहीं की जा रही थी, जबकि अन्य 13 राज्यों¹⁷ में ऊर्जा लेखापरीक्षा और लेखाप्रणाली के आँकड़ें कर्मचारियों द्वारा एकत्रित किये जा रहे थे जिससे उनकी विश्वसनीयता और सत्यता पर सवाल उठ रहे थे। यह पाया गया कि ऊर्जा लेखाप्रणाली और लेखापरीक्षा न होने का मुख्य कारण, श्रेणी-ए की परियोजनाओं का पूर्ण न होना और आँकड़ें एकत्रित करने के लिए विभिन्न इकाइयों का एकीकरण न होना था।

एम ओ पी ने बताया (मार्च 2016) कि जनवरी 2016 तक, प्रायोगिकियों ने, 25 राज्यों के 1164 'गो लार्डव' शहरों में से 1069 शहरों में आई टी प्रणाली (बिना मानवीय हस्तक्षेप) से ऊर्जा लेखापरीक्षा रिपोर्ट अपलोड की अतः इसे विश्वसनीय माना गया।

एम ओ पी का उत्तर लेखापरीक्षा जाँच परिणामों के प्रकाश में स्वीकार्य नहीं है जो निम्नलिखित है :

- **आंध्र प्रदेश और तेलंगाना** : मीटरों की सूचना, जो कि बिना मानवीय हस्तक्षेप के, डाटा प्रसारण हेतु आवश्यक थी, 100 प्रतिशत से काफी कम थी।
- **मध्य प्रदेश और झारखण्ड** : बहुत से मामलों में डी टी मीटरों और फीडर मीटरों की सूचना शून्य प्रतिशत थी।
- **छत्तीसगढ़** : श्रेणी-ए के अंतर्गत लगाए गये 8165 जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (जी पी आर एस) मॉडमस में से, केवल 5733 ऊर्जा आँकड़ों की सूचना दे रहे थे, जिससे कि प्रायोगिकी को ऊर्जा आँकड़ों की कमी को मजबूरन हस्तलिखित प्रविष्टियों से पूरा करना पड़ रहा था।
- **हिमाचल प्रदेश** : 628 पी टी आर/फीडर/डी टी आर मीटरों को ऑन-लाइन संचार से नहीं जोड़ा गया।
- **तमिलनाडु** : फरवरी 2016 तक भी, कोई भी ऊर्जा लेखापरीक्षा रिपोर्ट स्वचालित तरीके से नहीं बनाई जा सकी।

¹⁶ बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पुडुचेरी, सिक्किम और उत्तर प्रदेश।

¹⁷ आन्ध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल।

तथ्य यह है कि ऊर्जा लेखा और लेखापरीक्षा या तो की ही नहीं जा रही थी या मानवीय हस्तक्षेप से की जा रही थी जोकि उनकी प्रामाणिकता के बारे में चिन्ता उत्पन्न करता है।

ऊर्जा लेखा व लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों की स्थिति निम्नलिखित अनुच्छेदों में प्रस्तुत है:

5.5.1 मीटरिंग

उचित ऊर्जा लेखा व लेखापरीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए फीडरों, वितरण ट्रांसफार्मरों (डी टी) व उपभोक्ताओं की 100 प्रतिशत मीटरिंग का कार्यान्वयन पूर्वापेक्षित था। मीटरिंग यह सुनिश्चित करेगी कि ऊर्जा आपूर्ति का ठीक लेखांकन व सटीक बिलिंग हो रही है। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि मीटरिंग सभी स्तरों पर की जाए नामतः फीडर स्तर, वितरण ट्रांसफार्मर स्तर तथा उपभोक्ता स्तर जिससे ऊर्जा आपूर्ति की उचित ट्रेल को सुनिश्चित किया जा सके, जोकि बेहतर ऊर्जा लेखा व लेखापरीक्षा में सहायक होगा।

राज्यानुसार फीडर, डी टी व उपभोक्ता मीटरिंग की स्थिति क्रमशः **अनुलग्नक XV** व **अनुलग्नक XVI** में दी गई है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 29 राज्यों में जहाँ नमूना जाँच की गई वहाँ मीटरिंग अभी अपूर्ण थी, जैसाकि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 9 : फीडर, डी टी और उपभोक्ता मीटरिंग की स्थिति

क्र.सं.	मीटरिंग प्रतिशत	राज्यों की संख्या		
		11 के वी फीडर मीटरिंग	डी टी मीटरिंग	उपभोक्ता मीटरिंग
1.	0-60	2	8	2
2.	60-80	2	8	2
3.	80-100	24	12	22
4.	आँकड़े उपलब्ध नहीं है	1	1	3

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, कुछ राज्यों में मीटरिंग 60 प्रतिशत से कम थी।

एम ओ पी ने अपने उत्तर (मार्च 2016) में कहा कि आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत भाग 'ए' (आई टी) परियोजनाओं का डी टी स्तर (फीडर मीटरिंग/बाऊंडरी मीटरिंग/डी टी मीटरिंग) तक ऑनलाइन ऊर्जा लेखांकन विचारित था जिसकी निगरानी कार्यक्रम के भाग-ए (आई टी) शहरों के संदर्भ में पी एफ सी द्वारा की जाएगी। उनके उत्तर के रूप में एम ओ पी द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण (मार्च 2016) ने दर्शाया कि चार¹⁸ राज्यों में फीडर मीटरिंग 60 प्रतिशत से कम थी जबकि पाँच¹⁹ राज्यों में डी टी मीटरिंग 60 प्रतिशत से कम थी। इसके अतिरिक्त चार²⁰ राज्यों के

¹⁸ झारखंड, पुडुचेरी, राजस्थान (2 प्रायोगिकी) में 0 प्रतिशत तथा जम्मू कश्मीर में 40 प्रतिशत

¹⁹ जम्मू कश्मीर में 14 प्रतिशत, ओडिशा 40 प्रतिशत, राजस्थान में एक प्रायोगिकी 55 प्रतिशत, हरियाणा में एक प्रायोगिकी 56 प्रतिशत व छत्तीसगढ़ 57 प्रतिशत

²⁰ मणिपुर, मेघालय, मिजोरम व सिक्किम

संदर्भ में एम ओ पी फीडर मीटरिंग के आँकड़ों को प्रस्तुत नहीं कर सकी। उपभोक्ता मीटरिंग के संबंध में एम ओ पी ने कहा कि उपभोक्ता मीटरिंग का वित्तपोषण केवल इलेक्ट्रो-मेकेनिकल मीटर/दोषपूर्ण मीटर के प्रतिस्थापन के लिए किया गया था तथा आगे कहा कि प्रायोगिकियाँ 100 प्रतिशत उपभोक्ता मीटरिंग को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं।

एम ओ पी का उत्तर केवल लेखापरीक्षा के तर्क को सशक्त करता है कि योजना के कार्यान्वयन के आठ वर्षों के बीत जाने के बाद भी सभी राज्यों में 100 प्रतिशत मीटरिंग को प्राप्त किया जाना शेष था।

5.6 विद्युत क्षेत्र में सुधार

सी ए जी के 2007 के प्रतिवेदन तथा सं. 16 तथा पी ए सी के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों में विद्युत क्षेत्र के पुनर्गठन, ए टी एण्ड सी के घाटे में कमी करने के उपाय जैसे कि सतर्कता दस्ते का गठन, विशेष अदालतों का गठन आदि मुख्य मुद्दे रहे। क्योंकि आर-एपीडीआरपी भी इसी तरह के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लक्षित था, यह उपाय, यद्यपि आर-एपीडीआरपी दिशा-निर्देशों में विशेष रूप से शामिल नहीं थे, लेकिन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण थे। इन उपायों के संबंध में विभिन्न राज्यों की उपलब्धि की स्थिति निम्नलिखित पैराग्राफ में प्रस्तुत की गई है।

5.6.1 विशेष अदालतें और सतर्कता दल

उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत आपूर्ति प्रणाली से अनाधिकृत कनेक्शन, मीटर उपमार्ग से छेड़छाड़ आदि विद्युत चोरी के विभिन्न तरीके हैं, जिनसे ए टी एण्ड सी हानियाँ होती हैं। कनेक्शन के निरीक्षण हेतु सतर्कता दलों के गठन के द्वारा विद्युत चोरी की जाँच पड़ताल की जा सकती है। विद्युत चोरी से संबंधित अपराधों की शीघ्र सुनवाई करने से विद्युत चोरी की पुनरावृत्ति को रोका जा सकेगा। यह विशेष अदालतों की स्थापना करके प्राप्त किया जा सकता है, चूँकि विद्यमान न्यायिक प्रणाली पर पहले से ही असंख्य मामलों का भार है जिससे विलम्ब हो रहा है। राष्ट्रीय विद्युत अधिनियम ने भी विद्युत चोरी से संबंधित अपराधों की शीघ्र सुनवाई के लिए प्रत्येक राज्य में विशेष अदालतों की स्थापना पर विचार किया। विशेष अदालतों के निर्माण और सतर्कता दलों के गठन से विद्युत चोरी की जाँच पड़ताल में सहायता मिलेगी तथा जिसके द्वारा ए टी एण्ड सी हानियों को कम किया जा सकेगा।

5.6.1.1 विशेष अदालतें

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि, विशेष अदालतों की स्थापना गोवा, हरियाणा और जम्मू एवं कश्मीर में नहीं की गयी थी। गोवा में, चोरी के मामले आंशिक होने के कारण विशेष अदालत स्थापित नहीं की गई। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, विशेष अदालतों को स्थापित न करने के कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे। अदालतों की स्थापना, विद्युत चोरी के मामले और इस प्रकार के पाये गए अन्य अपराधों व दण्ड के राज्यवार ब्यौरे को अनुलग्नक XVII में दिया गया है। राज्यों में लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए मामलों की स्थिति निम्नानुसार है :

- छत्तीसगढ़ की विशेष अदालतों में 9,460 मामले लंबित थे जबकि मध्य प्रदेश की विशेष अदालतों में 1,43,678 मामले तथा उत्तर प्रदेश की विशेष अदालतों में 1,838 मामले लंबित थे।
- उड़ीसा और तमिलनाडु में क्रमशः 2,623 मामले और 19 मामले, विशेष अदालतों में लंबित थे, जिनमें से कुछ मामले पाँच या उससे अधिक वर्षों से लंबित थे। विशेष अदालतों में पाँच या उससे अधिक वर्षों से लंबित मामलों के दृष्टांतों को आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना में भी पाया गया था।

5.6.1.2 सतर्कता दल

लेखापरीक्षा ने राज्यों में सतर्कता दलों के कार्यों में निम्नलिखित कमियाँ पाई :

- मिजोरम में सतर्कता दल नहीं बनाया गया है। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों में सतर्कता दल न बनाये जाने के कारण प्रस्तुत नहीं किये गए।
- 10 राज्यों²¹ में सतर्कता दलों के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किये गये। इन राज्यों में सतर्कता दलों द्वारा किये गये निरीक्षणों के विवरण भी प्रस्तुत नहीं किये गये।
- चार राज्यों²² में सतर्कता दलों द्वारा जाँचे गये कनेक्शनों की संख्या कुल कनेक्शनों के 2 प्रतिशत से भी कम थी।
- छत्तीसगढ़ में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। अन्य राज्यों के संदर्भ में चोरी के मामलों की प्रवृत्ति को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया।

²¹ असम, बिहार, गोवा, जम्मू और कश्मीर, केरल, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तराखण्ड में

²² छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल तथा उत्तराखंड

अनुशंसाएँ :

4. मंत्रालय को 100 प्रतिशत मीटर लगाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिये जिससे कि कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों के बेसलाइन आँकड़े सत्यापित हों, कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों का वार्षिक सत्यापन हो तथा ऊर्जा का प्रभावशाली लेखा निर्माण एवं लेखापरीक्षा हो सके।
5. मंत्रालय परियोजना क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर विशेष न्यायालय तथा सतर्कता दस्ते स्थापित करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित कर सकता है जिससे कि अपराधों की शीघ्र सुनवाई हो एवं बिजली चोरी रोकी जा सके, जिससे वाणिज्यिक नुकसान कम हों।

अध्याय 6

उपभोक्ता संतुष्टि

उपभोक्ता संतुष्टि

आर-एपीडीआरपी योजना के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य उपभोक्ता की संतुष्टि को सुधारना था। इसकी प्राप्ति आईटी – सक्षम उपभोक्ता सेवा केन्द्र, ग्राहक सेवा प्रणाली की स्थापना एवं उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता आश्वस्त करने के माध्यम से की जानी थी। इस संबंध में लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को नीचे प्रस्तुत किया गया है।

6.1 व्यावसायिक गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण (बिलिंग, संग्रहण आदि)

व्यावसायिक गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण जैसे बिलिंग, संग्रहण इत्यादि को दो²³ राज्यों में पूरा नहीं किया गया जबकि चार²⁴ राज्यों में, यह केवल आंशिक रूप से ही कार्यान्वित किया गया था। आन्ध्र प्रदेश में भी प्रणाली में कमियाँ पायी गईं।

6.2 ग्राहक सेवा प्रणाली की स्थापना

प्रायोगिकियों द्वारा ग्राहक सेवा प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए थी जिसमें कम्प्यूटरीकरण लागिंग, ट्रेकिंग एवं ग्राहक अनुग्रहों के निवारण शामिल हों। हालांकि यह देखा गया कि नौ²⁵ राज्यों में प्रणाली को पूरी तरह से स्थापित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने राज्यों में स्थापित सी सी एस में निम्न को पाया :

- ग्राहक सेवा केन्द्र में अस्थायी कनेक्शन हेतु अनुग्रह, विद्युत इकाई के रखरखाव, विशेष कनेक्शन/कनेक्शन हटाना/समाप्ति, स्पॉट पैमाइश एवं बिलिंग प्रणाली के साथ इन्टरफेस, अन्य प्रणालियों के साथ इन्टरफेस, इत्यादि को छह²⁶ राज्यों में नहीं किया गया जबकि मिजोरम में यह आंशिक रूप से किया गया।
- 6 राज्यों²⁷ में विद्युत बिल का भुगतान विविध माध्यमों के माध्यम से करना संभव नहीं था।
- प्रणाली 11 राज्यों²⁸ में राजस्व रिसावों को रोकने के लिए कनेक्शनों को शीघ्र हटाने तथा विघटित करने का समर्थन नहीं करती थी।

²³ गोवा और नागालैण्ड

²⁴ जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, राजस्थान और तेलंगाना,

²⁵ असम, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, राजस्थान, सिक्किम और तमिलनाडु

²⁶ गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, और, राजस्थान

²⁷ जम्मू एवं कश्मीर, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश और नागालैण्ड

²⁸ आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम और तमिलनाडु

- पाँच राज्यों²⁹ में पैमाइश प्रणाली, मीटर रीडिंग एवं अपवाद सूचियों को उत्पन्न करने से संबंधित कार्यों का समर्थन नहीं करती थी।

विद्युत मंत्रालय ने (मार्च 2016) कहा कि उपभोक्ता संतुष्टि के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मुद्दों को टी पी आई ई ए – आई टी द्वारा सत्यापन के पहले/के दौरान प्रायोगिकियों के द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें ऋण के अनुदान में रूपांतरण का लाभ उठाने में सक्षम बनाया जा सके।

विद्युत मंत्रालय का उत्तर यह इंगित करता है कि ग्राहक सेवा प्रणाली की स्थापना के लिए मंत्रालय/नोडल एजेंसी द्वारा नियमित रूप से निगरानी नहीं की जा रही है।

6.3 सेवा कनेक्शनों का निर्धारण/उच्च परिशुद्धता/हस्तक्षेपरहित मीटरों के साथ प्रतिस्थापन न किया जाना

उच्च परिशुद्धता के हस्तक्षेपरहित मीटरों को सभी कनेक्शनों के लिए उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था क्योंकि उनसे मानवीय हस्तक्षेप के बिना अधिक परिशुद्ध बिलिंग सक्षम होगी। यह राजस्व के रिसाव को रोकने और प्रायोगिकियों की वाणिज्यिक व्यवहारिकता को सुधारने में भी सहायक होगा। यह देखा गया कि सभी सेवा कनेक्शनों में उच्च परिशुद्धता/हस्तक्षेपरहित मीटर नहीं लगाये/प्रतिस्थापित किये गये थे जैसा कि तीन राज्यों³⁰ में पाया गया।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2016) कि भाग 'ए' और भाग 'बी' से संबंधित सभी मुद्दों पर प्रायोगिकी द्वारा टीपीआईईए-आईटी के सत्यापन के पहले/दौरान विचार किया जायेगा ताकि उन्हें ऋण से अनुदान में रूपांतरण के लाभ को पाने में सक्षम बनाया जा सके।

विद्युत मंत्रालय का उत्तर यह सुझाव देता है कि वहां सतत् निगरानी का अभाव था, परियोजना के अंत में ऋण से अनुदान में रूपांतरण के लिए प्रायोगिकियों द्वारा की जाने वाली सुधारात्मक कार्यवाही पर जोर दिये जाने की संभावना थी।

6.4 उचित टेल एंड वोल्टेज की आपूर्ति न किया जाना

टेल एंड वोल्टेज की आपूर्ति विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता का एक पैमाना है। यह पाया गया था कि दो राज्यों³¹ में उचित टेल एण्ड वोल्टेज की आपूर्ति नहीं की गयी थी जबकि 15 राज्यों³² में परियोजना अभी तक शुरू नहीं हुई थी या प्रगति में थी।

²⁹ जम्मू एवं कश्मीर, केरल पुडुचेरी, राजस्थान और तमिलनाडु

³⁰ हिमाचल प्रदेश, मेघालय, और सिक्किम

³¹ मेघालय और उत्तर प्रदेश

³² आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखण्ड

विद्युत मंत्रालय ने दोहराया (मार्च 2016) कि भाग-ए परियोजनाओं के कार्यान्वयन को दिशानिर्देशों के अनुसार टी पी आई ई ए-आई टी द्वारा सत्यापन के बाद ही पूर्ण माना जायेगा और तदनुसार ऋण से अनुदान में रूपांतरण संतोषजनक पूर्णता पर निर्भर होगा जोकि टी पी आई ई ए-आई टी द्वारा सत्यापित होगा। अतः भाग-ए से संबंधित सभी मुद्दों को प्रायोगिकी द्वारा टी पी आई ई ए-आई टी के सत्यापन से पहले/दौरान विचार किया जायेगा ताकि उन्हें ऋण से अनुदान में रूपांतरण के लाभ को उठाने में सक्षम बनाया जा सके। भाग बी परियोजनाओं के मामले में, ऋणों का अनुदान में रूपांतरण दिशा निर्देशों के अनुसार प्रायोगिकी द्वारा ए टी एण्ड सी घाटों में कमी को प्राप्त करने पर निर्भर होगा जिसे भाग-ए आई टी के पूर्ण होने के एक वर्ष बाद तथा भाग-बी के पूर्ण होने के बाद विधिवत रूप से सत्यापित किया जायेगा। अतः भाग बी से संबंधित सभी मुद्दों पर प्रायोगिकी द्वारा विचार किया जायेगा ताकि उन्हें ऋण के अनुदान में रूपांतरण का लाभ उठा पाने में सक्षम बनाया जा सके।

विद्युत मंत्रालय का उत्तर यह संकेत देता है कि मंत्रालय द्वारा निरंतर निगरानी जिससे कि परियोजनाओं का कार्यान्वयन उचित रूप से हो सके की अपेक्षा निगरानी परियोजना के कार्यान्वयन के अंत में सुधारात्मक कार्रवाई पर निर्भर थी।

अध्याय 7

निगरानी और मूल्यांकन

निगरानी और मूल्यांकन

7.1 निगरानी का विहंगावलोकन

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, सचिव (विद्युत) के अधीन एक संचालन समिति को परियोजनाओं को, अनुमानों के संशोधन रूपांतरण सहित, स्वीकृत करना था, तथा योजना के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण और निगरानी करनी थी। राज्य स्तर पर, राज्य द्वारा मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा/एनर्जी) की अध्यक्षता में बनाई गई एक वितरण सुधार समिति (डी.आर.सी.) द्वारा परियोजना की निगरानी की जानी थी।

क्यू.ए. के पैरा 14 ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अनुबद्ध किया कि राज्य प्रायोगिकी केन्द्र सरकार/केन्द्रक अभिकरण अथवा इसके द्वारा नामित एजेंसी को, इसके द्वारा बनाए जाने वाले बही खातों और अन्य दस्तावेज को निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाएगी। इसके अतिरिक्त, पी.एफ.सी. द्वारा जारी किए गए स्वीकृति पत्रों में, लेनदारों द्वारा उचित लेखों को बनाया जाना तथा वार्षिक लेखों के बन्द होने के 3 महीनों के भीतर बिना लेखापरीक्षा के और 7 महीनों के भीतर लेखापरीक्षित लेखों को प्रस्तुत करना भी आवश्यक था। इसके अतिरिक्त क्यू.ए. के पैरा 12 (एच) ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अनुबद्ध किया कि प्रायोगिकी अपने वैब पोर्टल के द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन, निधियों के उपयोग की प्रगति के संबंध में पी.एफ.सी./एम.ओ.पी. को मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। क्यू.ए. के पैरा 3.8 के अनुसार, पी.एफ.सी. को एम.ओ.पी. के विचार के लिए, भाग 'ए' और भाग 'बी' परियोजनाओं के निगरानी प्रारूपों को बनाना था, व भाग 'ए' और भाग 'बी' परियोजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों और परिदियों के विरुद्ध कार्यान्वयन की निगरानी करनी थी।

लेखापरीक्षा में जाँच किये गये अभिलेखों से यह प्रकट होता है कि परियोजना-वार व्यय का विवरण एकत्र और/या सत्यापित नहीं किया गया। मासिक समीक्षा बैठकों के बावजूद, वितरण के केवल 50 प्रतिशत के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्राप्त किया गया था, अधिकतर मामलों में केवल प्रथम किस्त जारी की गई थी, निष्पादन के दौरान मात्राओं में भिन्नता, योजनाओं का परस्पर व्यापन, निधियों का विपथन, ए.टी. एण्ड सी. हानियों में वृद्धि को पाया गया जैसा कि इस प्रतिवेदन के पिछले अध्यायों में विशेष रूप से दर्शाया गया है।

इस संदर्भ में लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ नीचे पैरों में प्रस्तुत हैं:

7.2 डी.आर.सी. द्वारा माईलस्टोनों और लक्ष्यों की निगरानी न करना

आर.-ए.पी.डी.आर.पी. दिशानिर्देशों के पैरा 10.2 के अनुसार मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (विद्युत/उर्जा) की अध्यक्षता में बनाई गई राज्य स्तरीय वितरण सुधार समिति (डी.आर.सी.) द्वारा राज्य स्तर पर योजना की निगरानी की जाएगी। X योजना में ए.पी.डी.आर.पी. के कार्यान्वयन के लिये राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत यह डी.आर.सी. स्थापित की गई थी। डी.आर.सी. द्वारा यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी कर ली गई थी, वितरण कम्पनियों के परियोजना प्रस्तावों की अनुशंसा एम.ओ.पी. से करनी थी; और आर.-ए.पी.डी.आर.पी. योजना के अंतर्गत लक्ष्यों और माईलस्टोन्स की प्राप्ति की निगरानी करनी थी। उपरोक्त कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए डी.आर.सी. की बैठकों के आवर्तन पर राज्यों को निर्णय करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- डी.आर.सी. की बैठकों की आवर्तिता राज्यों में, एक पखवाड़े में एक बार से लेकर एक वर्ष में एक बार तक भिन्न-भिन्न थी।
- सात³³ राज्यों में डी.आर.सी. ने योजना के अन्तर्गत लक्ष्यों व माईलस्टोन्स की अथवा शर्तों के अनुपालन की निगरानी नहीं की।
- अपने प्रारंभ से डी.आर.सी. पुडुचेरी और जम्मू व कश्मीर में दो बार, असम, त्रिपुरा और मणिपुर में तीन बार, बिहार में सात बार और तमिलनाडु में दस बार मिली थी।

एम.ओ.पी. (मार्च 2016) ने इन अवलोकनों पर कोई टिप्पणी नहीं की।

7.3 राज्य स्तर पर पाए गए अन्य मामले

लेखापरीक्षा ने दिशा निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अतिरिक्त राज्य स्तर पर परियोजना की निगरानी के प्रभाव का विश्लेषण किया। निष्कर्षों की चर्चा निम्नानुसार है:—

- सिक्किम में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।
- असम में, यद्यपि परियोजना की निगरानी आवश्यकता के अनुसार प्रायोगिकी के कर्मचारियों द्वारा की जा रही थी, फिर भी निगरानी के लिए कोई प्रक्रिया/प्रणाली निर्धारित नहीं की गई थी।
- मणिपुर में, प्रौद्योगिकी ने परियोजना निगरानी को सरल एवं कारगर बनाने के उद्देश्य से, टर्नकी फर्मों (टी.के.एफ.) के साथ उप-महा प्रबन्धक (डी.जी.एम.) स्तर की अनिवार्य पाक्षिक बैठक के उद्देश्य से एक परियोजना निगरानी इकाई (जून 2014) बनाई। डी.जी.

³³ आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और तेलंगाना

एम. को मासिक बैठकों के कार्यवृत्त की प्रतियाँ महाप्रबंधकों, कार्यकारी निदेशक (तकनीकी) और प्रबंध निदेशक को भेजनी थी। इसके अतिरिक्त, टी.के.एफ. को अपनी जनशक्ति बढ़ानी थी और प्रबन्धन क्षमता के साथ कर्मचारियों की भर्ती करनी थी और कार्य निष्पादन अनुसूची के साथ परिनियोजित जनशक्ति की सूची डी.जी.एम. को उपलब्ध करवानी थी। मंडल कार्यालयों के दस्तावेजों की नमूना जाँच में ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं मिले जिससे यह प्रकट हो कि पाक्षिक बैठकें हुई थी या टी.के.एफ. द्वारा जनशक्ति परिनियोजित की गई थी और टी.के.एफ. से कार्य निष्पादन अनुसूची एकत्र की गई थी।

- **पश्चिम बंगाल** में, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यू.बी.एस.ई.डी.सी.एल.) ने (अगस्त 2007) में आर-ए.पी.डी.आर.पी. योजना सहित डब्ल्यू.बी.एस.ई.डी.सी.एल. द्वारा निष्पादित विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के नियन्त्रण के लिए परियोजना मूल्यांकन एवं निगरानी समिति (पी.ए.एम.सी.) का गठन किया। जनवरी 2009 और मार्च 2015 के मध्य, पी.ए.एम.सी. 23 अवसरों पर मिली। पी.ए.एम.सी. की बैठकों के कार्यवृत्त की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि आर-ए.पी.डी.आर.पी. पर केवल सरसरी रूप से चर्चा की गई।
- पाँच राज्यों³⁴ में परियोजनाओं के निष्पादन मापदण्ड निर्धारित नहीं किए गए।
- **उत्तर प्रदेश** में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) स्तर पर की गई बैठकों के कार्यवृत्त नहीं रखे गये थे जिस कारण सी.ई.ओ. स्तर की निगरानी बैठकों में सुझाई गई उपचारी कार्यवाही और उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही के सुरक्षा साक्ष्य लेखापरीक्षा में नहीं मिले।
- चार राज्यों³⁵ में निष्पादन मापदण्डों के बेंचमार्कों के साथ कोई तुलना नहीं की गई और उपचारी/सुधारात्मक कार्यवाही भी नहीं की गई।
- **पंजाब** में, पी.एस.पी.सी.एल के जवाब के अनुसार, ठेकेदारों के साथ पुनरीक्षण बैठकें नियमित रूप से की गई। तथापि, बेंचमार्क मापदण्डों के समक्ष, प्रगति के तुलना पत्रों का कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।
- **जम्मू एवं कश्मीर** में, कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए विभाग द्वारा रखी गई डी.आर.सी. बैठक/पुनरीक्षण बैठक में पी.एफ.सी. के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। यद्यपि, पी.एफ.सी.से नॉडल अधिकारी राज्य का दौरा कर रहा था, परन्तु लिखित टिप्पणियों/आदेशों का कोई विवरण उपलब्ध नहीं था।

³⁴ मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, राजस्थान, और सिक्किम

³⁵ महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैण्ड और सिक्किम

- झारखण्ड में, यह देखा गया कि पुनरीक्षण बैठकों में प्रायोगिकियों द्वारा दी गई वचनबद्धताएँ अपूर्ण रहीं। (सितम्बर 2015)।

एम.ओ.पी. ने अवलोकन पर कोई टिप्पणियाँ नहीं की (मार्च 2016)।

अनुशंसा

6. वितरण सुधार समिति तथा संचालन/पुनरीक्षण समिति के स्तर पर निगरानी एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को मजबूत किया जाना चाहिये जिससे कि परियोजनाएँ समय पर पूर्ण हों।

अध्याय 8

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

निष्कर्ष एवं अनुशांसाएं

8.1 निष्कर्ष

आर-ए पी डी आर पी सूचना प्रौद्योगिकी के वृहत्तर अभिग्रहण के माध्यम से सटीक आँकड़ों के संग्रह के लिए विश्वसनीय एवं स्वचालित प्रणाली को स्थापित करने पर लक्षित थी। कार्यक्रम उपभोक्ता इन्डैक्सिंग, जी आई एस मैपिंग, वितरण ट्रॉसफार्मर व फीडर मीटरिंग, स्वचालित डाटा लॉगिंग तथा नियमित वितरण सुदृढीकरण परियोजनाओं को समाविष्ट करते हुए परियोजना क्षेत्रों के लिए बेसलाईन डाटा की तैयारी के माध्यम से बेहतर निष्पादन हेतु वहनीय हानि को कम करने तथा आंतरिक जवाबदेही को प्रबलित करने पर लक्षित था।

वास्तविक बजटीय राशि मूल रूप से विचारित राशि की केवल 39.32 प्रतिशत होने से योजना के कार्यान्वयन की गति धीमी थी जबकि निर्गमन और भी कम थे। चयनित सैंपल में जाँची गई अनेक परियोजनाओं में केवल पहली किस्त को निर्गत किया गया था। समकक्ष निधिकरण को निर्धारित अवधि के भीतर अनेक प्रायोगिकियों के द्वारा सम्बद्ध भी नहीं किया गया था। परियोजना डी पी आर के मूल्यांकन में कमियाँ थी। यह पाया गया कि डी पी आर आदर्श डी पी आर के अनुरूप तैयार नहीं किये जा रहे थे। संचालन समिति के अनुमोदन के बिना परियोजनाओं की लागत में संशोधन के दृष्टांत भी पाए थे। कुछ मामलों में, निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए राज्य डी आर सी की अनुशांसा के बिना संचालन समिति द्वारा डी पी आर मूल्यांकित एवं अनुमोदित किये गए थे। पुनर्निविदा, गुणवत्ता नियंत्रण में कमियों के कारण अतिरिक्त व्यय के दृष्टांत भी पाए गए।

यद्यपि प्रायोगिकियों को स्वीकृत लागत का केवल 50 प्रतिशत ही वितरित किया गया था फिर भी करीब 80 प्रतिशत शहर को 'गो-लाईव' घोषित किया गया। यह पाया गया था कि एम ओ पी के अनुमोदन या सत्यापन के बिना स्वयं राज्यों द्वारा 'गो-लाईव' घोषित किये गए। इसके अतिरिक्त, 'गो-लाईव' घोषित किये गए 100 से अधिक शहरों में बेसलाईन के संबंध में ए टी एण्ड सी हानियाँ बढ़ी थी अथवा उत्पन्न नहीं की जा सकी थीं। इसके अलावा, ए टी एण्ड सी हानियों की गणना करने के लिए अपनायी गयी प्रणाली, यद्यपि अधिकथित थीं, लेकिन उनका समरूप

अनुकरण नहीं किया गया था जिससे ए टी एण्ड सी हानियों का विविधतापूर्ण आकलन हुआ। 12 राज्यों में ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा नहीं की जा रही थी क्योंकि भाग ए परियोजनाओं को पूर्ण किया जाना तथा डाटा संग्रह के लिए विभिन्न मॉड्यूल्स को समाहित करना शेष था।

8.2 अनुशांसाएं

समापन सम्मेलन में अनुशांसाओं पर चर्चा की गई थी तथा एम ओ पी द्वारा अधिकाँश अनुशांसाओं को स्वीकार किया गया था। लेखापरीक्षा की अनुशांसाओं को नीचे प्रस्तुत किया गया है:

1. मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रायोगिकियाँ धनराशि जारी होने से पूर्व समकक्ष धनराशि को तय कर लें।
2. मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि सम्बन्धित प्रायोगिकियाँ उपयोगिता प्रमाण पत्र को सामान्य वित्तीय नियमों में दी गई समयसीमा के अनुसार प्रस्तुत करें।
3. मंत्रालय को प्राप्त नहीं किए गए माइलस्टोनों के कारणों तथा उस पर की गई कार्यवाही के साथ-साथ राज्य प्रायोगिकियों द्वारा तय किये गये लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त किये गये माइलस्टोनों को सूचित करने की प्रक्रिया विकसित करने पर विचार करना चाहिये।
4. मंत्रालय को 100 प्रतिशत मीटर लगाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिये जिससे कि कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों के बेसलाइन आँकड़े सत्यापित हों, कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों का वार्षिक सत्यापन हो तथा ऊर्जा का प्रभावशाली लेखा निर्माण एवं लेखापरीक्षा हो सके।
5. मंत्रालय परियोजना क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर विशेष न्यायालय तथा सतर्कता दस्ते स्थापित करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित कर सकता है जिससे कि अपराधों की शीघ्र सुनवाई हो एवं बिजली चोरी रोकी जा सके, जिससे वाणिज्यिक नुकसान कम हों।

6. वितरण सुधार समिति तथा संचालन/पुनरीक्षण समिति के स्तर पर निगरानी एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को मजबूत किया जाना चाहिये जिससे कि परियोजनाएँ समय पर पूर्ण हों।

दिनांक: 08 नवम्बर 2016

स्थान: नई दिल्ली

न. मुंशी

(नन्दना मुंशी)

महानिदेशक लेखापरीक्षा
(आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय)

प्रतिहस्ताक्षरित

दिनांक: 08 नवम्बर 2016

स्थान: नई दिल्ली

शशि कान्त शर्मा

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

एम ओ पी/पी एफ सी द्वारा अनुमोदित की गई परियोजनाओं की संख्या की राज्यवार सूची

क्रम. सं.	राज्य	भाग 'अ' अनुमोदित परियोजनाएँ	भाग 'ब' अनुमोदित परियोजनाएँ	एस सी ए डी ए अनुमोदित परियोजनाएँ
1.	आंध्र प्रदेश	75	46	4
2.	असम	67	67	1
3.	बिहार	71	64	1
4.	छत्तीसगढ़	20	19	2
5.	गोवा	4	0	0
6.	गुजरात	84	62	6
7.	हरियाणा	36	34	1
8.	हिमाचल प्रदेश	14	14	0
9.	जम्मू एवं कश्मीर	30	30	2
10.	झारखण्ड	30	30	3
11.	कर्नाटक	98	81	0
12.	केरल	43	43	3
13.	मध्यप्रदेश	83	81	5
14.	महाराष्ट्र	128	123	8
15.	मणिपुर	13	13	0
16.	मेघालय	9	9	0
17.	मिजोरम	9	9	0
18.	नागालैंड	9	0	0

19.	ओडिशा	12	12	2
20.	पुडुचेरी	4	1	1
21.	पंजाब	47	46	3
22.	राजस्थान	87	82	5
23.	सिक्किम	2	2	0
24.	तमिलनाडु	110	80	7
25.	तेलंगाना	40	38	2
26.	त्रिपुरा	16	16	0
27.	उत्तर प्रदेश	168	167	12
28.	उत्तराखंड	31	31	1
29.	पश्चिम बंगाल	61	59	3
कुल		1,401¹	1,259	72

¹ अरुणाचल प्रदेश और चंडीगढ़ निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किये गए थे जहाँ भाग 'अ' के अंतर्गत 10 और 1 परियोजना क्रमानुसार और भाग 'ब' में और 'एस सी ए डी ए' शून्य परियोजना अनुमोदित थे।

एम ओ पी/पी एफ सी और राज्यों में लेखापरीक्षा के लिए चयनित परियोजनाओं की संख्याओं की राज्यवार सूची

क्रम. सं.	राज्य	भाग 'अ' परियोजनाएँ		भाग 'ब' परियोजनाएँ		पी एफ सी/एम ओ पी और राज्यों में छानबीन के लिए नमूने के रूप में चयनित एस सी ए डी ए परियोजनाएँ
		राज्यों में छानबीन के लिए नमूने के रूप में चयनित परियोजनाओं की कुल संख्या	पी एफ सी/एम ओ पी में छानबीन के लिए नमूने के रूप में चयनित परियोजनाओं की संख्या	राज्यों में छानबीन के लिए नमूने के रूप में चयनित परियोजनाओं की कुल संख्या	पी एफ सी/एम ओ पी में छानबीन के लिए नमूने के रूप में चयनित परियोजनाओं की संख्या	
1.	आंध्र प्रदेश	25	7	25	7	4
2.	असम	25	7	25	7	1
3.	बिहार	25	7	25	7	1
4.	छत्तीसगढ़	20	5	19	5	2
5.	गोवा	4	1	0	0	0
6.	गुजरात	25	8	25	4	6
7.	हरियाणा	25	7	25	7	1
8.	हिमाचल प्रदेश	14	4	14	4	0
9.	जम्मू एवं कश्मीर	25	7	25	7	2
10.	झारखण्ड	25	7	25	7	3
11.	कर्नाटक	30	8	26	7	0
12.	केरल	25	7	25	7	3
13.	मध्यप्रदेश	25	7	25	7	5
14.	महाराष्ट्र	32	8	31	8	8

15.	मणिपुर	13	4	13	4	0
16.	मेघालय	9	2	9	2	0
17.	मिजोरम	9	3	9	3	0
18.	नागालैंड	9	3	0	0	0
19.	ओडिशा	12	3	12	3	2
20.	पुडुचेरी	4	1	1	1	1
21.	पंजाब	25	7	25	7	3
22.	राजस्थान	26	7	26	7	5
23.	सिक्किम	2	1	2	1	0
24.	तमिलनाडु	28	7	25	7	7
25.	तेलंगाना	25	7	25	7	2
26.	त्रिपुरा	16	5	16	4	0
27.	उत्तर प्रदेश	43	11	42	11	12
28.	उत्तराखंड	25	7	25	7	1
29.	पश्चिम बंगाल	25	7	25	7	3
	कुल	596	165	570	155	72

वित्तीय संस्थानों के साथ प्रायोगिकियों द्वारा भाग 'ब' के लिए समकक्ष वित्तीय पोषण को तय किये बिना जारी की गई वित्तीय पोषण की पहली किश्त के उदाहरण

(₹ करोड़ों में)

क्रम.सं.	राज्य	मामलों की संख्या/शहर	भाग 'ब' की पहली किश्त की राशि
1.	आंध्र प्रदेश	18	13.88
2.	बिहार	25	126.79
3.	छत्तीसगढ़	19	106.53
4.	जम्मू एवं कश्मीर	30	499.58
5.	महाराष्ट्र	121	466.71
6.	मणिपुर	13	119.66
7.	राजस्थान	70	210.62
8.	उत्तर प्रदेश	42	561.47

लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए निधि के विपथन के मामले

राज्य	प्रायोगिकी का नाम	राशि (करोड़ ₹ में)	उद्देश्य जिसके लिए निधि (सामग्री) का विपथन किया गया	दूसरे काम में लगाये हुए धन को वापस लाने के लिए उठाए गये कदम	वर्तमान स्थिति
आंध्र प्रदेश	ए पी ई पी डी सी एल	35.85	कंपनी की कार्यशील पूँजी	सी एल टी डी आर खाता खोला गया	पी एफ सी से प्राप्त निधि की अपेक्षा अब ज्यादा निधि खर्च की गई
असम	असम बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड	1.90 (वी सी बी पैनल एवं ए पी एफ सी, डी टी आर मीटर जैसी सामग्री की कीमत)	आर ए पी डी आर पी परियोजना के तहत घेराव क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया	रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं	रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं
हरियाणा	डी एच बी वी एन	27.14	आर-ए पी डी आर पी से अलग (उन पार्टियों और ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए जो आर-ए पी डी आर पी के कार्यान्वयन से नहीं जुड़े थे)।	निधि अब आर ए पी डी आर पी में उपयोग में लाई गई (3/2015)	निधि अब आर ए पी डी आर पी में उपयोग में लाई गई (3/2015)
कर्नाटक	बी ई एस सी ओ एम एवं सी ई एस सी	34.25 (ब्याज की राशि)	अपनी आय की तरह खर्च किया और परियोजना की कीमत में समायोजित नहीं किया।		

राज्य	प्रायोगिकी का नाम	राशि (करोड़ ₹ में)	उद्देश्य जिसके लिए निधि (सामग्री) का विपथन किया गया	दूसरे काम में लगाये हुए धन को वापस लाने के लिए उठाए गये कदम	वर्तमान स्थिति
मणिपुर	एम एस पी डी सी एल	10.52	2 (दो) ऊर्जा परियोजनाओं की एन पी वी एवं प्रतिपूरक वनरोपण व्यय का भुगतान	राशि परियोजना खाते में वापस की गई।	निधि वापस हुई तथा परियोजना के लिए उपयोग हुई
	एम एस पी डी सी एल	119.66	3.4.13 को राज्य सरकार के खाते में विपथित किया गया।	12.07.2013 को ₹ 59.00 करोड़ जारी किए गए और 7.11.2013 को ₹ 60.66 करोड़ जारी हुए	राशि वापस हुई तथा परियोजना के लिए उपयोग हुई
मेघालय	एम ई ई सी एल	29.20	कार्यशील पूँजी	लेखापरीक्षा द्वारा निधियों का अनाधिकृत विपथन पाया गया। निधियों को वापस करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।	विपथित की गई राशि को अभी भी वापस करना है।
त्रिपुरा	प्रायोगिकी पूरी तरह से	2.11	गैर-आर ए पी डी आर पी कार्य की तरफ विपथित किया गया	रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं	परियोजना खाते में ₹ 1.02 करोड़ की राशि वापस की गई
उत्तर प्रदेश	डी वी वी एन एल	80.37	यू पी पी सी एल के विद्युत खरीद दायित्व को पूरा करने के लिए	डिस्कॉम राशि को लौटाने के लिए यू पी पी सी एल को लिख रही थी	₹ 100.41 करोड़ अभी भी यू पी पी सी एल से वापस प्राप्त नहीं किए जा सके।
	एम वी वी एन एल	70.64			
	पी वी वी एन एल	71.12			
	पी यू वी वी एन एल	52.63			

मार्च 2015 तक प्रायोगिकियों द्वारा यू सी प्रस्तुत नहीं करने के मामले

राज्य	परियोजना का नाम	चतुष्पक्षीय समझौता/एम ओ ए के हस्ताक्षर करने की तिथि	अनुमोदित परियोजना लागत	पी एफ सी द्वारा जारी निधि की प्रथम किश्त	
				तिथि	राशि
(₹ करोड़ों में)					
असम					
भाग बी	तिनसुकिया	25 फरवरी 2010	13.63	30 दिसम्बर 2011	4.09
	गुवाहाटी	25 फरवरी 2010	227.85	19 जून 2012	68.35
	दीफू	25 फरवरी 2010	10.52	30 दिसम्बर 2011	3.16
	नलबाड़ी	25 फरवरी 2010	8.95	30 दिसम्बर 2011	2.69
हिमाचल प्रदेश					
भाग बी	सुन्दर नगर	16 मार्च 2009	6.55	18 फरवरी 2011	1.97
केरल					
भाग ए	चेरथला	17 अगस्त 2009	2.32	04 जनवरी 2010	0.70
	अलापुझा	17 अगस्त 2009	4.02	04 जनवरी 2010	1.21
	ओट्टापलम	17 अगस्त 2009	0.73	04 जनवरी 2010	0.22
	कन्नूर	17 अगस्त 2009	5.55	04 जनवरी 2010	1.67
	कौल्लम	17 अगस्त 2009	6.67	04 जनवरी 2010	2.00
	कोझीकोड	17 अगस्त 2009	13.69	04 जनवरी 2010	4.11
	थ्रिसूर	17 अगस्त 2009	4.84	04 जनवरी 2010	1.45
	शोरानूर	17 अगस्त 2009	3.79	15 मार्च 2011	0.57
	कुन्नमकुलम	17 अगस्त 2009	5.53	01 सितम्बर 2010	0.83
	कन्नूर	17 अगस्त 2009	80.20	29 अक्टूबर 2010	2.61

भाग बी				20 दिसम्बर 2010	8.61
				29 दिसम्बर 2012	0.82
	अत्तिंगल	17 अगस्त 2009	10.02	29 अक्टूबर 2010	0.29
				20 दिसम्बर 2010	0.97
				29 दिसम्बर 2012	0.24
	एर्नाकुलम- कोच्चि	17 अगस्त 2009	207.96	28 जून 2011	31.19
	मलप्पुरम	17 अगस्त 2009	7.26	01 सितम्बर 2010	1.09
	थोडुपुझा	17 अगस्त 2009	13.97	29 अक्टूबर 2010	0.49
				20 दिसम्बर 2010	1.61
उत्तराखण्ड					
भाग बी	सितारगंज	26 मार्च 2009	4.24	16 मई 2012	0.23
				17 मई 2012	1.04
	लंधौरा	26 मार्च 2009	4.30	16 मई 2012	0.23
				17 मई 2012	1.06
	खटिमा	26 मार्च 2009	10.00	16 मई 2012	0.54
				17 मई 2012	2.46
	रामनगर	26 मार्च 2009	11.65	16 मई 2012	0.62
				17 मई 2012	2.87
					0.85
मध्यप्रदेश					
भाग बी	इंदौर	30 मार्च 2009	276.24	31 मार्च 2010	36.13
				09 जुलाई 2012	5.32
	कटनी	30 मार्च 2008	52.45	24 सितम्बर 2010	7.87
	नरसिंह पुर	30 मार्च 2008	15.46	24 सितम्बर 2010	2.32
	भिंड	30 मार्च 2008	31.82	22 सितम्बर 2010	4.78
	उज्जैन	30 मार्च 2009	91.10	31 मार्च 2010	10.16
				09 जुलाई 2012	3.50

	होशंगाबाद	30 मार्च 2008	15.00	30 जून 2010	2.25
	देवास	30 मार्च 2009	54.01	24 सितम्बर 2010	8.10
				16 मई 2012	0.11
				17 मई 2012	0.58
मिजोरम					
भाग ए	आईजोल	14 सितम्बर 2009	25.10	01 फरवरी 2011	7.53
	लुंगलेई	14 सितम्बर 2009	3.05	01 फरवरी 2011	0.92
	लांगतलाई	14 सितम्बर 2009	0.86	01 फरवरी 2011	0.26
भाग बी	चंफाई	14 सितम्बर 2009	11.93	18 फरवरी 2014	2.86
				06 सितम्बर 2014	0.72
	सेरछिप	14 सितम्बर 2009	8.87	18 फरवरी 2014	2.12
				06 सितम्बर 2014	0.54
	आईजोल	14 सितम्बर 2009	156.84	18 फरवरी 2014	37.51
				06 सितम्बर 2014	9.55
गोवा					
भाग ए	मारमगाओ	24 मार्च 2009	3.65	09 नवम्बर 2009	1.09
गुजरात					
भाग बी	वाधवान	03 सितम्बर 2009	31.35	23 सितम्बर 2010	4.70
	गोंदल	03 सितम्बर 2009	8.22	23 सितम्बर 2010	1.24
	वडोदरा	02 मार्च 2009	58.48	01 जनवरी 2015	8.77
	गोधरा	02 मार्च 2009	37.60	23 सितम्बर 2010	5.64
महाराष्ट्र					
भाग बी	बीड	20 फरवरी 2009	56.23	15 जुलाई 2011	3.39
				28 सितम्बर 2011	5.04
	वर्धा	20 फरवरी 2009	25.67	18 फरवरी 2011	3.85
	अहमद नगर	20 फरवरी 2009	55.90	15 जुलाई 2011	3.37
				28 सितम्बर 2011	5.01

	नाला सोपारा	20 फरवरी 2009	27	18 फरवरी 2011	4.05
	वसई	20 फरवरी 2009	32.88	29 सितम्बर 2011	4.93
	विरार	20 फरवरी 2009	59.15	18 फरवरी 2011	8.87
	सोलापुर	20 फरवरी 2009	128.47	18 फरवरी 2011	15.98
				29 दिसम्बर 2012	3.29
	जी आर मुम्बई	20 फरवरी 2009	1193.91	28 सितम्बर 2011	86.16
				29 सितम्बर 2011	81.00
				29 दिसम्बर 2012	11.92
नागालैंड					
भाग ए	जुन्हेबोतो	12 अप्रैल 2010	0.82	16 मार्च 2011	0.25
	मोकोकचुंग	12 अप्रैल 2010	1.31	16 मार्च 2011	0.39
	युनसैंग	12 अप्रैल 2010	1.5	16 मार्च 2011	0.45
पुडुचेरी					
भाग ए	पुडुचेरी	14 जनवरी 2011	20.17	31 मार्च 2012	3.45
				08 मई 2014	0.72
एस सी ए डी ए		14 जनवरी 2011	13.89	08 मई 2014	4.17
भाग बी		14 जनवरी 2011	84.78	08 मई 2014	12.72
राजस्थान					
भाग ए	पाली	13 फरवरी 2009	3.21	26 मार्च 2009	0.54
				31 मार्च 2009	0.38
				06 जुलाई 2009	0.05
	झुंझुनु	13 फरवरी 2009	1.77	26 मार्च 2009	0.30
				31 मार्च 2009	0.21
				06 जुलाई 2009	0.03
	सोजात शहर	13 फरवरी 2009	0.86	26 मार्च 2009	0.14
				31 मार्च 2009	0.10
			06 जुलाई 2009	0.01	
भाग बी	मकराना	13 फरवरी 2009	29.70	09 मार्च 2011	4.46

	झालावाड़	12 फरवरी 2009	7.92	12 अक्टूबर 2010	1.19
	जालोर	13 फरवरी 2009	10.10	29 सितम्बर 2010	1.52
	भरतपुर	12 फरवरी 2009	35.06	12 अक्टूबर 2010	5.26
	कोटा	12 फरवरी 2009	249.70	12 अक्टूबर 2010	37.46
	भीलवाड़ा	13 फरवरी 2009	35.08	31 मार्च 2010	4.70
				20 दिसम्बर 2010	0.56
पश्चिम बंगाल					
भाग बी	हल्दिया	22 जुलाई 2009	28.88	01 जनवरी 2015	4.33
	इंगलिश बाजार	22 जुलाई 2009	25.54	01 मार्च 2011	3.83
	दार्जिलिंग	22 जुलाई 2009	10.23	01 जनवरी 2015	1.54
	बाँकुरा	22 जुलाई 2009	17.79	01 मार्च 2011	2.67
	रायगंज	22 जुलाई 2009	10.95	01 मार्च 2011	1.64
	बनगाँव	22 जुलाई 2009	15.83	01 मार्च 2011	2.37
	डायमंड हार्बर	22 जुलाई 2009	12.09	01 मार्च 2011	1.81
मेघालय					
भाग ए	चेरापूँजी	12 अप्रैल 2010	0.7	04 फरवरी 2011	0.21
	शिलांग	12 अप्रैल 2010	25.02	04 फरवरी 2011	7.50
भाग बी	नोगंपोह	12 अप्रैल 2010	2.49	06 सितम्बर 2014	0.75
	शिलांग	12 अप्रैल 2010	72.8	06 सितम्बर 2014	21.84
पंजाब					
भाग बी	फरीदकोट	30 जुलाई 2009	11.37	31 मार्च 2010	1.52
				12 सितम्बर 2012	0.13
				28 सितम्बर 2012	0.05
	होशियारपुर	30 जुलाई 2009	38.01	29 सितम्बर 2011	5.70
	कपूरथला	30 जुलाई 2009	20.35	29 सितम्बर 2011	3.05
	सुनाम	30 जुलाई 2009	12.75	29 सितम्बर 2011	1.91

	फिरोजपुर	30 जुलाई 2009	20.87	31 मार्च 2010	2.79
	भटिण्डा	30 जुलाई 2009	47.5	31 मार्च 2010	6.36
				12 सितम्बर 2012	0.54
				28 सितम्बर 2012	0.22
	जालंधर कैन्ट	30 जुलाई 2009	29.86	19 जून 2015	4.48
कुल					706.57

अनुलग्नक – VI
(पैरा 4.2 एवं 4.2.1 के संदर्भ में)

विभिन्न संचालन समिति बैठकों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	दिनांक और बैठकों की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत (₹ करोड़ में)	एस डी आर सी के अनुमोदन के बिना स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
1.	13 फरवरी 2009 को हुई 8वीं बैठक	256	894.10	127
2.	20 फरवरी 2009 को हुई 9वीं बैठक	284	861.44	61
3.	26 फरवरी 2009 को हुई 10वीं बैठक	64	196.39	29
4.	30 जून 2009 को हुई 11वीं बैठक	423	1,614.23	
5.	04 सितम्बर 2009 को हुई 12वीं बैठक	109	598.56	53
6.	26 नवम्बर 2009 को हुई 14वीं बैठक	155	546.43	
7.	09 दिसम्बर 2009 को हुई 15वीं बैठक	61	74.92	
8.	02 मार्च 2010 को हुई 16वीं बैठक	22	65.52	
9.	19 मार्च 2010 को हुई 17वीं बैठक	251	3,042.67	229
10.	29 मार्च 2010 को हुई 18वीं बैठक	3	65.81	
11.	02 जून 2010 को हुई 19वीं बैठक	152	2,061.12	54
12.	16 अगस्त 2010 को हुई 20वीं बैठक	269	5,748.00	
13.	08 दिसम्बर 2010 को हुई 21वीं बैठक	145	4,195.96	
14.	22 फरवरी 2011 को हुई 22वीं बैठक	58	1,317.68	
15.	15 जून 2011 को हुई 23वीं बैठक	98	3,706.19	
16.	18 अक्टूबर 2011 को हुई 24वीं बैठक	151	4,694.73	
17.	20 जनवरी 2012 को हुई 25वीं बैठक	49	1,083.47	
18.	03 अगस्त 2012 को हुई 26वीं बैठक	48	726.84	
19.	18 फरवरी 2013 को हुई 27वीं बैठक	41	2,316.84	
20.	06 अगस्त 2013 को हुई 28वीं बैठक	33	1,152.17	

21.	27 सितम्बर 2013 को हुई 29वीं बैठक	68	1,841.29	
22.	28 फरवरी 2014 को हुई 30वीं बैठक	32	571.49	
23.	09 जुलाई 2014 को हुई 31वीं बैठक	2	51.16	
कुल		2,774	37,427.01	553

राज्य प्रायोगिकी द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में डी पी आर नहीं बनाने के मामले के परिणामस्वरूप अस्वीकार्य काम की मदों का शामिल और आवश्यक काम की मदों का शामिल न हो पाना।

राज्य का नाम	डी पी आर की गलत तैयारी के मामलों के उदाहरण
असम	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परियोजना लागत के अनुमान में 15 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभार की ₹10.47 करोड़ की राशि शामिल ➤ डी पी आर में कहे गये तथ्यों के विपरीत एस ओ आर 2010-11 पर 15 प्रतिशत की अतिरिक्त लागत की राशि का अधिक भार, परिणामस्वरूप 2010-11 के एस ओ आर दरों पर ₹62.39 करोड़ का परियोजना का अधिआकलन
गुजरात	<ul style="list-style-type: none"> ➤ डी पी आर लागत आकलन में विभागीय अतिरिक्त प्रभार शामिल ➤ दो एस सी ए डी ए परियोजनाएँ (एक एस सी ए डी ए भाग 'अ' और दूसरी एस सी ए डी ए भाग 'ब') अहमदाबाद परिधि क्षेत्र के लिए अनुमोदित हुई थी परियोजना क्षेत्र (3,49,298) की जनसंख्या 4,00,000 की निर्धारित सीमा से नीचे थी।
राजस्थान	<p>₹3.60 करोड़ के व्यय के साथ दो शहरों में प्रगति पर पांच कार्यों को संबंधित शहर के प्रस्तावित डी पी आर में सम्मिलित किया गया।</p>
त्रिपुरा	<p>अनुमोदित परियोजना लागत से विघटित सामग्री की कीमत को घटाया नहीं गया था जिस कारण प्रायोगिकी को अनुचित लाभ मिला।</p>
उत्तर प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ नये/बिना मीटर के कनेक्शन के मीटर की लागत को शामिल करना। ➤ मीटरों के लगाने की लागत को शामिल करना। ➤ वापस प्राप्त सामानों की लागत पर विचार न करना। ➤ मजदूरी कर और उसकी वसूली के लिए प्रावधान न करना।

डी पी आर के सूत्रीकरण, निविदा की बोली और काम देने में देरी

राज्य	डी पी आर के प्रस्तुत/अनुमोदन में हुई देरी	निविदा/काम देने में हुई देरी
आंध्र प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ए पी एस पी डी सी एल के भाग 'बी' डी पी आर : 205 दिन (7 महीने) से 1,266 दिन (42 महीने). ➤ ए पी ई पी डी सी एल के भाग 'बी' डी पी आर एस : 190 दिन (6 महीने से अधिक) से 1,265 दिन (42 महीने) ➤ ए पी ई पी डी सी एल और ए पी एस पी डी सी एल के पर्यवेक्षक नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण प्रणाली/वितरण प्रबंधन प्रणाली (एस सी ए डी ए/डी एम एस): 333 दिन (11महीने) से 1,258 दिन (42 महीने)। ए पी एस पी डी सी एल और ए पी ई पी डी सी एल से संबंधित 4 मामले, में, एस सी ए डी ए, भाग 'बी' सक्षम घटक के डी पी आर को प्रस्तुत करने में 359 दिन (12 महीने) की देरी हुई थी, और काम अभी भी दिया जाना है। (सितम्बर 2015). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भाग 'बी' ए पी एस पी डी सी एल 10 शहरों के संबंध में : 74 दिन (2 महीने से अधिक) से 617 दिन (20 महीने से अधिक) ➤ भाग 'बी' ए पी ई पी डी सी एल : 78 दिन (2 महीने से अधिक) से 1,180 दिन (39 महीने से अधिक) ➤ ए पी एस पी डी सी एल और ए पी ई पी डी सी एल के (एस सी ए डी ए/डी एम एस) : 102 (3 महीने से अधिक) से 635 दिन (21महीने)
असम	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भाग 'ए' के डी पी आर (67 परियोजनाएँ): 100 दिन (3 महीने) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भाग 'बी' डी पी आर (67 परियोजनाएँ): 7 से 15 महीने
बिहार	<p>सभी 25 मामलों में</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ भाग 'ए' 155 दिन (5 महीने) ➤ भाग 'बी' 360 दिन (12 महीने)) 	<p>सभी 25 मामलों में</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ भाग 'ए' 266 दिन (9 महीने) ➤ भाग 'बी' 235 दिन (07 महीने से अधिक) से 539 दिन (17 महीने से अधिक))
हिमाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भाग 'ए' की 14 परियोजनाएँ : 427 (14 महीने) से 505 दिन (17 महीने) ➤ भाग 'बी' की 14 परियोजनाएँ : 596 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भाग 'ए' 14 परियोजनाएँ 61 दिन (2 महीने) ➤ भाग 'बी' 14 परियोजनाएँ (निविदा) :

	दिन (20 महीने) से 638 दिन (21 महीने)	119 (4 महीने) से 1569 दिन (52 महीने) दिया गया काम ➤ भाग 'ए': 299 दिन (10 महीने) ➤ भाग 'बी': 140 (5 महीने) से 450 दिन (15 महीने)
हरियाणा	➤ 850 दिन (28 महीने) से 1,049 दिन (35 महीने)	➤ 431 (14 महीने से अधिक) से 990 दिन (33 महीने)
जम्मू व कश्मीर	-	➤ एस सी ए डी ए के सलाहकार के चयन हेतु निविदाओं को अंतिम रूप देने के लिए 10 महीने से अधिक ➤ चयनित विक्रेता के पक्ष में एल ओ ए जारी करने में 28 महीने ➤ आई टी आई ए विक्रेता को आवंटन पत्र जारी करने में 15 महीने
झारखंड	-	भाग 'ए' (30 परियोजनाएँ): ➤ आई टी सलाहकार (4 महीने) ➤ आई टी आई ए (12 महीने); ➤ वितरण ट्रांसफार्मरों की पैमाईश (27 महीने), ➤ मीटर फीडर और घेराबंदी (24 महीने) ➤ नेटवर्क बैंडविड्थ सेवा प्रदाता (30 महीने) ➤ सिविल कार्य और डी सी और डी आर सी के लिए गैर आई टी आधारित संरचना में 21 से 33 महीने
केरल	➤ भाग 'बी' डी पी आर (43 मामले): 150 दिन (5 महीने) से 840 दिन (28 महीने)	➤ 3 मामलों में 608 दिन (20 महीने) से 996 दिन (33 महीने)
मध्य प्रदेश	➤ पूर्वी डिस्काम में 27 परियोजनाएँ : 12 से	➤ पूर्वी डिस्काम में 26 परियोजनाएँ : 19

	<p>16 महीने</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ केन्द्रीय डिस्काम में 31 परियोजनाएँ: (भाग 'बी') : 12 से 18 महीने ➤ पश्चिमी डिस्काम में 23 परियोजनाएँ (भाग 'बी'): 11 से 12 महीने 	<p>महीने से 25 महीने</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ केन्द्रीय डिस्काम : 19 से 31 महीने ➤ पश्चिमी डिस्काम : 21 से 30 महीने
महाराष्ट्र	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भाग 'बी' का एक मामला: एक साल से अधिक
मिजोरम		भाग 'बी': 9 महीने
राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 81 मामले: 162 दिन तक (5 महीने से अधिक) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 29 मामले: 420 दिन (14 महीने) से 1291 दिन (43 महीने)
तमिलनाडु	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आई टी की क्रियान्वयन एजेंसी: 378 दिन (12 महीने)
त्रिपुरा	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भाग 'बी' परियोजना: 8 से 40 महीने
उत्तर प्रदेश	भाग 'ए' (43 मामले): 51 दिन (2 महीने)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भाग 'बी' (34 मामले): निविदा प्रक्रिया को शुरू करने में 9 से 46 महीने और काम देने में 18 से 48 महीने
उत्तराखण्ड	<p>भाग 'बी' (31 मामले):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 258 (8 महीने से अधिक) से 313 (10 महीने से अधिक) 	<p>भाग 'बी' (31 मामले)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ निविदा मँगाने के लिए 309 (10 महीने) से 576 दिन (19 महीने) ➤ काम देने में 491 (16 महीने से अधिक) से 870 दिन (29 महीने)

प्रायोगिकियों द्वारा आई टी आई ए को नियुक्त करने में लागत अंतरण की स्वीकृति के लिए दिशा निर्देश जिन्हें संचालन समिति द्वारा 26 नवम्बर 2009 को हुई 14वीं बैठक में स्वीकार किया गया।

प्रदान करने से पहले का चरण:

अ) यदि न्यूनतम उद्भूत/दी गई लागत स्वीकृत डी पी आर मूल्यों से **10 प्रतिशत तक अधिक है**, तो प्रायोगिकी एक लैटर ऑफ इंटेंट (एल ओ आई) जारी कर सकती है एवं इस तरह के अन्तर को पी एफ सी/एम ओ पी को उचित प्रतिवाद के साथ सूचित करे एवं उनकी डी आर सी का अनुमोदन ले। लागत में इस तरह के अंतरण को अगली संचालन समिति में प्रायोगिकी के लिए अतिरिक्त परियोजना लागत की स्वीकृति हेतु उठाया जाना था।

ब) यदि न्यूनतम उद्भूत/दी गई लागत स्वीकृत डी पी आर मूल्यों की तुलना में **10 प्रतिशत से अधिक** है, तो प्रायोगिकी को इस प्रकार के लागत अंतरण/विस्तार बी ओ क्यू में बदलाव इत्यादि को उचित प्रतिवाद के साथ पी एफ सी/एम ओ पी को उपलब्ध कराना अपेक्षित था। लागत वृद्धि पी एफ सी द्वारा मूल्यांकित की जाएगी एवं संचालन समिति के समक्ष उनके विचार के लिए रखी जाएगी।

प्रदान करने के बाद का चरण:

प्रत्येक मद की मात्रा के अंतरण को प्रदत्त बिल की मात्रा +/- 20 प्रतिशत की सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते यह दी गई परियोजना लागत के मूल्य का 10 प्रतिशत हो। ऐसे मामलों में, प्रायोगिकी को कार्यक्षेत्र परिवर्तन, बी ओ क्यू मूल्य इत्यादि में इस तरह के मूल्य अंतरण को, उचित प्रतिवाद के साथ, डी आर सी (एल आई आई के एक वर्ष के अन्दर) के अनुमोदन के साथ पी एफ सी/एम ओ पी को उपलब्ध कराना अपेक्षित था। यदि मूल्य वृद्धि उचित पाई जाती है, तो पी एफ सी की अनुशंसा संचालन समिति के समक्ष उनके विचार और अतिरिक्त परियोजना लागत के अनुमोदन हेतु रखी जाएगी।

निर्धारित सीमाओं से अधिक/कम अंतर

राज्य	टिप्पणियाँ
असम	निविदाओं के आमंत्रण के दौरान प्रायोगिकी ने कई ऐसे कार्य छोड़े जो भाग-बी की डी पी आर में मूल रूप से शामिल थे। ₹589.91 करोड़ की कुल परियोजना लागत के विरुद्ध (उपभोक्ता मीटरिंग लागत को छोड़कर) प्रायोगिकी ने ₹113.38 करोड़ विस्तार के समग्र घटाव के साथ ₹476.53 करोड़ की राशि के लिए निविदाएँ कीं जहाँ तक विशिष्ट परियोजना (विद्युत सर्कल-वार) का सवाल है, घटाव ₹2.69 करोड़ से ₹18.69 करोड़ के बीच था। सभी नगरों में डी पी आर में प्रस्तावित 'एल टी क्लीन-अप' से संबंधित ₹15.98 करोड़ के मूल्य के कार्यों को, वास्तविक कार्यान्वयन के दौरान छोड़ दिया गया था।
बिहार	सभी 24 मामलों में अनुमोदित डी पी आर एवं वास्तविक रूप से निष्पादित किये गए कार्यों में 100 प्रतिशत से लेकर 397 प्रतिशत से कम का अन्तर था, जो पी एफ सी के अनुमोदन के बिना किए गए थे।
गुजरात	लेखापरीक्षा को प्रस्तुत भाग बी के व्यय के ब्यौरे से उजागर हुआ कि 14 शहरों में (डी जी वी सी एल में सात शहर, एम जी वी सी एल में 6 शहर एवं यू जी वी सी एल में 1 शहर) डिस्कॉम द्वारा निष्पादित किये गए कार्य, अनुमोदित डी पी आर में उल्लिखित मात्रा से अधिक थे। पी एफ सी द्वारा अनुमोदित मात्रा को 20 प्रतिशत बढ़ाने पर भी, इन शहरों के डिस्कॉम द्वारा निष्पादित कार्य की अतिरिक्त मात्रा ₹26.25 करोड़ आँकी गई। जम्बूसर शहर (डी जी वी सी एल में) में, कंपनी द्वारा निष्पादित कार्य डी पी आर कार्य से 50 प्रतिशत से भी कम था।
झारखंड	भाग 'ए' की सभी 30 परियोजनाओं में : डी पी आर की मात्रा के गलत मूल्यांकन के कारण लगाए जाने वाले सीमा एवं पूरक मीटरों की मात्रा डी पी आर मात्रा की तुलना में ₹8.44 करोड़ की अतिरिक्त लागत के साथ 93 प्रतिशत बढ़ गई (यानि कि डी पी आर मूल्य से 170 प्रतिशत अधिक वाले) लगाए गए वितरण ट्रांसफॉर्मरों की मात्रा लागत ₹15.08 करोड़ अधिक अर्थात डी पी आर के 147 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 158 प्रतिशत तक बढ़ गई।
केरल	भाग 'ए' कार्य ₹189.94 करोड़ के प्रस्तुत मूल्य पर दिया गया जोकि ₹214.38 करोड़ की अनुमोदित परियोजना लागत से 11 प्रतिशत कम था। तिरुवनंतपुरम, कोच्चि एवं कोझीकोड की तीन भाग बी परियोजनाओं जिन्हें टनर्की पर दिया गया था के वितरण घटकों के संदर्भ में स्वीकृत परियोजना लागत (₹547.51 करोड़) एवं दी गई परियोजना लागत (₹643.60 करोड़) के बीच अंतर 18 प्रतिशत तक अधिक था।
मणिपुर	डी पी आर के अनुसार टैम्पर प्रूफ इलैक्ट्रॉनिक मीटरों की जगह प्रीपेड ऊर्जा मीटरों को लगाने के निर्णय से ₹ 5726.56 लाख का अतिरिक्त व्यय/देयता हुई।
उत्तर प्रदेश	यह देखा गया कि बागपत शहर के अंतिम बी ओ क्यू में दी गई मात्रा का बी ओ क्यू के कुछ घटकों में 20 प्रतिशत से अधिक अंतर था एवं 100 प्रतिशत से 683 प्रतिशत के मध्य था। हमने यह भी देखा कि कुछ ऐसे कार्य भी दिए गए थे जिनके लिए डी पी आर में शून्य मात्रा ही अनुमोदित थी। इससे समग्र परियोजना लागत में (-)16 प्रतिशत का अंतरण हुआ जो कि दिशानिर्देशों में दी गई (+/-)10 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन था।

टर्नकी के आधार पर कार्यान्वित न किए गये परियोजनाओं के मामले

राज्य	लेखापरीक्षा में पाए गए मामले
असम	प्रायोगिकी ने आर-ए पी डी आर पी के भाग बी के डी पी आर प्रस्तुत करते हुए उपभोक्ता मीटरिंग के विस्तार के साथ प्रणाली बेहतरी (एस आई) का कार्य शामिल किया। लेकिन, वास्तविक क्रियान्वयन में, कंपनी ने उपभोक्ता मीटरिंग के विस्तार के काम को एस आई से संबंधित कामों से अलग रखा।
कर्नाटक	<ul style="list-style-type: none"> ➤ डिस्कॉम (सी ई एस सी) ने भाग बी कार्यों को दो भाग में विभाजित किया जैसा कि (अ) विद्युतीय कार्य व (ब) मीटरिंग आगे, फिर सिंगल फेस मीटरिंग एवं थ्री फेस मीटरिंग में विभाजित की गई। विद्युतीय कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित करते हुए, 12 परियोजनाओं को जिलों के आधार पर छः भागों में बांटा गया एवं कार्य उस अनुसार दिए गए। ➤ जी ई एस सी ओ एम ने कार्यान्वयन के लिए, मंडल के आधार पर 21 परियोजनाओं का समूह बनाया और उसमें से 9 भाग बनाए एवं निविदाएं आंशिक टर्नकी आधार पर मंगाई गयीं। ट्रांसफार्मरस एवं मीटरों के लिए क्रय आदेश अलग से दिए गए।
केरल	भाग बी के तहत 40 परियोजनाएं विभागीय रूप से क्रियान्वित हुईं एवं टर्नकी के आधार पर नहीं दी गईं।
मध्य प्रदेश	23 भाग बी परियोजनाओं के (केन्द्र: 2, पूर्व:1, एवं पश्चिम: 20) कार्य टर्नकी के आधार पर नहीं दिए गए।
महाराष्ट्र	मीटरों की प्राप्ति में, कार्य टर्नकी आधार पर नहीं दिया गया, क्योंकि कंपनी ने मीटर केन्द्रीय रूप से खरीदे थे।
तेलंगाना	38 (भाग ए 1 व भाग बी 37) मामलों में, कार्य टर्नकी आधार पर नहीं दिया गया।
सिक्किम	भाग बी के अंतर्गत कार्य टर्नकी आधार पर नहीं दिए गए थे क्योंकि ई एंड पी डी ने मीटरिंग कार्य विभागीय रूप से लिया था।

अनुलग्नक XII
(पैरा 4.16 के संदर्भ में)

मामले जहाँ परियोजनाओं को कम बजट होने के बावजूद 'गो-लाईव' घोषित किया गया

क्रम सं.	राज्य	प्रायोगिकी	नगर का नाम	गो लाईव दिनांक	स्वीकृत लागत	वितरण	प्रतिशत
1.	उत्तर प्रदेश	डी वी वी एन एल	टुंडला	नवम्बर-2013	9.73	0.35	3.60
2.	उत्तर प्रदेश	एम वी वी एन एल	आँवला	फरवरी-2014	0.87	0.16	18.39
3.	उत्तर प्रदेश	एम वी वी एन एल	बहेरी	फरवरी-2014	0.68	0.13	19.12
4.	उत्तर प्रदेश	एम वी वी एन एल	बदायूँ	फरवरी-2014	2.95	0.53	17.97
5.	उत्तर प्रदेश	एम वी वी एन एल	उझानी	फरवरी-2014	0.81	0.15	18.52
6.	उत्तर प्रदेश	एम वी वी एन एल	बाराबंकी	अप्रैल-2014	4.91	0.94	19.14
7.	असम	असम	दरगाँव	जून-2015	0.6	0.18	30.00
8.	बिहार	एस बी पी डी सी एल	फतुहा	जून-2015	0.95	0.28	29.47
9.	बिहार	एन बी पी डी सी एल	हाजीपुर	जून-2015	2.58	0.77	29.84
10.	बिहार	एन बी पी डी सी एल	बरोली	जुलाई-2015	0.64	0.19	29.69
11.	बिहार	एन बी पी डी सी एल	सुगोली	जुलाई-2015	0.46	0.14	30.43
12.	बिहार	एस बी पी डी सी एल	मखदमपुर	जुलाई-2015	0.48	0.14	29.17
13.	बिहार	एन बी पी डी सी एल	गोपालगंज	जुलाई-2015	0.84	0.25	29.76
14.	बिहार	एन बी पी डी सी एल	रक्सोल बाजार	जुलाई-2015	0.94	0.28	29.79
15.	बिहार	एन बी पी डी सी एल	समस्तीपुर	जुलाई-2015	1.4	0.42	30.00
16.	बिहार	एस बी पी डी सी एल	जहानाबाद	जुलाई-2015	1.51	0.45	29.80
17.	बिहार	एस बी पी डी सी एल	मनेर	जुलाई-2015	0.67	0.2	29.85
18.	बिहार	एन बी पी डी सी एल	दरभंगा	जुलाई-2015	3.52	1.06	30.11
19.	बिहार	एन बी पी डी सी एल	गोगरी जमालपुर	जुलाई-2015	0.56	0.17	30.36
20.	बिहार	एन बी पी डी सी एल	खगड़िया	जुलाई-2015	1.07	0.32	29.91
21.	बिहार	एन बी पी डी सी एल	किशनगंज	जुलाई-2015	1.08	0.32	29.63
22.	बिहार	एन बी पी डी सी एल	मधेपुरा	जुलाई-2015	0.89	0.27	30.34
23.	बिहार	एन बी पी डी सी एल	मेहनार बजार	जुलाई-2015	0.47	0.14	29.79
24.	बिहार	एन बी पी डी सी एल	पूर्णियाँ	जुलाई-2015	2.61	0.78	29.89
25.	बिहार	एन बी पी डी सी एल	रामनगर	जुलाई-2015	0.78	0.23	29.49
26.	बिहार	एन बी पी डी सी एल	सहरसा	जुलाई-2015	1.12	0.34	30.36

27.	बिहार	एस बी पी डी सी एल	बरहिया	अगस्त-2015	0.46	0.14	30.43
28.	बिहार	एस बी पी डी सी एल	जमुई	अगस्त-2015	0.84	0.25	29.76
29.	बिहार	एस बी पी डी सी एल	मसोरही	अगस्त-2015	0.92	0.28	30.43
30.	बिहार	एस बी पी डी सी एल	बख्तियारपुर	सितंबर-2015	0.61	0.18	29.51
31.	बिहार	एस बी पी डी सी एल	लखीसराय	सितंबर-2015	1.2	0.36	30.00
32.	बिहार	एस बी पी डी सी एल	शेखपुरा	सितंबर-2015	0.91	0.27	29.67
33.	बिहार	एन बी पी डी सी एल	बेगूसराय	सितंबर-2015	1.63	0.49	30.06
34.	बिहार	एन बी पी डी सी एल	छपरा	सितंबर-2015	2.08	0.62	29.81
35.	बिहार	एन बी पी डी सी एल	कटिहार	अक्टूबर-2015	1.99	0.6	30.15
36.	बिहार	एन बी पी डी सी एल	नरकटियागंज	अक्टूबर-2015	0.77	0.23	29.87
37.	बिहार	एन बी पी डी सी एल	सीवान	अक्टूबर-2015	1.65	0.49	29.70
38.	बिहार	एस बी पी डी सी एल	बरबीघा	अक्टूबर-2015	0.47	0.14	29.79
39.	बिहार	एस बी पी डी सी एल	हिलसा	अक्टूबर-2015	0.7	0.21	30.00
40.	बिहार	एस बी पी डी सी एल	नोगछिया	अक्टूबर-2015	0.83	0.25	30.12
41.	बिहार	एस बी पी डी सी एल	राजगीर	अक्टूबर-2015	0.88	0.26	29.55
42.	बिहार	एस बी पी डी सी एल	सुल्तानगंज	नवम्बर-2015	0.71	0.21	29.58
43.	बिहार	एस बी पी डी सी एल	बाढ़	दिसंबर-2015	0.93	0.28	30.11
44.	बिहार	एस बी पी डी सी एल	भबुआ	दिसंबर-2015	0.9	0.27	30.00
45.	बिहार	एस बी पी डी सी एल	मोकामा	दिसंबर-2015	0.68	0.2	29.41
46.	जम्मू एवं कश्मीर	जे एवं के	बांदीपुर	10 अक्टूबर-2015	0.5	0.15	30.00
47.	जम्मू एवं कश्मीर	जे एवं के	रणबीरसिंहपुरा	16 अक्टूबर-2015	0.76	0.23	30.26
48.	केरल	केरल	शोरानूर	मई-2014	0.87	0.26	29.89
49.	केरल	केरल	चालाकुडी	फरवरी-2015	1.37	0.41	29.93
50.	केरल	केरल	छगनासेरी	फरवरी-2015	1.19	0.36	30.25
51.	केरल	केरल	चोकली	फरवरी-2015	1.37	0.41	29.93
52.	केरल	केरल	नियातिनकारा	फरवरी-2015	1.21	0.36	29.75
53.	केरल	केरल	ओतापलम	फरवरी-2015	0.73	0.22	30.14
54.	केरल	केरल	पलक्कड़	फरवरी-2015	4.78	1.43	29.92
55.	केरल	केरल	पथ्यानूर	फरवरी-2015	1.78	0.53	29.78
56.	केरल	केरल	पोनानी	फरवरी-2015	1.37	0.41	29.93
57.	केरल	केरल	तिरुवल्ला	फरवरी-2015	2.52	0.76	30.16
58.	केरल	केरल	थोडुपुज्हा	फरवरी-2015	1.68	0.5	29.76

59.	केरल	केरल	गुरुवायूर	अप्रैल-2015	2.55	0.77	30.20
60.	केरल	केरल	मतन्नूर	अप्रैल-2015	1.25	0.38	30.40
61.	केरल	केरल	नेदूमनगढ	अप्रैल-2015	1.32	0.4	30.30
62.	केरल	केरल	पुनालूर	अप्रैल-2015	1.11	0.33	29.73
63.	केरल	केरल	पथनमथिटा	मई-2015	1.12	0.34	30.36
64.	केरल	केरल	अतिंगल	जून-2015	1.4	0.42	30.00
65.	केरल	केरल	चितुरतमंगलम	जून-2015	1.81	0.54	29.83
66.	केरल	केरल	कोडूनगलूर	जून-2015	1.81	0.54	29.83
67.	केरल	केरल	मालापुरम	जून-2015	1.74	0.52	29.89
68.	केरल	केरल	पेरिनथलमणा	जून-2015	1.71	0.51	29.82
69.	केरल	केरल	तालिपरंबा	जून-2015	1.43	0.43	30.07
70.	केरल	केरल	कसरागोड	जुलाई-2015	1.89	0.57	30.16
71.	केरल	केरल	कुम्मकोलम	जुलाई-2015	1.78	0.53	29.78
72.	केरल	केरल	पपनीसेरी	जुलाई-2015	1.03	0.31	30.10
73.	केरल	केरल	वरकला	जुलाई-2015	1.19	0.36	30.25
74.	केरल	केरल	अरूर	अगस्त-2015	1.22	0.37	30.33
75.	केरल	केरल	कयामकुलम	अगस्त-2015	2.54	0.76	29.92
76.	केरल	केरल	कोथ मंगलम	अगस्त-2015	1.11	0.33	29.73
77.	केरल	केरल	परावूर	अगस्त-2015	0.76	0.23	30.26
78.	केरल	केरल	कोल्लम	सितंबर-2015	6.67	2	29.99
79.	केरल	केरल	कन्हनगढ	सितंबर-2015	2.75	0.83	30.18
80.	केरल	केरल	कोटथ्यम	सितंबर-2015	5.62	1.69	30.07
81.	केरल	केरल	थ्रिसुर	सितंबर-2015	4.84	1.45	29.96
82.	केरल	केरल	तिरूर	सितंबर-2015	2.65	0.8	30.19
83.	केरल	केरल	कन्नूर	अक्टूबर-2015	5.55	1.67	30.09
84.	केरल	केरल	कोयीलंदी	अक्टूबर-2015	1.78	0.53	29.78
85.	केरल	केरल	वडाकरा	अक्टूबर-2015	2.74	0.82	29.93
86.	केरल	केरल	अलापुज्हा	नवम्बर-2015	4.02	1.21	30.10
87.	केरल	केरल	चेरथला	नवम्बर-2015	2.32	0.7	30.17
88.	केरल	केरल	कोच्ची	नवम्बर-2015	52.49	15.75	30.01
89.	केरल	केरल	कोझीकोड	नवम्बर-2015	13.69	4.11	30.02
90.	केरल	केरल	तिरुवनंतपुरम	नवम्बर-2015	61.03	18.31	30.00
91.	मध्यप्रदेश	एम.पी.पी.के. वी.वी.सी. एल-ई	नवगाँव	अक्टूबर-2013	1.03	0.24	23.30

92.	मणिपुर	मणिपुर	निंगथाउखोंग	नवम्बर-2014	0.38	0.11	28.95
93.	मणिपुर	मणिपुर	थाउबल	नवम्बर-2014	0.91	0.27	29.67
94.	मणिपुर	मणिपुर	बिष्णुपुर	फरवरी-2015	0.68	0.2	29.41
95.	मणिपुर	मणिपुर	मोयरंग	फरवरी-2015	0.63	0.19	30.16
96.	मणिपुर	मणिपुर	काकचिंग	दिसंबर-2015	0.9	0.27	30.00
97.	मेघालय	मेघालय	जोवाई	जुलाई-2015	1.67	0.5	29.94
98.	मेघालय	मेघालय	चेरापूँजी	दिसंबर-2015	0.7	0.21	30.00
99.	मिजोरम	मिजोरम	कोलासिब	जुलाई-2015	1.19	0.36	30.25
100.	राजस्थान	जे.ओ.वी.वी.एन.एल	पिपर सिटी	सितंबर-2013	0.74	0.22	29.73
101.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	गोबि शेटी पल्लथम	09 जनवरी-2014	1.17	0.35	29.91
102.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	सत्यामंगलम	17 फरवरी-2014	1.08	0.32	29.63
103.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	नमक्कल	28 मार्च-2014	1.32	0.4	30.30
104.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	रसीपुरम	28 मार्च-2014	0.88	0.26	29.55
105.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	अंबुर	07 अप्रैल-2014	1.51	0.45	29.80
106.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	गुडीयाथम	07 अप्रैल-2014	1.42	0.43	30.28
107.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	मेलवी शरम	07 अप्रैल-2014	0.66	0.2	30.30
108.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	परनमपट्टू	07 अप्रैल-2014	0.81	0.24	29.63
109.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	अरकोट	05 मई-2014	0.9	0.27	30.00
110.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	तिरुटानी	05 मई-2014	1.03	0.3	29.13
111.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	करुर	29 मई-2014	3.74	1.12	29.95
112.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	चेनगलपट्टू	16 जून-2014	1.16	0.35	30.17
113.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	मराईमलाई नगर	16 जून-2014	1.48	0.44	29.73
114.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	तिरुपथूर	27 अक्टूबर-2014	0.94	0.28	29.79
115.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	वणियमबडी	27 अक्टूबर-2014	1.36	0.41	30.15

116.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	मालासमुद्रम	05 नवम्बर— 2014	0.64	0.19	29.69
117.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	तिरूचेनगोडे	05 नवम्बर— 2014	2.15	0.65	30.23
118.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	चिदंबरम	10 नवम्बर— 2014	0.95	0.28	29.47
119.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	कुड्डलोर	10 नवम्बर— 2014	3.34	1.01	30.24
120.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	विलुप्पूरम	10 नवम्बर— 2014	1.69	0.5	29.59
121.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	चिन्नामन्नूर	17 नवम्बर— 2014	0.78	0.23	29.49
122.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	गुडलूर	17 नवम्बर— 2014	1.08	0.32	29.63
123.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	कम्बम	17 नवम्बर— 2014	0.85	0.25	29.41
124.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	पेरियाकुलम	17 नवम्बर— 2014	0.77	0.23	29.87
125.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	शिपवगंगा	17 नवम्बर— 2014	1.07	0.32	29.91
126.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	थेनी अलीनगरम	17 नवम्बर— 2014	1.62	0.48	29.63
127.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	अरनथंगी	24 नवम्बर— 2014	0.86	0.26	30.23
128.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	मणाप्पराय	24 नवम्बर— 2014	0.87	0.26	29.89
129.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	पट्टूक्कोटायी	24 नवम्बर— 2014	1.3	0.39	30.00
130.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	पेरंबालूर	24 नवम्बर— 2014	1.04	0.31	29.81
131.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	धारापूरम	15 दिसंबर— 2014	1.01	0.3	29.70
132.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	पलाडम	15 दिसंबर— 2014	1.75	0.53	30.29
133.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	उड्डुमलाईपेटायी	15 दिसंबर— 2014	1.41	0.42	29.79
134.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	वेल्लाकोईल	15 दिसंबर— 2014	1.35	0.41	30.37
135.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	अतुर	23 फरवरी— 2015	1.48	0.44	29.73

136.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	इडाप्पडी	23 फरवरी— 2015	1.06	0.31	29.25
137.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	मेतुर	23 फरवरी— 2015	1.25	0.38	30.40
138.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	अंबासमुद्रम	27 अप्रैल—2015	0.82	0.25	30.49
139.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	कडयानल्लूर	27 अप्रैल—2015	1.39	0.42	30.22
140.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	पुलियनकुडी	27 अप्रैल—2015	0.99	0.3	30.30
141.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	संकरनकोयल	27 अप्रैल—2015	1.22	0.37	30.33
142.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	तेनकासी	27 अप्रैल—2015	1.38	0.41	29.71
143.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	विक्रमसिंगापुरम	27 अप्रैल—2015	0.84	0.25	29.76
144.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	अरानी	04 मई—2015	1.16	0.35	30.17
145.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	ईरोड	04 मई—2015	6.35	1.89	29.76
146.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	पेरियासेमूर	04 मई—2015	0.87	0.26	29.89
147.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	टिनडीवनम	11 मई—2015	1.35	0.41	30.37
148.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	तिरुवन्नामलाई	11 मई—2015	2.43	0.73	30.04
149.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	तिरुवेथीपुरम	11 मई—2015	0.8	0.24	30.00
150.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	विरुद्धाचलम	11 मई—2015	1.48	0.44	29.73
151.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	कल्लाक्कुरिची	18 मई—2015	1.16	0.35	30.17
152.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	अरुप्पुक्कोटाई	09 जुलाई— 2015	1.6	0.48	30.00
153.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	सत्तुर	09 जुलाई— 2015	0.81	0.24	29.63
154.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	श्रीविल्लिपुथूर	09 जुलाई— 2015	1.42	0.43	30.28
155.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	राजपल्लयम	13 जुलाई—2015	7.08	2.12	29.94
156.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	शिवाकाशी	13 जुलाई—2015	1.96	0.59	30.10
157.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	त्रिधुनगर	13 जुलाई— 2015	1.79	0.54	30.17
158.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	तिरुनेलवेली	20 जुलाई— 2015	8.27	2.48	29.99
159.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	बोडीनयाकनुर	10 अगस्त— 2015	1.06	0.31	29.25
160.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	मेलूर	10 अगस्त— 2015	0.74	0.22	29.73

161.	तमिलनाडु	टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ	तिरुमंगलम	10 अगस्त— 2015	1.16	0.35	30.17
162.	त्रिपुरा	त्रिपुरा	इंद्रानगर (पार्ट)	नवम्बर—2013	0.57	0.17	29.82
163.	त्रिपुरा	त्रिपुरा	रणीरबाजार	मई—2014	0.56	0.17	30.36
164.	त्रिपुरा	त्रिपुरा	बेलोनिया	सितंबर—2014	0.64	0.19	29.69
165.	त्रिपुरा	त्रिपुरा	जोगिंदरनगर	सितंबर—2014	0.78	0.23	29.49
166.	त्रिपुरा	त्रिपुरा	सोनापुरा	सितंबर—2014	0.69	0.21	30.43
167.	त्रिपुरा	त्रिपुरा	अगरतला	नवम्बर—2014	20.71	6.21	29.99
168.	त्रिपुरा	त्रिपुरा	प्रतापगढ़	नवम्बर—2014	0.48	0.14	29.17
169.	त्रिपुरा	त्रिपुरा	तेलियामुरा	नवम्बर—2014	0.81	0.24	29.63
170.	त्रिपुरा	त्रिपुरा	खोवाई	मार्च—2015	0.72	0.21	29.17
171.	त्रिपुरा	त्रिपुरा	कैलासहर	मार्च—2015	0.83	0.25	30.12
172.	त्रिपुरा	त्रिपुरा	गांधीग्राम	मार्च—2015	0.3	0.09	30.00
173.	त्रिपुरा	त्रिपुरा	बधरघाट	मार्च—2015	1.67	0.5	29.94
174.	त्रिपुरा	त्रिपुरा	धर्मनगर	मार्च—2015	1.06	0.32	30.19
175.	त्रिपुरा	त्रिपुरा	कुमारघाट	मार्च—2015	3.68	1.1	29.89
176.	त्रिपुरा	त्रिपुरा	उदयपुर	मार्च—2015	1.05	0.32	30.48
177.	उत्तर प्रदेश	पी.ओ.वी.वी.एन.एल	ओबरा	जून—2013	0.77	0.17	22.08
178.	उत्तर प्रदेश	एम.वी.वी.एन.एल	ककराल	अक्टूबर—2013	0.33	0.09	27.27
179.	उत्तर प्रदेश	एम.वी.वी.एन.एल	महमूदाबाद	अक्टूबर—2013	0.73	0.21	28.77
180.	उत्तर प्रदेश	पी.ओ.वी.वी.एन.एल	कोपागंज	जनवरी—2014	1.13	0.3	26.55
181.	उत्तर प्रदेश	एम.वी.वी.एन.एल	लहरपुर	फरवरी—2014	0.67	0.17	25.37
182.	उत्तर प्रदेश	एम.वी.वी.एन.एल	पलिया कलन	फरवरी—2014	0.93	0.28	30.11
183.	उत्तर प्रदेश	एम.वी.वी.एन.एल	बहराइच	अप्रैल—2014	3.57	1.04	29.13
184.	उत्तर प्रदेश	एम.वी.वी.एन.एल	बंगरमाउ	अप्रैल—2014	0.78	0.22	28.21
185.	उत्तर प्रदेश	पी.ए.वी.वी.एन.एल	टाँडा	अप्रैल—2014	0.79	0.23	29.11
186.	उत्तर प्रदेश	एम.वी.वी.एन.एल	अकबरपुर	जुलाई—2014	1.91	0.54	28.27
187.	उत्तर प्रदेश	पी.ओ.वी.वी.एन.एल	मुगलसराय	मई—2015	3.06	0.61	19.93
188.	उत्तर प्रदेश	पी.ए.वी.वी.एन.एल	लोनी	जून—2015	9.59	2.32	24.19
189.	उत्तर प्रदेश	डी.वी.वी.एन.एल	मथुरा	जुलाई—2015	12.48	2.63	21.07

वर्ष 2008-09 से 2010-11 (प्रतिशत में) के लिए ए टी एण्ड सी हानियाँ

क्रम. संख्या	राज्य	2008-09				2009-10				2010-11	
		ऊर्जा पर 14वीं स्थायी समिति (2010-11) मार्च 2011	12वीं पंच वर्षीय योजना (मई 2013)	गैर तारांकित प्रश्न सं. 5892 के भाग (सी) व (डी) में संदर्भित अनुलग्नक का लोक सभा में 02.05.2013 को उत्तर दिया जाना है	ऊर्जा पर 5वीं स्थायी समिति 2014-15 की 16वीं लोक सभा अप्रैल 2015	12वीं पंच वर्षीय योजना (मई 2013)	गैर तारांकित प्रश्न सं. 5892 के भाग (सी) व (डी) में संदर्भित अनुलग्नक का लोक सभा में 02.05.2013 को उत्तर दिया जाना है	ऊर्जा पर 5वीं स्थायी समिति 2014-15 की 16वीं लोक सभा अप्रैल 2015	12वीं पंच वर्षीय योजना (मई 2013) अस्थायी आँकड़े	गैर तारांकित प्रश्न सं. 5892 के भाग (सी) व (डी) में संदर्भित अनुलग्नक का लोक सभा में 02.05.2013 को उत्तर दिया जाना है	ऊर्जा पर 5वीं स्थायी समिति 2014-15 की 16वीं लोक सभा अप्रैल 2015
1.	आंध्र प्रदेश	12.99	19.39	12.99	12.99	18.32	16.43	16.43	16.78	17.50	17.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	60.15	74.27	60.15	60.15	63.14	58.82	58.82	65.48	61.45	61.45
3.	असम	20.32	35.37	32.68	32.68	38.24	29.31	56.19	45.13	29.19	28.71
4.	बिहार	34.37	41.66	34.37	34.37	42.39	43.92	43.92	49.99	47.44	47.44
5.	छत्तीसगढ़	32.45	37.78	32.73	32.73	46.62	36.28	40.04	36.41	28.64	28.84
6.	दिल्ली	17.97	17.92	17.92	17.92	20.78	20.78	20.78	15.76	15.76	15.76
7.	गोवा	17.17	17.81	21.69	21.69	16.18	6.12	6.12	15.57	14.08	14.08
8.	गुजरात	22.05	25.46	22.04	22.04	26.87	22.81	22.81	18.25	16.89	16.89
9.	हरियाणा	33.29	28.43	33.29	33.29	29.50	29.32	29.32	26.72	28.02	28.02
10.	हिमाचल प्रदेश	12.85	16.20	12.85	12.85	17.39	18.46	18.46	13.53	15.72	14.70

11.	जम्मू एवं कश्मीर	69.05	70.69	69.05	69.05	72.03	70.44	70.44	74.30	72.86	72.86
12.	झारखण्ड	59.00	54.23	54.16	62.80	49.07	10.21	10.43	45.11	46.79	46.79
13.	कर्नाटक	25.68	24.79	24.94	24.94	23.69	25.34	25.34	23.64	23.71	23.71
14.	केरल	21.61	34.98	21.61	21.61	28.81	14.90	14.90	29.72	14.09	14.09
15.	मध्यप्रदेश	61.05	45.78	46.61	46.61	42.93	41.03	41.03	41.10	37.28	37.28
16.	महाराष्ट्र	31.19	28.75	31.19	31.19	27.44	25.02	25.02	23.47	23.30	23.30
17.	मणिपुर	81.01	83.55	81.32	81.32	69.23	47.55	47.55	67.74	40.17	40.17
18.	मेघालय	43.37	35.27	43.37	43.37	43.19	48.77	48.77	37.93	51.63	51.63
19.	मिजोरम	41.01	46.43	41.08	41.08	42.89	38.95	38.95	42.08	41.00	43.09
20.	नागालैण्ड	48.69	55.85	44.12	44.12	58.02	46.16	65.36	55.98	50.07	49.73
21.	ओडिशा	39.43	42.20	42.20	42.20	39.71	39.70	39.70	44.35	44.35	45.60
22.	पुडुचेरी	18.47	उपलब्ध नहीं	18.47	18.47	उपलब्ध नहीं	19.35	19.35	उपलब्ध नहीं	14.43	14.43
23.	पंजाब	18.96	19.76	18.51	18.51	19.97	17.73	17.73	18.35	17.47	19.64
24.	राजस्थान	29.52	32.99	29.83	29.83	33.06	30.07	30.07	25.60	24.19	24.66
25.	सिक्किम	56.86	46.81	46.81	46.81	51.37	55.36	59.31	46.81	51.96	65.46
26.	तमिलनाडु	15.33	20.19	14.39	14.39	19.11	18.87	18.87	18.27	19.90	19.49
27.	त्रिपुरा	31.98	40.08	31.91	31.91	37.52	29.16	29.16	41.19	34.48	34.48
28.	उत्तर प्रदेश	40.32	35.29	35.04	34.90	36.69	35.73	34.45	37.86	40.29	42.94
29.	उत्तराखण्ड	35.37	29.35	39.89	39.89	28.61	28.35	28.35	29.17	28.48	28.48
30.	पश्चिम बंगाल	22.73	28.81	25.81	25.81	26.13	33.24	33.24	28.87	27.40	27.40

वर्ष 2011-12 व 2012-13 (प्रतिशत में) के लिए ए टी एण्ड सी हानियाँ

क्र.सं.	राज्य	2011-12		2012-13	
		ऊर्जा पर स्थायी समिति की 5वीं रिपोर्ट (2014-15) 16वीं लोक सभा विद्युत मंत्रालय अनुदान हेतु माँग 2015-16 (अप्रैल 2015)	वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए 'राज्य विद्युत प्रायोगिकी के निष्पादन' पर रिपोर्ट (जुलाई 2015)	ऊर्जा पर स्थायी समिति की 5वीं रिपोर्ट (2014-15) 16वीं लोक सभा विद्युत मंत्रालय अनुदान हेतु माँग 2015-16 (अप्रैल 2015)	वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए 'राज्य विद्युत प्रायोगिकी के निष्पादन' पर रिपोर्ट (जुलाई 2015)
1.	आंध्र प्रदेश	15.27	15.27	13.63	13.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	65.55	65.55	60.26	60.26
3.	असम	29.47	29.47	31.85	31.85
4.	बिहार	59.24	59.24	54.63	47.44
5.	छत्तीसगढ़	29.05	29.05	25.12	25.12
6.	दिल्ली	18.56	18.56	15.22	15.22
7.	गोवा	15.12	15.12	14.14	14.14
8.	गुजरात	19.26	19.26	19.87	19.87
9.	हरियाणा	28.27	28.27	32.55	32.55
10.	हिमाचल प्रदेश	18.04	18.04	9.53	11.90
11.	जम्मू एवं कश्मीर	71.16	71.16	60.87	60.87
12.	झारखण्ड	42.77	42.76	47.49	47.49
13.	कर्नाटक	23.29	23.29	20.78	20.78
14.	केरल	12.17	12.17	10.53	12.32
15.	मध्यप्रदेश	38.26	38.26	31.15	31.15
16.	महाराष्ट्र	21.63	21.63	21.95	21.95

17.	मणिपुर	44.80	44.80	85.49	85.49
18.	मेघालय	44.85	45.33	26.60	36.25
19.	मिजोरम	36.59	36.59	27.55	27.55
20.	नागालैण्ड	22.85	22.85	75.30	75.30
21.	ओडिशा	44.66	44.66	42.94	42.88
22.	पुडुचेरी	18.91	18.91	9.13	9.13
23.	पंजाब	18.96	18.96	17.66	17.52
24.	राजस्थान	24.81	24.81	20.00	20.00
25.	सिक्किम	58.32	58.32	53.51	53.51
26.	तमिलनाडु	21.70	21.70	20.72	20.71
27.	त्रिपुरा	33.76	33.76	33.85	24.86
28.	उत्तर प्रदेश	41.95	41.95	42.85	42.85
29.	उत्तराखण्ड	25.84	25.84	23.18	23.18
30.	पश्चिम बंगाल	32.90	32.90	34.43	34.43

डी टी मीटरिंग एवं फीडर मीटरिंग की स्थिति

क्रम सं.	राज्यों के नाम	11 के वी फीडर						वितरण ट्रांसफार्मर					
		2008-09			2014-15			2008-09			2014-15		
		संख्या	मीटरड	प्रतिशत	संख्या	मीटरड	प्रतिशत	संख्या	मीटरड	प्रतिशत	संख्या	मीटरड	प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	985	932	94.62	1,484	1,484	100	28,709	5,988	20.86	47,921	49,586	103.47
2.	असम	आर-ए.पी.डी.आर.पी कार्य आरंभ नहीं किये गए			539	539	100	आर-ए.पी.डी.आर.पी कार्य आरंभ नहीं किये गए			5,624	5,624	100
3.	बिहार ²	182	102	56.04	755	715	94.70	4,065	1,395	34	15,127	12,473	82.45
4.	छत्तीसगढ़	500	391	78.20	700	688	98.29	9,201	2,761	30.01	11,214	10,127	90.31
5.	गोवा	227	227	100	275	275	100	4,081	0	0	5,900	4,709	79.81
6.	गुजरात	5,895	5,895	100	7,984	7,984	100	2,24,086	1,53,712	68.60	4,31,303	3,43,437	79.63
7.	हरियाणा	1,452	1,452	100	1,575	1,575	100	18,569	2,828	15.23	35,109	27,076	77.12
8.	हिमाचल प्रदेश	135	135	100	165	165	100	2,015	1,960	97.27	2,906	2,887	99.34
9.	जम्मू एवं कश्मीर	621	282	45.41	1,371	269	19.62	9,588	0	0	9,588	685	7.31

² 2008-09 के लिए सूचना केवल एक प्रायोगिकी की थी

10.	झारखण्ड	342	229	66.96	413	413	100	10,195	6,261	61.41	10,040	10,040	100
11.	कर्नाटक	1,227	299	24.37	488	1,858	380.74	23,852	8,699	36.47	58,483	53,066	90.74
12.	केरल	1,752	1,752	100	2,021	2,021	100	46,955	15,943	34	71,199	38,698	54
13.	मध्यप्रदेश	26,945	24,467	90.80	42,083	41,640	98.94	1,02,482	25,435	24.82	1,92,317	70,849	36.84
14.	महाराष्ट्र ³	9,380	6,851	73.04	17,093	16,156	94.52	3,59,543	2,33,754	65.01	4,50,492	2,31,275	51.34
15.	मणिपुर	कोई डाटा उपलब्ध नहीं	कोई डाटा उपलब्ध नहीं	कोई डाटा उपलब्ध नहीं	71	71	100	शून्य	शून्य	-----	1,168	1,081	92.55
16.	मेघालय	113	75	66.37	122	122	100	928	455	49.03	1,682	1,682	100
17.	मिजोरम	147	145	98.64	215	170	79.07	1,273	0	0	1,752	850	49.00
18.	नागालैण्ड	198	80	40	260	158 (आर-ए. पी.डी.आर. पी के अंतर्गत 78 को सम्मिलित करते हुए)	61	1,694	453	27	3,604	1,638 (आर-ए.पी. डी.आर.पी के अंतर्गत 1,185 को सम्मिलित करते हुए)	45
19.	ओडिशा	2012-13 आधार वर्ष है। निविदाएँ प्रदान करने के अंतिम चरण में हैं।										लागू नहीं	
20.	पुडुचेरी	40	0	0	60	0	0	960	0	0	1,416	950	67.09
21.	पंजाब	1,032	1,032	100	1,568	1,568	100	24,301	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	39,591	31,358	79.2
22.	राजस्थान	2,064	1,768	85.66	3,058	2,652	86.72	35,204	8,697	24.70	54,398	15,143	27.84
23.	सिक्किम	56	23	41.07	65	65	100	237	57	24.05	328	258	78.66
24.	तमिलनाडु	704	704	100	2,285	2,285	100	29,994	शून्य	0	48,244	48,244	100

³ 2008-09 एवं 2014-15 के आँकड़े पूर्ण रूप से महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है।

25.	तेलंगाना	1,337	1,337	100	1,787	1,787	100	39,176	7,024	17.92	50,870	50,870	100
26.	त्रिपुरा	72	72	100	86	86	100	1,409	1,110	78.77	1,280	1,059	82.73
27.	उत्तर प्रदेश	4,224	2,322	54.97	3,331	3,065	92.01	1,40,833	1,14,804	81.52	43,441	28,463	65.52
28.	उत्तराखण्ड	519	516	99.42	662	662	100	3,618	1,724	47.65	5,680	4,360	76.76
29.	पश्चिम बंगाल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	3,337	3,170	95	85,145	15,000	17.62	1,99,289	38,124	19.13

उपभोक्ता मीटरिंग की स्थिति

क्रम. सं.	राज्यों के नाम	2008-09			2014-15		
		संख्या	मीटरड	प्रतिशत	संख्या	मीटरड	प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	12,34,159	12,34,159	100	14,25,368	14,25,368	100
2.	असम	उपभोक्ता मीटरिंग आरंभ नहीं की गई			7,62,101	7,62,101	100
3.	बिहार	3,80,919 ⁴	3,44,902	90.54	24,95,249	23,52,966	94.30
4.	छत्तीसगढ़	6,76,050	6,76,050	100	8,78,129	8,78,129	100
5.	गोवा	5,29,773	5,27,336	99.54	5,83,694	5,81,441	99.61
6.	गुजरात	79,82,367	77,53,964	97.14	1,04,38,509	1,02,13,107	97.84
7.	हरियाणा	14,92,595	14,92,595	100	17,40,286	17,40,286	100
8.	हिमाचल प्रदेश	2,73,875	2,73,875	100	3,19,538	3,19,538	100
9.	जम्मू एवं कश्मीर	11,82,548	4,17,077	35.26	15,85,149	8,14,345	51.37
10.	झारखण्ड	6,16,322	5,37,252	87.17	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
11.	केरल	93,63,461	93,63,461	100	1,14,58,301	1,14,58,301	100

⁴ एक प्रायोगिकी के संदर्भ में जानकारी

12.	कर्नाटक	10,13,426	10,13,426	100	20,55,697	20,55,697	100
13.	मध्यप्रदेश	23,02,740	22,70,488	98.64	51,01,914	30,33,066	59.45
14.	महाराष्ट्र ⁵	1,68,09,590	1,53,68,271	91.42	2,30,35,775	2,14,33,928	93.05
15.	मणिपुर	1,83,686	1,65,270 (खराब आई / सी)	89.97	2,58,484	1,94,867	75.39
16.	मेघालय	86,683	79,646	91.88	1,28,688	1,26,582	98.36
17.	मिजोरम	1,58,289	1,49,186	94.25	2,03,220	1,95,581	96.24
18.	नागालैण्ड	1,80,000	1,75,000	97	2,40,626	2,32,171	96
19.	ओडिशा	-	-	-	-	-	-
20.	पुडुचेरी	165	66	40	197	125	63.45
21.	पंजाब	20,56,262	20,56,262	100	21,97,838	21,97,838	100
22.	राजस्थान	24,19,606	24,19,597	99.99	36,53,583	36,53,154	99.99
23.	सिक्किम	12,527	10,131	80.87	15,771	14,459	91.68
24.	तमिलनाडु	63,26,000	63,26,000	100	85,26,000	85,26,000	100
25.	तेलंगाना	34,33,225	34,33,225	100	38,64,941	38,64,941	100
26.	त्रिपुरा	1,34,089	1,34,089	100	2,73,247	2,73,247	100
27.	उत्तर प्रदेश	28,15,611	27,77,384	98.63	37,56,833	37,56,833	100
28.	उत्तराखण्ड	4,41,542	4,41,484	99.99	5,85,247	5,85,247	100
29.	पश्चिम बंगाल	68,35,269	58,09,979	85	1,50,99,540	1,50,91,440	99.94

⁵ 2008-09 एवं 2014-15 के आंकड़े पूरे महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं।

विशेष अदालत की स्थापना

राज्य का नाम	विशेष अदालत गठित करने की तिथि	अप्रैल 2008 से मार्च 2015 तक दर्ज किए गए अपराध	मामलों की संख्या जिनमें पेशी की गई	मामलों की संख्या जिनमें दंड लगाया गया	निर्णय के लिए लंबित मामलों की संख्या	प्रत्येक मामले की लंबितता की अवधि
आंध्र प्रदेश (ए पी एस ई डी सी एल)	18.10.2003	26,660	47	22,613	39	7 माह से लेकर 4 वर्ष 10 महीने
आंध्र प्रदेश (ए पी एस ई पी डी सी एल)	18.10.2003	87,291	0	87,291	2	2 वर्ष से अधिक
असम	15-10-2005	1,862	154	1,708	शून्य	उपलब्ध नहीं
बिहार	20-11-2009	890 ⁶	उपलब्ध नहीं	468	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

⁶ गया, मुजफ्फरपुर एवं पटना में विशेष अदालतें स्थापित की गई हैं। गया एवं पटना के सन्दर्भ में सूचना उपलब्ध नहीं है।

छत्तीसगढ़	05.01.2007 एवं 22.06.2013 को क्रमशः 16 एवं 5 विशेष अदालतें गठित की गई थीं।	48,113	9,981	521	9,460	उपलब्ध नहीं
गोवा	स्थापित नहीं की गई	'शून्य' सूचना प्रस्तुत की गई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
गुजरात डी जी वी सी एल	21-06-04	65,818	1,333	65,818	1,077	1 से 6 वर्ष
गुजरात एम जी वी सी एल	21-06-04	35,763	753	34,037	265	1 से 6 वर्ष
गुजरात पी जी वी सी एल	21-06-04	1,43,270	17,595	1,43,270	4,256	1 से 6 वर्ष
गुजरात यू जी वी सी एल	21-06-04	11,017	135	1,279	126	1 से 6 वर्ष
हरियाणा	हरियाणा विशेष अदालत स्थापित नहीं की गई	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
हिमाचल प्रदेश	21-10-2005	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जम्मू एवं कश्मीर	कोई अदालत स्थापित नहीं की गयी।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
झारखंड	23.7.2010 ⁷	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
कर्नाटक ⁸	10.11.2003	13,523	13,523	13,523	460	1 वर्ष से 6 वर्ष
केरल	11.7.2007	22,646	53	3263	53	6 महीने से 4 वर्ष

⁷ 23.07.2010 राँची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, डुमका, मेदिनीनगर जिलों में विशेष अदालतें स्थापित की गई हैं।

⁸ केवल एक प्रायोगिकी वेसकाम से सम्बंधित सूचना

मध्य प्रदेश ⁹	नहीं दिया गया	3,35,280 ¹⁰ (एम पी एम के वी वी सी एल, भोपाल)	नहीं दिया गया	3,35,280 ¹¹	67,999	नहीं दिया गया
मध्य प्रदेश पूर्वी डिस्कॉम डी आई एस सी ओ एल	2004 से 2014-15 की अवधि के दौरान पूर्वी डिस्कॉम के अंतर्गत 40 विशेष अदालतें खोली गईं जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है।	84,403	64,466	16,426	67,977	प्रबंधन द्वारा मामले वार लंबितता को प्रस्तुत नहीं किया था। हालाँकि, यह कहा गया कि मामले दर मामले की लंबितता अवधि भिन्न थी तथा सामान्यतः मामलों पर निर्णय तीन वर्षों की अवधि में लिए गए।
मध्य प्रदेश	16-09-2010	35,118 (एम पी पी के वी वी सी एल, इन्दौर ¹²)	18,067	8	7,702	
महाराष्ट्र	29-12-05	कल्याण – 28,338	397	0	397	
		नासिक – 12,330	299	0	299	
		पुणे - 3,334	355	173	182	
		लातूर– 12,363	170	8	162	

⁹ एम पी एम के वी वी सी एल के संदर्भ में अदालत में मामले को लंबित प्रमाणित करने के संबंध में सूचना, उपलब्ध नहीं कराई गई

¹⁰ 2009 से 2015 तक

¹¹ 2009 से 2015 तक कंपनी द्वारा

¹² एम पी एम के वी वी सी एल के संदर्भ में अदालत में मामले को लंबित प्रमाणित करने के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई

		नागपुर – 13,747	479	0	479	
		जालना – 30,529	597	0	597	
मणिपुर	जून-04	489	461	461	28	6–8 महीने
मेघालय	03-अगस्त-06	4	4	4	शून्य	--
मिजोरम	08 .02.2012	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नागालैण्ड	14.08.2006	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ओडिशा	2007	2,881	258	82	2,623	अप्रैल 2008 से मार्च 2015
पुडुचेरी	08.09.2010	1	---	---	1	48 महीने
पंजाब	3-12-2008	11,987	819	179	434	--
राजस्थान						
	मई 2004	जोधपुर–13,879	753	12,489	637	लागू नहीं
	उपलब्ध नहीं	अजमेर–1,238	557	132	681	6-7 वर्ष
सिक्किम	03.05.2006	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तमिलनाडु	05.10.2006	22	10	3	19	1–6 वर्ष
तेलंगाना	18.10.2003	टी एस एस पी डी सी एल 2,24,051	228	70	77	1 महीने से 7 वर्ष

तेलंगाना	2000-03	टी एस एन पी डी सी एल 57	56	27	2	0 से 2 वर्ष
त्रिपुरा	02.08.2004	प्रस्तुत नहीं किया	प्रस्तुत नहीं किया	प्रस्तुत नहीं किया	प्रस्तुत नहीं किया	प्रस्तुत नहीं किया
उत्तर प्रदेश	31.08.2004	एम वी वी एन एल 7,213	7,213	5,375	1,838	प्रत्येक मामले के लंबित रहने की अवधि की स्थापना संभव नहीं है।
उत्तर प्रदेश	31.08.2004	पी वी एन एन एल उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
उत्तर प्रदेश	31.08.2004	पी यू वी वी एन एल उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
उत्तर प्रदेश	31.08.2004	डी वी वी एन एल उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
उत्तराखंड	24.09.2004	4,697	2,542	2,230	419	08 से 36 महीने
पश्चिम बंगाल	उपलब्ध नहीं	17,410	10,230	90	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

संक्षिप्ताक्षरों की सूची

संक्षिप्ताक्षरों की सूची

संक्षिप्ताक्षर	विवरण
ए डी बी	एशियाई विकास बैंक
ए एम आर	स्वचालित मीटर रीडिंग
ए पी सी पी डी सी एल	आन्ध्र प्रदेश केन्द्रीय विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
ए पी डी पी	त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम
ए पी डी आर पी	त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम
ए पी ई पी डी सी एल	आन्ध्र प्रदेश लिमिटेड की पूर्वी विद्युत वितरण कम्पनी
ए पी एफ सी	स्वचालित विद्युत घटक नियन्त्रक
ए पी एस पी डी सी एल	आन्ध्र प्रदेश दक्षिणी विद्युत वितरण कम्पनी
ए एस सी आई	भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज
ए टी एंड सी	कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक
ए वी वी एन एल	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
बी ई	बजट अनुमान
बी जी	बैंक गारंटी
बी ई एस सी ओ एम	बैंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड
बी ओ क्यू	मात्राओं का बिल
सी ए जी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सी सी ई ए	आर्थिक मामलों पर मन्त्रिमंडलीय समिति
सी ई ए	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
सी ई ओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सी ई एस सी	चामुण्डेश्वरी विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड
सी एल टी डी आर	कारपोरेट लिक्विड मियादी जमा रसीद
सी एल आर सी	केन्द्रीय श्रम दर अनुबंध
सी पी जी	अनुबंध के निष्पादन की गारंटी
सी पी आर आई	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान
सी एस एस	ग्राहक सेवा प्रणाली

डी सी	डाटा सेन्टर
डी सी यू	डाटा संग्रहण इकाई
डी जी एम	उप महा प्रबंधक
डी जी वी सी एल	दक्षिण गुजरात विज कम्पनी लिमिटेड
डी एच बी वी एन	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम
डी आई एस सी ओ एम एस	वितरण कम्पनियां
डी एम एस	वितरण प्रबंधन प्रणाली
डी पी आर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डी आर सी	डिजास्टर रिकवरी सेन्टर
डी आर सी	वितरण सुधार समिति
डी टी	वितरण ट्रांसफार्मर
डी वी वी एन एल	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
ई एम डी	अग्रिम जमा राशि
ई पी डी	बिजली और विद्युत विभाग
ई आर पी	उद्यम संसाधन योजना
ई आर डब्ल्यू	विद्युत प्रतिरोध वेल्डेड
ई एस सी ओ एम	विद्युत आपूर्ति कम्पनी
एफ डी टी	फीडर और वितरण ट्रांसफार्मर
एफ आई	वित्तीय संस्थान
जी बी एस	सकल बजटीय समर्थन
जी ई एस सी ओ एम	गुलबर्गा विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड
जी एफ आर	सामान्य वित्तीय नियम
जी आई एस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी ओ आई	भारत सरकार
जी पी आर एस	जनरल पैकेट रेडियो सर्विस
आई आई एम	भारतीय प्रबन्धन संस्थान
आई पी डी एस	एकीकृत विद्युत विकास योजना
आई टी	सूचना प्रौद्योगिकी
आई टी सी	आई टी सलाहकार
आई टी आई ए	आई टी कार्यान्वयन एजेंसी

जे वी वी एन एल	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जे डी वी वी एन एल	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जे एस ई बी	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड
के वी	किलो वोल्ट
के वी ए	किलो वोल्ट एम्पीयर
एल ओ ए	लैटर्स ऑफ अवार्ड
एल ओ आई	उद्देश्य पत्र
एल टी	लो-टेन्शन
एम डी ए एस	मीटर डाटा अधिग्रहण प्रणाली
एम ई ई सी एल	मेघालय ऊर्जा निगम लिमिटेड
एम जी वी सी एल	मध्य गुजरात विज कम्पनी लिमिटेड
एम आई एस	प्रबन्धन सूचना प्रणाली
एम ओ ए	समझौते का ज्ञापन
एम ओ एफ	वित्त मंत्रालय
एम ओ पी	विद्युत मंत्रालय
एम पी एम के वी वी सी एल	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
एम पी पी के वी वी सी एल	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
एम एस ई डी सी एल	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
एम एस पी डी सी एल	मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
एम वी ए	मेगा वोल्ट एम्पीयर
एम वी वी एन एल	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
एन ई एफ	राष्ट्रीय विद्युत निधि
एन ई आर	पूर्वोत्तर क्षेत्र
एन पी टी आई	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान
एन पी वी	शुद्ध वर्तमान मूल्य
ओ एवं एम	संचालन और अनुरक्षण
पी ए सी	लोक लेखा समिति
पी ए एम सी	परियोजना मूल्यांकन एवं निगरानी समिति
पी एफ सी	पावर फाइनेन्स कार्पोरेशन
पी जी वी सी एल	पश्चिम गुजरात विज कम्पनी लिमिटेड

पी एस पी सी एल	पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड
पी टी आर	विद्युत ट्रांसफार्मर
पी टी आई	भागीदार प्रशिक्षण संस्थान
पी वी सी	पोलीविनाइल क्लोराइड
पी वी वी एन एल	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
पी यू वी वी एन एल	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
पी डब्ल्यू डी	लोक निर्माण विभाग
क्यू ए	चतुष्पक्षीय अनुबन्ध
आर- ए पी डी आर पी	पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम
आर एवं एम	नवीकरण और आधुनिकीकरण
आर ई	संशोधित अनुमान
आर सी ए	मूल कारण विश्लेषण
आर ई सी	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड
आर एफ पी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आर आई	संसाधन संस्थान
आर पी एम	समीक्षा योजना और निगरानी
एस बी आई	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
एस सी ए डी ए	पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण प्रणाली
एस डी सी	एस सी ए डी ए/डी एम एस सलाहकार
एस ई बी	राज्य बिजली बोर्ड
एस ई डी	राज्य विद्युत विभाग
एस आई	तन्त्र सुधार
एस आई ए	एस सी ए डी ए/डी एम एस कार्यान्वयन एजेन्सी
एस ओ आर	दरों की सूची
एस यू	राज्य प्रायोगिकी
टी ए एन जी ई डी सी ओ	तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम लिमिटेड
टी सी एस	टाटा कन्सल्टेन्सी सर्विसेज
टी ई आर आई	ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान
टी के एफ	टर्न की फर्म
टी पी आई ई ए	तीसरा पक्ष स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी

टी पी आई ई ए-ई ए	तीसरा पक्ष स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी-ऊर्जा लेखांकन
टी पी आई ई ए-आई टी	तीसरा पक्ष स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी-सूचना प्रौद्योगिकी
टी एस एन पी डी सी एल	तेलंगाना राज्य उत्तरी विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
टी एस एस पी डी सी एल	तेलंगाना राज्य दक्षिण विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
यू सी	उपयोगिता प्रमाण पत्र
यू जी वी सी एल	उत्तर गुजरात विज कम्पनी लिमिटेड
यू पी पी सी एल	उत्तर प्रदेश विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड
वी सी बी	वैक्यूम सर्किट ब्रेकर
डब्ल्यू ए पी सी ओ एस	जल एवं विद्युत सलाहकार सेवाएँ
डब्ल्यू बी एस ई डी सी एल	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

© भारत के
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in